षोडश माला, खंड 5, अंक 10 **शुक्रवार, 5 दिसंबर, 2014**
14 अग्रहायण, 1936 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तीसरा सत्र
(सोलहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 5 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

सम्पादक मंडल

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव
लोक सभा

ममता केमवाल
संयुक्त सचिव

अमर सिंह
निदेशक

कीर्ति यादव
संयुक्त निदेशक

विपिन कुमार पाल
उप-निदेशक

© 2014 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण का अनुवाद कृत्रिम मेधा (Artificial Intelligence**) आधारित सॉफ्टवेयर एप्पलीकेशन की सहायता से किया गया है और सटीक अनुवाद उपलब्ध कराने के लिए यथोचित प्रयास किए गए हैं। तथापि,** हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

विषय-सूची

षोडश माला, खंड 5, तीसरा सत्र, 2014 / 1936 (शक)
अंक 10, शुक्रवार, 5 दिसम्बर, 2014 / 14 अग्रहायण, 1936 (शक)

विषय	पृष्ठ संख्या
प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य	
केन्द्रीय मंत्री द्वारा कथित रूप से आपत्तिजनक भाषा के प्रयोग के बारे में	9-10
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 181 से 189	12-37
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 190 से 200	38
अतारांकित प्रश्न संख्या 2071 से 2300	38

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

सभा पटल पर रखे गए पत्र 39-56

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति की अनुमति 57

मंत्री द्वारा वक्तव्य 58-59

योजना मंत्रालय से संबंधित गरीबी रेखा से नीचे के मानदंड का मूल्यांकन करने संबंधी समिति के 32वें प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 72वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

राव इंद्रजीत सिंह 58-59

सभा का कार्य 60-66

समितियों के लिए निर्वाचन 67-70

(1) पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान संस्थान की शासी परिषद 67

(2) भारतीय क्षय रोग संघ 68

(3) रबड़ बोर्ड 69

(4) राजघाट समाधि समिति 70

नियम 193 के अधीन चर्चा 97-122

देश के विभिन्न भागों में प्राकृतिक आपदाएं

श्रीमती विजया चक्रवर्ती 97-99

श्री भर्तृहरि महताब 100-106

श्रीमती रमा देवी 107-109

श्री विनायक भाऊराव राऊत 110-112

श्री हुक्मदेव नारायण यादव 112-114

श्री हुकुम सिंह 115-117

श्री जगदम्बिका पाल 118-121

श्री केशव प्रसाद मौर्य 121-122

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के दूसरे प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव 123

गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प 124-178

राष्ट्रीय कृषक आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन

श्री भर्तृहरि महताब 124-131

श्री प्रहलाद सिंह पटेल 132-137

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा 137-140

डॉ. सत्यपाल सिंह 140-142

श्री भगवंत मान 143-145

श्री हुकुमदेव नारायण यादव 145-149

श्री रत्न लाल कटारिया 150-152

श्री हुकुम सिंह 153-155

श्री निशिकांत दुबे 156-161

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते 162-163

श्री पी.पी. चौधरी 164-166

श्री जगदम्बिका पाल 167-169

श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान 171-173

श्री वीरेन्द्र सिंह 174-178

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती सुमित्रा महाजन

माननीय उपाध्यक्ष

डॉ. एम. तंबिदुरै

सभापति तालिका

श्री अर्जुन चरण सेठी

श्री हुक्मदेव नारायण यादव

प्रो. के.वी. थॉमस

श्री आनंदराव अडसुल

श्री प्रहलाद जोशी

डॉ. रत्ना डे (नाग)

श्री रमेन डेका

श्री कोनाकल्ला नारायण राव

श्री हुकुम सिंह

महासचिव

श्री अनूप मिश्र

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

शुक्रवार, 5 दिसंबर, 2014 / 14 अग्रहायण, 1936 (शक)

[लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।]

[माननीय अध्यक्ष *पीठासीन हुई*]

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न काल। प्रश्न सं. 181, श्री एम. बी. राजेश।

… (*व्यवधान*)

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू): माननीय अध्यक्ष महोदया, उस दिन जिस मुद्दे पर चर्चा हो रही थी, उस पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधान मंत्री ने राज्य सभा में एक वक्तव्य दिया, उसमें एक सुझाव था और लोक सभा की मांग भी थी कि प्रधान मंत्री को लोक सभा में भी इस तरह का वक्तव्य देना चाहिए।

माननीय प्रधान मंत्री महोदय यहां सभा में उपस्थित हैं। मैं चाहता हूं कि आप प्रधान मंत्री को इस मुद्दे पर वक्तव्य देने की अनुमति दें।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: ठीक है। [अनुवाद] वे कल इसकी मांग कर रहे थे।

<u>पूर्वाह्न 11.01 बजे</u>

<u>प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य</u>
केन्द्रीय मंत्री द्वारा कथित रूप से आपत्तिजनक भाषा के प्रयोग के बारे में

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री (श्री नरेन्द्र मोदी) : आदरणीय अध्यक्ष महोदया जी, पिछले कुछ समय से राज्य सभा में सदन नहीं चल पा रहा है। मैं लोक सभा के सभी सदस्यों का आभारी हूँ कि उन्होंने इस इश्यू की सेंसिटिविटी होने के बावजूद भी सदन को चलने दिया है। इस विवादित बयान के सम्बन्ध में संसद में मसला उठने से पहले जब मेरी पार्टी के सांसदों की मीटिंग हुई थी, उसमें मैंने बड़ी कठोरता के साथ ऐसे शब्दों का प्रयोग और ऐसी भाषा का प्रयोग न करने की हिदायत भी दी थी और अपनी नाराज़गी भी प्रकट की थी। कोई भी ऐसी चीजों को अप्रूव नहीं कर सकता है। बाद में मंत्री श्री ने माफी मांगी है। मंत्री श्री नयी हैं, उनके सामाजिक बैकग्राउंड को हम जानते

हैं, वे गांव से हैं और उन्होंने क्षमा मांगी है। इस सदन में वरिष्ठ जनों का कर्त्तव्य होता है कि इतने बड़े सदन के सामने हमारा एक साथी जब क्षमा मांगता है तो हमें भी उदारता बरतनी चाहिए। मैं लोक सभा के सभी सदस्यों का आभारी हूँ कि उन्होंने सदन चलने दिया है। मैं इस बात पर, पूरे सदन का भी और हम सबका भी, सार्वजनिक जीवन में जो लोग हैं, उनका यह दायित्व मानता हूँ वि मर्यादाओं को हम सबको स्वीकार करना चाहिए और उन मर्यादाओं के अंदर रहते हुए ही, चाहे वह सदन के अंदर हो या बाहर, हमें बातें बोलनी चाहिए। उसमें कोई वाद-विवाद नहीं हो सकता है। मैं मानता हूँ कि जब मंत्री श्री ने क्षमा मांगी है और वे एक नयी मंत्री हैं तो सभी वरिष्ठ नेताओं को भी और अपने-अपने दल के जो लोग वहाँ बैठे हैं, उनको भी अनुरोध करना चाहिए और इस विषय को समाप्त करके देश हित में काम को आगे बढ़ाना चाहिए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब इसके बाद क्या हुआ? खड़गे जी, एक तो कोई नोटिस नहीं है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, कल भी आपके लोग बार-बार यह मांग कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जवाब दें, ऐसी आपकी घोषणाएं थीं। आज प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कह दिया है। मुझे लगता है अब इस विषय को छोड़ देना चाहिए।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : महोदया, माननीय प्रधान मंत्री जी को भी मालूम हो जाए कि किस संदर्भ में यह कदम उठाया गया है और क्यों इस सदन में ऐसी घटना हुई है। उनके नोटिस में भी लाना जरुरी है क्योंकि वे सदन के नेता हैं। हम किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं हैं, या किसी व्यक्ति का बैकग्राउंड देखकर एजीटेशन या माहौल तैयार नहीं कर रहे हैं। हमारा यह कहना है कि मंत्री लोग, जो बाहर स्टेटमेंट एक नहीं, दो नहीं और आपके पक्ष के अनेक नेता भी ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं। सारे देश में एक ऐसा वातावरण तैयार हो रहा है जिससे समाज की एकता टूटने का खतरा है। इसीलिए क्या एक्शन वह लेना चाहते हैं और उन्हें किस ढंग से डायरेक्शन देकर सुधारना चाहते हैं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सभी के नेता ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं। ठीक है, अब आपकी बात पूरी हो गयी हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, अब उन्होंने कह दिया है, अब इसके बाद बात समाप्त हो जानी चाहिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: जी नहीं, मुझे खेद है।

… (*व्यवधान*)

<u>पूर्वाह्न 11.06 बजे</u>

इस समय, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे और कुछ अन्य माननीय सदस्यगण सभा भवन से बाहर चले गये।

… (*व्यवधान*)

पूर्वाह्न 11.07 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर[1]

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न सं. 181, श्री एम. बी. राजेश। क्या आप प्रश्न नहीं पूछना चाहते?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : टेबल कीजिएगा।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री पी.वेणुगोपाल जी। आप सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछना चाहेंगे।

[अनुवाद] **(प्रश्न संख्या 181)**

डॉ. पी. वेणुगोपाल: महोदया, स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के सुचारू संचालन का मूल्यांकन करना था। वह करने के बजाय, आई.ई.ओ. सुधार के नाम पर योजना आयोग को बदलने के लिए उत्सुक है। किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, सामाजिक कल्याण योजनाएं समाज के राजनीतिक वर्गों द्वारा बनाई जातीं है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह सरकार जन-केंद्रित सामाजिक क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार योजनाओं को निरूपित करने की उस परंपरा की अनदेखी करेगी जो हमारी प्रिय नेता अम्मा द्वारा द्रविड़ आंदोलन की शताब्दी पुरानी परंपरा को बरकरार रखते हुए शुरू की गई हैं। ... (*व्यवधान*)

---

[1] * प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए। https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : प्लीज, आप यहां से न जाए। जब कोई बोल रहा होता है तो उनके सामने से नहीं जाया जाता, इतना तो नियम याद रखें। [अनुवाद] आप जाना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं। लेकिन यह अनुशासन नहीं है।

… (*व्यवधान*)

डॉ. पी. वेणुगोपाल: मैं जानना चाहता हूं कि क्या सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं को महत्व मिलेगा और नए जोश के साथ और प्रभावी निगरानी तंत्र के साथ अधिक धन आवंटित किया जाएगा। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी जो बोल रहे हैं, उस के सिवाय कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान) .... *

राव इंद्रजीत सिंह: महोदया, स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय की संकल्पना वर्ष 2010 में की गई थी। इसकी कल्पना योजना आयोग के संलग्न कार्यालय के रूप में की गई थी। स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय के लिए अधिसूचना वर्ष 2011 में जारी हुई थी। वर्ष 2013 में, स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय के पहले महानिदेशक ने कार्यभार संभाला। इसके बाद, उन्होंने लगभग एक वर्ष तक पद संभाला। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। मैंने पहले ही कहा है कि केवल मंत्री जी का बयान ही कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित किया जाएगा। जो भी मंत्री बोल रहे हैं और मैंने अनुमति दी है, केवल वही कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित किया जाएगा।

(व्यवधान) ... **

राव इंद्रजीत सिंह: क्या मैं अपना भाषण जारी रखूं?

माननीय अध्यक्ष: जी हाँ।

** कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

राव इंद्रजीत सिंह: स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय के महानिदेशक लगभग एक वर्ष तक अपने पद पर बने रहे। वर्तमान में महानिदेशक का पद खाली है। इस वर्ष 15 अगस्त को प्रधान मंत्री ने घोषणा की है कि योजना आयोग का ही नवीनीकरण करना होगा और एक नया संस्थान बनाया जाएगा। वर्तमान योजना आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा दिनांक 15 मार्च, 1950 को किया गया था। सरकार ने इस प्रस्ताव को नए प्रस्ताव से बदलने का निर्णय लिया है। हालांकि नया निर्णय लिया जाना है, लेकिन अभी तक भी पुराना निर्णय ही चल रहा है। योजना आयोग को एक नए संस्थान में परिवर्तित करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि माननीय सदस्य ने सामाजिक क्षेत्र की जिन तथाकथित योजनाओं के विषय में पूछा है, उनको पिछले 64 वर्षों में देश द्वारा वांछनीय तरीके से लागू नहीं किया गया है। इसलिए, यह एक पुरानी संस्था और नई संस्था के बीच का संक्रमण काल है। मैं केवल माननीय सदस्य को यह आश्वस्त कर सकता हूँ कि आज सरकार सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं को सर्वोत्तम तरीके से लागू करने के लिये पूरी तरह से प्रतिबद्ध है जिससे कि शासन का लाभ सबसे निम्न स्तर के व्यक्ति तक पहुंचे और उम्मीद है और नई व्यवस्था में हर व्यक्ति की समस्या को संबोधित किया जाएगा।

(प्रश्न संख्या 182)

[हिन्दी]

श्री सुमेधानन्द सरस्वती : अध्यक्ष जी, जैसा कि हम जानते हैं कि मिग-21 लड़ाकू विमान जो कि भारतीय वायु सेना की रीढ़ होता था, इस लड़ाकू विमान को चरणबद्ध तरीके से फेज़ आउट कर दिए जाने से वायु सेना को लड़ाकू विमानों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। इसके मद्देनज़र वायु सेना फ्रांस से राफ़ेल लड़ाकू विमान खरीदने पर विचार कर रही है। मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस से खरीदने के विषय में अभी तक क्या प्रगति हुई है एवं लड़ाकू विमानों की खरीद में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या क़दम उठाए जा रहे हैं?

श्री मनोहर पर्रिकर : महोदया, मीडियम मल्टी रोल कॉम्बेट एयरक्राफ्ट राफ़ेल का आर.एफ. पी. हम लोगों ने इश्यू किया था, उसके बारे में नेगोशिएशन्स चालू है और जब तक नेगोशिएशन्स खत्म नहीं होती हैं, तब तक उस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसके अलावा माननीय सदस्य की चिंता मिग रिप्लेसमेंट को लेकर

है। उसके लिए तेजस का इनिशियल ऑपरेशनल क्लीयरेन्स हो गया है और तेजस के बीस और बीस, चालीस एयरक्राफ्ट एयर फोर्स में शामिल होंगे। एसयू-30 का भी प्रोडक्शन एचएएल से चालू है।

श्री सुमेधानन्द सरस्वती : महोदया, भारत मिसाइल एवं अंतरिक्ष विज्ञान में विश्व के विकसित एवं अग्रणी देशों की श्रेणी में शामिल है। लेकिन लड़ाकू विमानों के निर्माण में भारत अभी भी अन्य देशों पर ही निर्भर है। मेरा माननीय मंत्री जी से दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि स्टैल्थ प्रोद्योगिकी से सुसज्जित लड़ावू विमानों का भारत में निर्माण शुरू कराने, जिससे माननीय प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया कार्यक्रम को भी गति मिलेगी, क्या सरकार ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है? यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है?

श्री मनोहर पर्रिकर : महोदया, एलसीए का निर्माण तेजस के रूप में इस समय किया जा रहा है। 20 इनिशियल ऑपरेशनल क्लीयरेंस और 20 फाइनल ऑपरेशनल क्लीयरेंस से वायु सेना में शामिल किए जाएंगे। लेकिन माननीय सदस्य का जो प्रश्न है, मैं बताना चाहूंगा कि टेक्नोलॉजिकल आई.जी.ए. साइन हुआ है, वह वर्ष 2007 में हुआ है और काफी हद तक पिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट का डिज़ाइन भी शुरू हो चुका है। प्राइमरी डिज़ाइन फाइनल हो चुका है और आर एंड डी का मामला फाइनल स्टेज पर है। मुझे लगता है कि इसको अगर हम कर पाए तो ज्यादा तेजी से काम कर सकेंगे। इसमें काफी टेक्नोलॉजी इम्पोर्टिड रह सकती है, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम इसे डेवलप करके रिप्लेस करें।

[अनुवाद]

श्री कलिकेश एन. सिंह देव (बोलंगीर): माननीय अध्यक्ष महोदया, यह सुविदित है कि विशेष रूप से हमारे दोनों पड़ोसियों यथा चीन और पाकिस्तान की तैयारियों की पृष्ठभूमि में भारतीय वायु सेना की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है।

भारतीय वायु सेना को केवल 34 स्क्वाड्रन तक सीमित कर दिया गया है, दो बड़ी खरीद एम.एम.आर.सी.ए. है जिसके बारे में मंत्री जी बात कर रहे थे। एम.एम.आर.सी.ए. की खरीद के लिए उपयोग की जा रही कार्यप्रणाली, लाइफ-साइकिल लागत के उपयोग का वित्त मंत्रालय द्वारा दृढ़ता और जोरदार विरोध किया गया है, जिससे उस खरीद को कई वर्षों के लिये लंबित कर दिया गया है। दूसरे, रूसी संयुक्त उद्यम का

विकास का काम भी खतरे में है क्योंकि रूसी पक्ष संयुक्त विकास के क्रम में भारत सरकार को महत्वपूर्ण संवेदनशील तकनीक देने से इनकार कर रहा है। महोदया, इस संदर्भ में मुझे यह डर है कि भारतीय वायु सेना को वास्तव में कोई भी विमान मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना होगा और तेजस को मंजूरी नही मिलेगी। इसलिए, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि भारतीय वायु सेना की उन्नत तैयारियों में इस महत्वपूर्ण कमी को पूरा करने के लिए इस सरकार या विशेष रूप से मंत्री के मन में क्या चल रहा है?

श्री मनोहर पर्रिकर: तेजस मिग-21, जिसे चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जा रहा है, का ही प्रतिस्थापन है। एम.के.-II जिसमें अधिक शक्तिशाली इंजन है, को तेजस एम.के.-I के उन्नयन के लिए लाया जा रहा है। मुझे लगता है कि यह मिग-21 को चरणबद्ध तरीके से हटाने के काम को पूरा करेगा। इसका उत्पादन भी सुखोई प्लेटफॉर्म पर चल रहा है। बहुत सारे सुखोई विमान शामिल किए जाएंगे। जहां तक आपकी एल.सी.सी. चिंताओं का संबंध है, हम इसकी जांच कर रहे हैं। इस स्तर पर, मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा क्योंकि बातचीत चल रही है। प्रक्रिया को खत्म होने दें। हमने एल.सी.सी. के बारे में उनकी चिंताओं को भी ध्यान में रखा है।

श्री आर. के. सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदया, रक्षा खरीद में जो हो रहा है, उसके संबंध में मेरी दो चिंताएं हैं। एक चिंता एम.एम.आर.सी.ए की खरीद से संबंधित है। मैंने देखा है कि जिस विमान के लिए बोली लगाई गई थी और अंत में जो विमान चुना गया था वह विमान वर्ष 1980 की तकनीक के हैं, जो एक तकनीक है जो समाप्त होने के कगार पर है। हम अप्रचलित प्रौद्योगिकी से लैस विमानों पर बड़ी राशि खर्च करने जा रहे हैं। जिस राफेल विमान को खरीदना प्रस्तावित है – उसकी तुलना एस. यू.-30 के साथ किसी भी तरह से नहीं की जा सकती। तो, आप इसे क्यों ले रहे हैं? साथ ही, लागत भी बहुत अधिक है। जैसा कि मेरे सहयोगी ने बताया, लाइफ-साइकिल लागत की अवधारणा ने वास्तव में विमानों को सामान्य वित्तीय नियमों के अनुसार खरीदे जाने की स्थिति से बहुत अधिक महंगा बना दिया है। तो, मेरा पहला सवाल यह है कि आप एक ऐसे विमान को क्यों ले रहे हैं जो अपने अंतिम चरण में है? अब मैं दूसरे प्रश्न पर आता हूं।

माननीय अध्यक्ष: आप केवल एक प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री आर.के. सिंह : दूसरा प्रश्न वास्तव में पहले प्रश्न से संबंधित है । यह संभावित मल्टी-रोल फाइटर, 5वीं जनरेशन एयरक्राफ्ट के बारे में है । हमने इस विमान के डिजाइन और विकास के लिए सोवियत संघ के साथ समझौता किया है। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार यह विमान पहले से ही सोवियत संघ में उड़ रहा है। तो इसमें डिजाइन और विकास क्या हुआ है?

श्री मनोहर पर्रिकर: सबसे पहले, मुझे लगता है कि उनकी चिंता राफेल के बारे में है । जैसा कि मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा, एक बार पूरी बातचीत खत्म हो जाने के बाद, हम निश्चित रूप से उनकी चिंताओं को ध्यान में रखेंगे । राफेल पुरानी पीढ़ी का विमान नहीं है; यह 4थी पीढ़ी के बाद का है । यह एक नया विमान है । वास्तव में, 5वीं पीढ़ी का विमान एफ.-22 रैप्टर केवल यू.एस.ए. के पास है । दूसरा जो वे विनिर्माण कर रहे हैं, वह भी बेचे जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें यह स्पष्ट रूप से नहीं मिलेगा क्योंकि पहला उत्पादन नाटो और अन्य देशों में जाएगा। इसलिए, हमें इन्हें विकसित करना होगा क्योंकि बाजार में कोई भी 5वी पीढ़ी का विमान उपलब्ध नहीं है। बेशक, रूसी संस्करण पहले से ही उड़ान परीक्षण में है। एक बार रिसर्च एंड डेवलपमेंट भाग का ध्यान रखा जाता है, तो हम इसे प्राप्त कर लेंगे । हमें जो मिल रहा है उसकीतकनीक स्वयं रूस द्वारा विनिर्मित तकनीक के बहुत करीब है ।

श्री पी.आर. सुन्दरम : महोदया, भारत के पास सैटेलाइट को मंगल पर संस्थापित करने का संसाधन था और भारत ने इस बात को साबित कर दिया था । लेकिन जब रक्षा उत्पादों की बात आती है, तो वे आमतौर पर रूस से लड़ाकू विमानों जैसे विभिन्न उत्पादों को खरीदते हैं, हालांकि मिग-21 से हाल के वर्षों में रूस में बहुत दुर्घटनाएं हुई हैं । रूस के साथ रक्षा उत्पादों की खरीद पर, समझौते के अनुसार उत्पाद के वितरण में देरी हुई । मैं जानना चाहता हूं कि समझौते के अनुसार इसके लिए किस प्रकार की कार्रवाई की गई है ।

श्री मनोहर पर्रिकर: मुझे लगता है कि मिग-21 और मिग-29 के बीच थोड़ा भ्रम है । चरणबद्ध समाप्त किया जा रहा मिग-21 एक पुराना विमान है । मिग-29 नवीनतम है जो हमें रूस से मिलता है, जो तकनीक में काफी नवीनतम है । हम यहां जो कर रहे हैं वह पांचवीं पीढ़ी का स्टील्थ कैपेसिटी का एयरक्राफ्ट है जो मूलतः रडार

सिग्नेचर तुरंत नहीं छोड़ता है। रडार सिग्नेचर के बीच एक समय अंतराल है। इसलिए, स्वचालित रूप से इसकी आक्रमण की रफ्तार सामान्य विमानों से काफी बेहतर हो जाती है।

अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के संबंध में, हम काफी आगे हैं। हम सभी मिसाइलों और अन्य प्रौद्योगिकियों का सफल परीक्षण कर रहे हैं। हम उनको सबके सामने भी ला रहे हैं। संख्या और बनाने की लागत के कारण इसमें स्पष्ट रूप से कुछ बाधाएं है।

(प्रश्न संख्या 183)

श्री फिरोज वरूण गांधी : महोदया, मेरा प्रश्न पाकिस्तान के बारे में है। पाकिस्तान ने पाकिस्तान में सबसे पसंदीदा देश की स्थिति के नामांकन पर संभावित राजनीतिक प्रभावों से बचने के लिए भारत को गैर-भेदभावपूर्ण बाजार पहुंच का दर्जा देने का फैसला किया है।

विदेश सचिव स्तर की वार्ता को बंद करने के मद्देनजर, क्या हम किसी तरह से, यदि कोई हो, पाकिस्तान से एनडीएमए समझौते को सुरक्षित बनाए रखने के लिए इस आदेश का पालन कर रहे हैं?

श्रीमती निर्मला सीतारमण: अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य सही कह रहे थे कि अब अलग-अलग नामकरण का उपयोग किया जा रहा है। तथापि, अंततः यह मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट के संबंध में ही है, जो दुर्भाग्यवश, पाकिस्तान हमें देने में विफल रहा है, हालांकि हमने 1996 में भी पाकिस्तान को सबसे अधिक पसंदीदा देश का दर्जा दे दिया था। इसके बाद, निश्चित रूप से, इस नामकरण का उपयोग - गैर-भेदभावपूर्ण बाजार पहुंच के लिए किया गया है। हालांकि, हमारे दृष्टिकोण से इसका मतलब केवल एमएफएन है। इसमें, मैं केवल यही कहूँगी कि हमने पाकिस्तान से एमएफएन का दर्जा वापस पाने का पहला प्रयास सितंबर 2012 में उस समय किया गया था, जब दोनों देशों के वाणिज्य सचिवों की बैठक हुई थी। इसके बाद, जब जनवरी, 2014 में पांचवां सार्क बिजनेस लीडर्स कॉन्क्लेव आयोजित किया गया, तो दोनों देशों के वाणिज्य मंत्रियों ने बैठक की और दोनों सरकारों ने भारत को एमएफएन का दर्जा देने पर सहमत होते हुए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। दुर्भाग्य से, हमने इस दिशा में कोई प्रगति नहीं की है। 27 मई को दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की बैठक के बाद यह उम्मीद

की जा सकती है कि हम व्यापार सामान्यीकरण की राह पर वापस जाएंगे। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस दिशा में कुछ तो होना चाहिए।

श्री फिरोज वरूण गांधी : महोदया, दोनों देशों के बीच व्यापार को सहज बनाने के लिये व्यापार सुगमता की दिशा में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्रीमती निर्मला सीतारमण: इस स्तर पर कोई विशिष्ट वार्ता नहीं हो रही है। जैसा कि मैंने कहा, 27 मई को शपथ ग्रहण समारोह के बाद, जब प्रधान मंत्री ने पाकिस्तान और सार्क देशों के प्रधानमंत्रियों को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था, यह बताया गया था कि सितंबर 2012 ब्लूप्रिंट के आधार पर पूर्ण व्यापार सामान्यीकरण की दिशा में तुरंत एक कदम बढ़ाया जा सकता है। हमें उम्मीद थी कि यह जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल इस पर विशेष रूप से कुछ नहीं हो रहा है।

[हिन्दी]

श्री राधेश्याम बिश्वास : मैडम, हमारा प्रश्न वाणिज्य मंत्रालय से संबंधित है। अगर आप परमिट करें तो हम पूछना चाहेंगे।

माननीय अध्यक्ष : अगर आप इस प्रश्न से संबंधित पूछना चाहते हैं तभी पूछ सकते हैं, मंत्रालय से संबंधित नहीं पूछ सकते हैं।

(प्रश्न संख्या 184)

[हिन्दी]

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे : माननीय अध्यक्ष महोदया, कई वर्षों से केंद्र सरकार देश में गर्भवती महिलाओं और कुपोषित बच्चों के लिए योजना घोषित करती है। इस योजना में करोड़ों रूपये खर्च होते हैं। फिर भी आज देश के कई भागों में कुपोषित बच्चों की संख्या लगभग 40 प्रतिशत है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि देश के किन राज्यों में कुपोषित बच्चों की संख्या सबसे आधिक है? इस बारे में राज्यवार जानकारी दें और देश में भूख और कुपोषण के कारण हर साल कितने बच्चों और गर्भवती महिलाओं की मृत्यु होती है?

[अनुवाद]

श्रीमती मेनका संजय गांधी: महोदया, माननीय सदस्य ने मुझसे पूछा है कि कुपोषण के मामले में सबसे खराब स्थिति वाले राज्य कौन-कौन से हैं? ये कुल 200 जिले हैं, इतने ज्यादा राज्य नहीं हैं, सबसे ज्यादा खराब स्थिति बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की होगी । ये कुल10 राज्य हैं जिनमें माताओं और बच्चों दोनों में कुपोषण की संख्या सबसे अधिक हैं।

मृत्यु के आंकड़ों के संबंध में, मेरे लिए मृत्यु के आंकड़े देना संभव नहीं है क्योंकि कुपोषण से मरने वाले लोगों के आंकड़ों अलग से नहीं रखे जाते ।

[हिन्दी]

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे : महोदया, एक समय देश में पोलियो जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा देश, आज पोलियो मुक्त हो रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहता हूँ कि हमारा देश कुपोषण से कब मुक्त होगा? क्या सरकार इस बारे में कोई समिति गठित कर रही है? सरकार का क्या विचार है?

[अनुवाद]

श्रीमती मेनका संजय गांधी: महोदया, सरकार ने इसे बहुत गंभीरता से लिया है। कुपोषण का स्तर 47 प्रतिशत था। इसमें कमी आ रही है, लेकिन हमने अब इसपर मिशन मोड में काम शुरू करते हुए इसे मंत्रालय का मुख्य कार्यक्रम बना दिया है। हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को फिर से प्रशिक्षित कर रहे हैं। हमने हर साल रु.18000 करोड़ खर्च किये हैं। दुर्भाग्य से, प्रशिक्षण की कमी थी। यह कार्यक्रम इस विश्वास के इर्द-गिर्द केंद्रित था कि वे बच्चों और मां को पोषक भोजन खिलाएंगे। अब हम तोल मशीनों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जिससे हमें वास्तविक स्थिति की जानकारी मिलेगी। हमारे पास दो अलग-अलग प्रकार के कार्यक्रम हैं, उनमें से एक स्नेह शिविर है जो सकारात्मक विचलन पर आधारित है। इसका आशय यह है कि महीने में 12 दिनों के लिए, हमें ऐसे मामलों में सबसे अच्छी केस स्टडी देखने को मिलती है – जिनमें बच्चे तो कुपोषित नहीं हैं पर उनकी माताएं कुपोषित हैं। ऐसे मामले में हम उस महिला को प्रशिक्षित करते हैं जो कुपोषित हैं। हमने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का पुनः प्रशिक्षण शुरू किया है। हमें उम्मीद है कि हम परिणाम पाने के लिए उनके साथ अधिक अच्छी तरीके से काम करेंगे।

सबसे अधिक कुपोषण वाले 200 जिलों में, हमने दूसरे कामगार रखे हैं, जिनका काम कुपोषित बच्चों की पहचान करने के लिए घर-घर जाना है। हमने एक विशेष कार्ड बनाया है जिसमें यह पता लगाने के लिए प्रत्येक घर की पहचान की जाती है कि मां और बच्चे दोनों की स्थिति क्या है। ये प्रायोगिक कार्य था, जिन्हें मूल रूप से पश्चिम बंगाल और ओडिशा में शुरू किया गया था। 'स्नेह शिविरों 'ने बहुत अच्छा काम किया है। इसलिए, अब हम सभी 200 जिलों के लिए यही मॉडल अपना रहे हैं। उम्मीद है, इस मिशन के परिणामस्वरूप हम आपको एक वर्ष के भीतर परिणाम देने में सक्षम होंगे।

[हिन्दी]

श्री विनोद कुमार सोनकर : महोदया, पूरा देश कुपोषित माताओं और बच्चों को ले कर चिंतित है। लेकिन इनके लिए काम करने वाली जो आंगनबाड़ी कार्यकत्री हैं, विशेष कर उत्तर प्रदेश में, उनकी सेवा को ले कर, उनके कार्य को ले कर जितना वेतन उनको मिलना चाहिए या सेवा नियमों का पालन होना चाहिए वह नहीं हो

रहा है। मैं केंद्र सरकार से जानना चाहता हूँ कि शिक्षा मित्रों की तरह क्या आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को नियमितिकरण करने का विचार है?

[अनुवाद]

श्रीमती मेनका संजय गांधी: महोदया, इन्हें नियमित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन उन्हें फिर से प्रशिक्षित किया जा रहा है। एक पूरा पैकेज आ रहा है जिसमें उन्हें फिर से प्रशिक्षित किया जाएगा; उन्हें तौल मशीनें दी जा रही हैं; और इनसे हमें रियल टाइम रिपोर्ट मिलेगी। यह बिल्कुल सच है कि उन्हें मंत्रालय से हर महीने 3000 रुपए मानदेय मिलता है। लेकिन योजना की शर्तों के अंतर्गत, राज्य को एक अतिरिक्त विषय जोड़ना चाहिए । कुछ राज्य उन्हें 2000 रुपए अधिक या 3000 रुपए अधिक देते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्य दुर्भाग्य से उन्हें केवल 200 रुपए अधिक देने पर सहमत हुए हैं। हमने अब ऐसी योजनाएं जोड़ी हैं जिनमें उन्हें बीमा मिलता है। इस सरकार ने उनको बीमा दिया है। हम उनके बच्चों की मदद करते हैं। यह हमे तय नहीं करना है कि उन्हें अधिक देना है या नहीं क्योंकि हम तो उन्हें एक आधार देते हैं। यह राज्य सरकार को तय करना है कि वे इसमें कितना जोड़ेंगे।

श्रीमती कोथापल्ली गीता: माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे प्रश्न उठाने का मौका देने के लिए आपका धन्यवाद। हम महिलाओं और बाल कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता और उसकी पहलों की सराहना करते हैं। मंत्री ने *स्नेह शिविर,* जिसके लिए सरकार ने पिछले साल 123 करोड़ रुपये खर्च किये, से जुड़े कार्यक्रम के बारे में एक विस्तृत बयान में जवाब दिया। लेकिन आंगनवाड़ी कार्यक्रमों के लिए आज तक हमारे पास समुचित भवन भी नहीं हैं और कार्यक्रम का कार्यान्वयन भी उचित नहीं हो पाया । मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि यदि केंद्रीय सरकार एक ऐसा तंत्र तैयार कर रही है जिसमें वह राज्य सरकारों के साथ समन्वय से इन योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी क्योंकि *स्नेह शिविर* एक बहुत अच्छी नीति है लेकिन जमीनी स्तर पर इसमें कुछ कमियां हैं। यहां संसद का प्रत्येक सदस्य निगरानी और सतर्कता समिति का सदस्य होता है लेकिन इस विशेष योजना को उन मदों की सूची में जगह नहीं मिलती है जिनकी निगरानी की आवश्यकता है। क्या केंद्रीय सरकार इस कार्यक्रम की निगरानी के लिए एक योजना तैयार कर रही है?

श्रीमती मेनका संजय गांधी: पहले से ही कई स्तरों पर निगरानी को ज रही है। वहाँ सी.डी.पी.ओ है, उसके अंतर्गत पर्यवेक्षक आते हैं। पर्यवेक्षक आंगनवाड़ी की निगरानी करता है। आंगनवाड़ी गांव की निगरानी करती है। अब अधिक बोझ वाले जिलों में आंगनबाड़ियों को एक सहायक दिया जाने वाला है। लेकिन यह एक अच्छा सुझाव है कि यह उन मदों की सूची में शामिल होना चाहिए जिनकी निगरानी संसद सदस्य करते हैं। हम देखेंगे कि हम इसके बारे में क्या किया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री दुष्यंत चौटाला : महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि आज हमारा 123 करोड़ की आबादी का देश है। अगर वर्ल्ड हंगर इंडेक्स की बात करें तो हम 55वें रैंक पर आते हैं। आज भी 30.7 परसेंट बच्चे हमारे देश के अन्दर मॉल न्यूट्रिस्ट हैं। हमने तीन लाख सात हजार स्नेह शिविर लगाये।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि उन स्नेह शिविरों से क्या आउटपुट आया? जो मॉल न्यूट्रिशियन लेवल आज भी हमारे देश के अंदर 30.7 परसेंट है, क्या स्नेह शिविरों के बाद वह कम हुआ है या आज भी वह वहीं स्टैंड करता है?

श्रीमती मेनका संजय गांधी : अभी तक जो पॉयलट प्रोजेक्ट था, वह वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में था। स्नेह शिविरों की वजह से [अनुवाद] कुपोषण में कमी आई है। इसका बहुत ही सकारात्मक, मजबूत और तत्काल प्रभाव हुआ। आमतौर पर प्रभाव दिखाने में कुछेक महीने लगते हैं। यही हुआ है और यही कारण है कि अब हमने इसे अपनाया है और अब हम उच्च बोझ वाले जिलों में इसे शुरू करने जा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती पूनम महाजन : महोदया, मैं इसी विषय पर यह बात कहना चाहती हूँ कि कुपोषण के बारे में माननीय मंत्री जी ने कहा था और कुछ स्टेट्स के उन्होंने नाम लिए। जिस प्रदेश से मैं आती हूँ, वहाँ पर ठाणे से लेकर उत्तर महाराष्ट्र और विदर्भ में अभी भी कुपोषण बहुत ज्यादा है। इस भीषण कुपोषण की वजह यह है कि आई.सी.डी.एस. के मुद्दे उसमें आते हैं। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र की सरकार ने एक मुद्दा उठाया था कि महिला बचत घर, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ही इन विषयों को आगे लेकर जाएगा। जब यह खाना सेल्फ हेल्प

ग्रुप्स के माध्यम से बनाया जाता है, फिर वह किसी और आर्गनाइजेशन से टाईअप करती है, किसी और बड़ी कम्पनी से टाईअप करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में उस खाने की क्वालिटी कन्ट्रोल पर एक मैकेनिज्म नहीं हो पा रहा है। बहुत जगहों पर अच्छा खाना नहीं बन रहा है, क्योंकि, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के पास उतना पैसा नहीं होता है, जिससे अच्छी क्वालिटी का खाना नहीं पहुँच पा रहा है।

मैं माननीय मंत्री जी से यही पूछना चाहती हूँ कि बच्चों को अच्छा खाना मिल सके, इसके लिए क्वालिटी कन्ट्रोल का क्या मैकेनिज्म हैं?

[अनुवाद]

श्रीमती मेनका संजय गांधी: इस प्रश्न का उत्तर जटिल होगा। मैं चाहती हूं कि मैं आपको स्पष्ट जवाब दे सकूं, लेकिन दो अलग-अलग फैसलों में उच्चतम न्यायालय ने अपनी बात कही है । एक में यह कहा गया कि यह कान्ट्रेक्टरों को दिया जाए । दूसरे निर्णय में कहा कि आप एन.जी.ओज. के जरिए दे दें। इन दोनों से अलग इस बारे में एक और मत है जो कहता है कि इन दोनों को छोड़कर के आंगनवाड़ियों द्वारा गांव के भीतर ही भोजन बनाया जाना चाहिए । अब, हमें यहाँ एक समस्या है। अधिकांश स्थानों पर आंगनबाड़ियों के सामुदायिक केंद्र नहीं हैं। उनके पास रसोई नहीं है; उनके पास शौचालय नहीं हैं। तो, वे भोजन कैसे बनाते हैं?

दूसरी बात, हाँ; कुछ एन.जी.ओ अच्छे हैं । कभी-कभी एन.जी.ओ. भोजन का वितरण करते हैं और कभी-कभी वे नहीं भी करते हैं । ठेकेदारों को भी यही समस्या है । कभी वे धोखा देते हैं और कभी-कभी नहीं । हम एक व्यावहारिक मिश्रण का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं । हमने पूरे भारत में टीमों को यह पता लगाने के लिए भेजा है कि कहां क्या काम हो रहा है।

उदाहरण के लिए, यह औरंगाबाद, महाराष्ट्र में सबसे श्रेष्ठ ढंग से निष्पादित हो रहा है । हम औरंगाबाद की कार्यप्रणाली का पालन करने की कोशिश कर रहे हैं । *अक्षय पात्र* पूरे राजस्थान राज्य में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और यह एक एन.जी.ओ. है । कुछ क्षेत्रों में, ठेकेदार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दूसरे क्षेत्रों में ठेकेदार ऐसा नहीं कर रहे हैं । इसलिए, हमें योजना का विकेंद्रीकरण करना होगा और एक उचित मिश्रण तैयार करना होगा । यह वास्तव कोई भी एक पद्धति ऐसी नहीं हो सकती है जो सभी के लिए उपयुक्त हो ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न सं.185, श्री राम टहल चौधरी - उपस्थित नहीं।

(प्रश्न संख्या 185)

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे : अध्यक्ष जी, कई कम्पनियों एवं फर्मों द्वारा धोखाधड़ी इक्नोमिक आफेंस के माध्यम से हो रही है और ऐसी कई कम्पनियां देश में हैं। ऐसी कितनी कम्पनियां हैं, उनके क्या नाम हैं तथा उनके ऊपर क्या कार्रवाई की गई है? आम आदमी को प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत एक लाख रुपए लेने के लिए सौ चक्कर लगाने पड़ते हैं, वहीं बड़े-बड़े कोरपोरेट सैक्टर के लोग बोर्ड के उच्च आधिकारियों से बात करके पैसा प्राप्त कर लेते हैं और बाद में आफेंस करके पैसा नहीं चुकाते हैं। ऐसी कितनी कम्पनियां हैं, जिन्होंने ऐसा किया है, कृपया मंत्री जी उनका ब्यौरा दें?

श्री अरुण जेटली : माननीय सदस्य ने एक जनरल प्रश्न किया है कि आर्थिक विषयों में किस-किस प्रावधान में कितने अपराध हो रहे हैं। इसके बहुत सारे कानून हैं। ये अपराध इनकम टैक्स एक्ट में होते हैं, एक्साइज़ लॉज़ में होते हैं, मनी लांडरिंग में होते हैं, फेमा में होते हैं, साफेमा में होते हैं, काफीपोज़ा में होते हैं, प्रिवेंशन आफ करप्शन एक्ट में हैं और इस प्रकार से बहुत आधिक कानून हैं। इसकी कोई कम्पोजिट लिस्ट केवल कम्पनियों के संबंध में अलग से बनाई जाए, ऐसी कोई लिस्ट उपलब्ध नहीं है। लेकिन जहां-जहां कोई इंडिविजुअल या कोई पार्टनरशिप फर्म हो या कोई कम्पनी हो, जो अपराध करता है, उसके खिलाफ इन अलग-अलग कानूनों के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है।

श्री चन्द्रकांत खैरे : महोदय, किंगफिशर एयरलाइंस वर्ष 2012 से बंद है। इसमें हज़ारों कर्मचारी काम करते थे। आज वे बेकार हैं। हमारी स्टैंडिंग कमेटी मुम्बई में गई थी। उस समय स्टेट बैंक आफ इंडिया के चेयरमैन को मैंने और समिति के सभी सदस्यों ने पूछा था, समिति के तत्कालीन चेयरमैन आदरणीय यशवंत सिन्हा जी ने भी पूछा था।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप किसी का नाम मत लीजिए।

... (व्यवधान)

श्री चन्द्रकांत खैरे : महोदय, उस समय वह एयर लाइंस और लोगों को पैसा देने के लिए तैयार थे, लेकिन हमारी स्टैंडिंग कमेटी की वजह से वह रुक गया। [हिन्दी] मैं कहना चाहता हूं कि आज भी दस हजार करोड़ रुपया उनकी तरफ बकाया है। उनका यूबी ग्रुप से कांट्रेक्ट है। यूबी ग्रुप प्राफिटेबल है। क्या वे उनकी तरफ से पैसा जमा नहीं करेंगे?

माननीय अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिए।

... (व्यवधान)

श्री चन्द्रकांत खैरे : महोदय, साउथ अफ्रीका में उनका बहुत बड़ा करोबार है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि ऐसे आफेंस करने वाली बहुत-सी कम्पनियां हैं। इसमें बताना चाहता हूं कि एस.बी.आई. के 1400 करोड़ रुपए, पी.एन.बी. के 700 करोड़ रुपए, बैंक आफ बड़ौदा के 500 करोड़ रुपए, आई.सी.आई.सी. के 450 करोड़ बकाया हैं। यह तो जनता का पैसा है। उनकी तरफ 10 हजार करोड़ रुपए का बकाया है। आज यह पैसा कैसे वसूल होगा? मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इक्नोमिक आफेंस में आर.बी.आई. के रूल के अनुसार कोई कार्रवाई की गई है या नहीं की गई है?

श्री अरुण जेटली : अध्यक्ष जी, इसमें दो अलग-अलग विषय हैं। अगर बैंक से इस इरादे से लोन लिया गया है कि बैंक को चीट करना है तो ऐसे केसेज में उन पर पीनल लॉ के अंतर्गत कार्रवाई होती है। ऐसे कई केसेज हैं, जिनमें कार्रवाई हो रही है। कुछ केसेज ऐसे हैं कि लोन लेने के बाद चेक्स बाउंस वगैरह हो जाते हैं। आपने कुछ कंपनियों का जिक्र किया। जिन लोगों को वे फिर पैसा नहीं दे पाते हैं या जिनके चेक्स बाउंस करते हैं, तो वे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में उनके खिलाफ केस डाल देते हैं। कुछ केस केवल इसी प्रकार के हैं।

पिछले दो-तीन वर्षों में जब अर्थव्यवस्था थोड़ी धीमी हुई तो इसकी संख्या बढ़ी है। बैंकों से जो लोग लोन लेते हैं, उसमें दो प्रतिशत तक एनपीएज को एक प्रकार से एक्सेप्टेबल मान लेते हैं। लेकिन पिछले दो-ढाई वर्षों में ये जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थे, इनकी संख्या उस दो प्रतिशत से ऊपर होकर छः प्रतिशत को भी क्रॉस कर गयी है। इसका मतलब बैंकों से पैसा लेना और उस पैसे को वापस न लौटाना, इस प्रकार के केसेज

की संख्या बढ़ी है। ऐसे सभी केसेज में बैंक इनवे खिलाफ कार्रवाई करते हैं। अगर वह कार्रवाई किसी क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत संभव होती है तो वह भी कर सकते हैं, लेकिन जो उनके पास सिविल लॉ के आधिकार हैं, उसकी कार्रवाई तो निश्चित रूप से संभव होती है। वे डी.आर.टी. में उनके खिलाफ मुक़दमा डालते हैं, उनसे पैसा वसूल करने की कोशिश करते हैं और एक दूसरा कानून तब लाया गया था जब पहले एनडीए की सरकार थी। यह सरफाज़ी नाम का कानून है, जिस कानून के अंतर्गत आप पन्द्रह दिन या कुछ अवधि का नोटिस देते हैं और उस कंपनी ने अपने जो भी एसेट्स सिक्यूरिटाइजेशन में दिए हुए हैं, उन एसेट्स को उसी वक्त अटैच कर लेते हैं और बैंक उन एसेट्स को अटैच करने के बाद उनकी नीलामी का निर्देश दे देते हैं। उसके लिए बैंक को फिर डी.आर.टी. या कोर्ट में नहीं जाना पड़ता, वह सिर्फ उन एसेट्स के सेल के माध्यम से उस पैसे की वसूली करता है। ऐसे जितने भी केसेज में बड़े डेटर्स हैं, उसके लिए बैंक के पास ये आधिकार हैं और वे ये सारी प्रक्रिया अपना रहे हैं।

इसके अतिरिक्त रिज़र्व बैंक गाइडलाइंस के अंतर्गत भी अलग-अलग श्रेणी होती है, जैसे किसी को विलफुल डिफॉल्टर घोषित करना और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की भी एक ग्रेडेशन होती है इत्यादि। उसका यह कंसीक्वेंस रहता है कि जिस कंपनी को आप ऐसा डिक्लेयर कर देते हैं, उनके ऊपर फिर बहुत सख्त कार्रवाई हो जाती है। उन्हें फिर किसी दूसरे स्थान से लोन नहीं मिल सकता, उसके जो डायरेक्टर्स हैं, वे भी डिफॉल्टर्स घोषित हो जाते हैं। अगर वे किसी दूसरी कंपनी में भी डायरेक्टर हैं तो उस कंपनी को भी फिर लोन नहीं मिलेगा। इस प्रकार की सख्त कार्रवाई का इन सब कानूनों में प्रावधान है, जिसके तहत, आपने जिन केसेज का उदाहरण दिया, उन केसेज में भी कार्रवाई हो रही है।

श्री कौशल किशोर : महोदया, मैं आपके माध्यम से इनडायरेक्ट आर्थिक अपराध करने वालों के बारे में जानना चाहता हूं। जो वित्तीय फर्म हैं, उनमें कुछ लोग आर्थिक अपराध तो करते हैं, लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं, जैसे यूनिटेक जैसी कंपनियां हैं, जो लोगों से यह कह कर पैसा लेती हैं कि हम आपको मकान देंगे और उन लोगों का पैसा चार-चार, पांच-पांच सालों तक फंसाए रख कर उन पैसों का दूसरी ज़गह यूज करती हैं। यह एक

इनडायरेक्ट अपराध है। इसमें सरकार की बदनामी होती है और सरकार के ऊपर भी आक्षेप आता है कि इसकी वज़ह से लोगों का नुकसान हो रहा है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, वैसे मंत्री जी यह कह सकते हैं कि यह उनसे जुड़ा हुआ सवाल नहीं है, लेकिन चूंकि यह सरकार से जुड़ा हुआ सवाल है और ये प्राइवेट फर्म्स हमारे देश में ही काम कर रहे हैं, तो ऐसी प्राइवेट फर्मों के खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे? उनके खिलाफ आप कौन-सा निर्णय लेंगे?

श्री अरुण जेटली : अध्यक्ष जी, इस प्रकार से छोटे निवेशकों से पैसा ले लेना और उन निवेशकों के पैसे का दुरूपयोग करना, उन्हें वापस न देना, या उनको किसी प्रकार का आश्वासन दे देना कि आपको मक़ान मिलेगा या किसी मल्टी लेयरिंग माकेरटिंग स्कीम का आश्वासन दे देना, इसके संबंध में बहुत शिकायतें आती हैं। पिछले सत्र में ही हमने सेबी के कानून को संशोधित किया था, जो लागू हो चुका है। जो भी इस प्रकार की कलेक्टिव सेविंग स्कीम्स हैं, उन्हें हम लोगों ने सेबी के आधिकार क्षेत्र में डाल दिया है, जिसमें उनके पास ऐसे लोगों के खिलाफ क्रिमिनल प्रॉसीक्यूशन लाँच करने के अब ज्यादा आधिकार हो गये हैं। इसके आतिरिक्त, इस दिशा में काम करने वाले चिट फंड्स के सम्बन्ध में कुछ राज्य सरकारों के पास भी अपने कानून हैं और केन्द्र के भी कानून हैं, जिसके अंतर्गत वे कार्रवाई करते हैं।

इसके अतिरिक्त अगर कोई ऐसी योजना आती है कि आपको मकान या फ्लैट दिया जाएगा और उसके लिए लोगों से पैसे ले लेना और उसको न देना, यह केवल फौजदारी कानून के अधिकार क्षेत्र में आता है। कोई भी चीटेड व्यक्ति अगर इसकी शिकायत करता है तो जो कन्संर्ड पुलिस है, उसके पास पूरा आधिकार है और उस पर कार्रवाई करने के पर्याप्त प्रावधान हैं। इस प्रकार के अपराध करने की वजह से आज भी बहुत से लोग जेलों में हैं।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : महोदया, अभी एन.पी.ए. के विषय में चर्चा हो रही थी। निश्चित रूप से यह देश के लिए चिन्ता का विषय है। यह जानकारी प्राप्त हुई है कि तीन लाख करोड़ से ज्यादा रूपयों का एन.पी.ए. देश में है और वह प्रत्यक्ष रूप से है, अप्रत्यक्ष रूप से है, यह आँकड़ा कई लाख करोड़ का है। वर्तमान में ऐसी स्थिति

बनी है कि इस स्थिति को अगर तुरन्त ठीक नहीं किया गया या इस विषय में कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाये गए तो भारत सरकार की जो नेशनलाइज बैंकों में हिस्सेदारी है, वह हिस्सेदारी कम हो सकती है, क्या ऐसी कोई स्थिति वित्त मंत्रालय ने नोटिस की है?

श्री अरूण जेटली : यह स्थिति निश्चित रूप से चिन्ता की है, लेकिन इतनी गम्भीर नहीं है, जितनी आपके प्रश्न से प्रतीत हो रही है। आज भी जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, इनमें कंजरवेटिव और कन्वेंशल बैंकिंग की एक परम्परा रही है। इसी वजह से पूरे विश्व में आज से कुछ साल पहले जब बैंकिंग संकट आया था तो भारत उस प्रकार की बैंकिंग की वजह से उस संकट से से भी बचा रहा था

जब अर्थव्यवस्था धीमी होती है और जो लोग व्यवसाय करते हैं, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी कम होती है, तो स्वाभाविक है कि इस प्रकार की परिस्थिति पैदा होती है। इसके साथ-साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जानबूझकर बैंकों का पैसा लेकर उसे डायवर्ट करते हैं। इन सारे कारणों की वजह से पिछले दो-तीन वर्षों में बैंक्स के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स भी बढ़े हैं। जैसा मैंने उत्तर में आंकड़ा दिया, इसके अलावा स्ट्रेस्ड एसेट्स भी बढ़े हैं, उनकी संख्या भी बढ़ी है। स्ट्रेस्ड एसेट्स वे हैं, जहां कंपनी काम कर रही है, अभी वह घाटे में है, लेकिन उसके लोन को रीस्ट्रक्चर करते हैं, ताकि कंपनी बंद न हो जाए, उसके कर्मचारी रोजगार से बाहर न हो जाएं, तो इसलिए उनको और सुविधा देते हैं, ताकि वह कंपनी दोबारा खड़ी हो सके। इससे कर्मचारियों का रोजगार भी बच जाए, कंपनी अपना प्रोडक्शन भी करती रहे और वह पैसा वापस दे दे। इनकी संख्या बढ़ी है। यह विषय गंभीर और चिंता का है। इसलिए बैंक्स इस दिशा में कार्रवाई कर रहे हैं। जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है, इस पर कड़ी नजर हम लोग बनाये रखते हैं। मेरी हाल में बैंक्स के सभी चेयरमैंस के साथ इस विषय पर अलग से बैठक हुयी और उनसे बातचीत हुयी। हम लोग स्थिति को नियंत्रण में लायेंगे और बैंक्स भी इसके लिए काफी डिटरमेंड हैं कि एनपीएज की संख्या कम हो। हम डी.आर.टी की बेंचेज बढ़ा रहे हैं, अपील ट्रिब्युनल्स उसके अंदर बढ़ा रहे हैं, ताकि वसूली की जो कार्रवाई है, उसे भी हम थोड़ा शीघ्र एक्सपीडाइट कर पाएँ।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न सं. 186 - श्री विनसेंट एच. पाला - उपस्थित नहीं।

प्रो. सौगत राय – उपस्थित नहीं।

[हिन्दी]

दोनों माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं है। मिस्टर मिनिस्टर आप रिप्लाई टेबल पर ले कर दीजिए। इस विषय पर वैसे भी पहले पूरक प्रश्न हो चुके हैं।

... (व्यवधान)

(प्रश्न संख्या 186)

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री (श्री नरेन्द्र मोदी) : महोदया, इस पर सवाल तो नहीं आया। प्लानिंग कमीशन के विषय में यह प्रश्न है। बहुत विस्तार से कंसल्टेशन का प्रयास किया गया है। जिनकी स्वयं रूचि है, जिनके पास ज्ञान है और जिनके पास अनुभव है, उन सब को जोड़कर आने वाले पांच-दस वर्ष तक कैसे इंस्टीट्यूट काम करे, इस पर विचार-विमर्श चला है। 7 तारीख को मैंने सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाया है। उनके साथ भी विस्तार से विचार-विमर्श करेंगे। प्लानिंग कमीशन में पहले भी अन्दर यह काफी चर्चा रही है कि इसमें समयानुकूल परिवर्तन कैसे लाया जाया, उन्हीं चीजों को आगे लेकर एक नये स्वरूप की दिशा में प्रयास चल रहा है।

(प्रश्न संख्या 187)

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण गिलुवा : अध्यक्ष महोदया, सरकार का उत्तर मिल गया है। रक्त दान महादान है, इस संबंध में, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि उपभोक्ताओं की हितों की रक्षा के लिए विशेष रूप से निजी क्षेत्र के रक्त बैंकों के कार्यकलाप को विनियमित करने के लिए क्या तंत्र स्थापित किया गया है या आने वाले दिनों में उसके लिए क्या योजना है?

श्री जगत प्रकाश नड्डा : अध्यक्ष महोदया, यह ब्लड बैंक से संबंधित प्रश्न है। देश में कुल 2635 स्टेट और यूनियन टैरिटोरिवाइज ब्लड बैंक्स हैं। इन ब्लड बैंक्स को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया और स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटिज के कोऑर्डिनेशन से लाइसेन्स दिए जाते है, इसलिए लाइसेन्स देने का आधिकार ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को है वह सारे पैरामीटर्स को देख कर लाइसेन्स देते हैं। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया और एड्स कंट्रोल सोसयाटिज स्थान-स्थान पर और समय-समय पर सरप्राइज इन्सपैक्शन करती हैं और वे इन्सपैक्शन के साथ-साथ यह देखती हैं कि क्वालिटी ब्लड और सेफ ब्लड दिया जा रहा है या नहीं और साधारण व्यक्ति को ऐक्सेस टू ब्लड है या नहीं है। इस तरीके का यह कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग प्रोसेस है। इसी प्रोसेस को एनकरेज करने के लिए हम वालन्टरी ब्लड डोनेशन को एनकरेज करते हैं और उसके लिए अवेयरनेस का प्रोग्राम भी चलाते हैं। हमने नेशनल ब्लड ट्रासफ्रयूजन सर्विसेज को कोऑर्डिनेशन स्टीयरिंग कमेटी के रूप में परिवर्तित किया है। यह कमेटी हर तीन महीने में मिलती है और अपने इन्सपेक्शन की रिपोर्ट की चर्चा करती है। इसको कैसे आधिक अच्छा बनाया जा सके इसके लिए हम प्रयासरत है।

मैं एक बात आपके माध्यम से इस हाउस में शेयर करना चाहता हूं कि ब्लड ऐक्सस के मामले में, डब्ल्यू.एच.ओ. ने दुनिया के 51 देशों को हाई लेवल पालिसी मेकर्स में शामिल किया है उसमें भारत भी आता है - [अनुवाद] स्वैच्छिक गैर-लाभकारी दान के आधार पर आत्मनिर्भरता और सुरक्षित रक्त, रक्त उत्पाद प्राप्त

करने के लिए। [हिन्दी] यानी हम डब्ल्यू.एच.ओ के वर्ल्ड स्डैन्र्ड के अंतर्गत उन 51 देशों में आते हैं जो सेफ ब्लड, ऐक्सेस टू ब्लड और क्वालिटी ब्लड देने में सफल रहा है। ये हमारे प्रयास हैं। हम जो इन्सपेक्शन करते हैं, हम ने उसकी भी डिटेल्स रिपोर्ट दी है जिसमें हमने बताया है कि हम किस तरीके से समय-समय पर इन्सपेक्शन करते हैं। पिछले तीन सालों में हमने जो ऐक्शन लिए हैं, उनकी भी जानकारी उन्हें दी है। यदि उनके पास कोई स्पेसिफिक केस होगा तो हम उसको भी देखेंगे।

डॉ. मनोज राजोरिया : अध्यक्ष महोदया, ब्लड बैंक्स दुर्घटना के समय या आवश्यकता के समय मरीज की जान बचाने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। यह सेवा का एक बहुत बड़ा माध्यम है, लेकिन यह बहुत दुःख की बात है कि कुछ ब्लड बैंक्स ने इसे सेवा की बजाय व्यवसाय बना रखा है। जो ब्लड बैंक्स सही कार्य नहीं कर रहे हैं उनकी इरेगुलरिटिज को रोकने के लिए मंत्री जी ने कुछ योजनाओं की जानकारी दी है। मैंने उन्हें पढ़ा है। योजना जितनी बड़ी होनी चाहिए उतनी बड़ी नहीं है, उसमें सिर्फ एनुअल इन्सपेक्शन और सरप्राइज विजिट की बात की गई है। आज इस आधुनिक आई.टी के युग में, जब मरीज परेशान होते हैं तो उन्हें ब्लड के लिए दर-दर भटकना पड़ता है, उन्हें मालूम होना चाहिए कि "ओ' पॉजिटिव ब्लड या "ए.बी.' पॉजिटिव ब्लड उपलब्ध है या नहीं? आज के इस आधुनिक युग में क्या स्वास्थ्य मंत्रालय के पास कोई ऐसी योजना है जिससे कि सभी ब्लड बैंक्स में कितना ब्लड किस ग्रुप का अवेलबल है, जब कभी मरीज या अस्पताल को ब्लड की आवश्यकता हो तो नेट पर उसे देख सके और उस ब्लड बैंक के द्वारा मरीज को या उनके परिजन को ब्लड तुरंत उपलब्ध हो जाये।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि क्या सरकार की कोई ऐसी योजना है कि देश भर के सभी ब्लड बैंकों को आई.टी. के माध्यम से ऑनलाइन जोड़ा जाये ताकि इनका लाभ मरीजों को मिले ?

श्री जगत प्रकाश नड्डा : महोदया, सुझाव अच्छा है, विभाग इस पर विचार करेगा और हम डिजिटलाइजेशन की ओर जा रहे हैं इस दृष्टि से आम व्यक्ति को लाभ होने वाला है, इस पर विचार करेंगे।

[अनुवाद]

डॉ. के. कामराज : माननीय अध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से, मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या भारत में केवल 2,635 रक्त बैंक ही हैं। इसमें से अधिकांश ब्लड बैंक प्राइवेट ब्लड बैंक हैं। हमारे पास केवल 1,024 ब्लड बैंक हैं। हमारे पास लगभग 576 तहसील हैं; अधिकांश रक्त बैंक निजी क्षेत्र के स्वामित्व वाले हैं। भारतीय चिकित्सा संघ कुछ ब्लड बैंक चलाता है। क्या सरकार हर उस जगह पर ब्लड बैंक शुरू करने की योजना बना रही है जहां पर भारतीय चिकित्सा संघ की उपस्थिति है? क्या प्रत्येक तालुक में ब्लड बैंक शुरू करने की कोई योजना है?

श्री जगत प्रकाश नड्डा: जी नहीं। हम अपनी अवसंरचना का विस्तार कर रहे हैं, जो एक सतत प्रक्रिया है। जहां तक आई.एम.ए. के साथ समन्वय का संबंध है, कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। अगर हमें कोई प्रस्ताव मिलता है, तो सरकार उस पर विचार करेगी।

[हिन्दी]

डॉ. किरिट पी. सोलंकी : महोदया, रक्तदान एक बड़ी प्रवृत्ति है, क्योंकि रक्त बन नहीं सकता है, वह किसी को देना ही पड़ता है। मैं रक्तदान की प्रवृत्ति के बारे में प्रश्न पूछने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं गुजरात से आता हूं, अहमदाबाद मेरा संसदीय क्षेत्र है। गुजरात में रक्तदान की प्रणाली ऐसी है कि वहां सबसे ज्यादा लोग रक्तदान करते हैं। अहमदाबाद में 100 बार रक्तदान करने वालों की संख्या अनगिनत है। मैं मंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि रक्तदान में लोक भागीदारी और उसे जन-आंदोलन में परिवर्तित करने के लिए क्या सरकार ने कोई योजना बनाई है? जो रक्तदाता है, उनका सम्मान करके इस प्रवृत्ति को और आगे ले जाने के लिए लोक भागीदारी के साथ कोई योजना बनाई है?

श्री जगत प्रकाश नड्डा : महोदया, लोगों की भागीदारी के लिए विभाग द्वारा कार्यक्रम चलते हैं, अवेरनेस के प्रोग्राम चलते हैं, जो लोग ब्लड डोनेशन में वोलेंटरली आगे आते हैं, उनको पुरस्कृत भी किया जाता है। इस दृष्टि से अवरनेस के प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं, लेकिन गुजरात अनुकरणीय है। इसलिए वहां की अवरनेस लेवल

बहुत हाई है। वहां पर बहुत बड़ी संख्या ब्लड डोनर की है। वहां ब्लड बैंक के साथ-साथ, ब्लड डायरेक्टरी का भी बहुत उपयोग किया जाता है। निश्चित रूप से हम उसको अनुकरण करने का प्रयास करेंगे।

(प्रश्न संख्या 188)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न - 188

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले - उपस्थित नहीं।
डॉ. हिना विजयकुमार गावीत - उपस्थित नहीं।

माननीय मंत्री जी आप अपना उत्तर दें

[अनुवाद]

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कर्नल राज्यवर्धन राठौर): (क) से (ग) सभा पटल पर एक विवरण रखा गया है।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : इस पर कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न - 189

श्री एम. मुरली मोहन - उपस्थित नहीं।
श्री सुनील कुमार मण्डल - उपस्थित नहीं।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव ।

(प्रश्न संख्या 189)

[हिन्दी]

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : महोदया, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, हिन्दुस्तान में जो प्राइवेट निजी मेडिकल कॉलेज हैं, उनमें जो बच्चे एडमीशन कराने जाते हैं, उनसे मनमर्जी पैसा लिया जता है, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख और 50 लाख रुपये। अगर कोई पी.जी. करने जाता है तो करोड़ में उनसे रुपये लिए जाते हैं। इस तरह का रोजगार पढ़ाई में चल रहा है। पढ़ाई में इतना पैसे खर्च करने के बाद वह डॉक्टर गांव में जाना नहीं चाहता, गांव के अस्पताल में नहीं रहना चाहता है, क्योंकि ये सभी बड़े बाप के बच्चे हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि निजी मेडिकल कॉलेजों में इस तरह की लूट न हो, इस पर कोई नियंत्रण हो। सरकार द्वारा निधाररित कर दिया जाए कि पैसे के बल पर डिग्री न बिके, साधारण बच्चे भी मेडिकल की डिग्री ले सकें।

श्री जगत प्रकाश नड्डा : अध्यक्ष महोदया, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और विभाग इस बारे में सजग है। हमारे अपने मौनीटरिंग प्रौसैस चलते रहते हैं, लेकिन फिर भी इसमें कुछ और करने की आवश्यकता है। सदस्य महोदय के सेंटीमेंट्स को हम ध्यान में रखेंगे।

---

*प्रश्नों के मौखिक उत्तर

(तारांकित प्रश्न संख्या 181 से 189) प्रश्नों के लिखित उत्तर (तारांकित प्रश्न संख्या 190 से 200) अतारांकित प्रश्न संख्या (2071 से 2300)

* प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए। https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

रक्षा मंत्री (श्री मनोहर पर्रिकर): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ

(1) डिफेंस इंस्टिट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, पुणे के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) डिफेन्स इंस्टिट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, पुणे के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 967/16/14]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री जगत प्रकाश नड्डा): महोदया, मैं सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 की धारा 31 की उपधारा (3) के अंतर्गत सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) संशोधन नियम, 2014 जो 15 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.727(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 968/16/14]

योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री और रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(क) (एक) मझगांव डॉक लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) मझगांव डॉक लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2013-2014 की वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेख परीक्षक की टिप्पणियाँ।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 969/16/14]

(ख) (एक) हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे, और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 970/16/14]

(ग) (एक) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 971/16/14]

(2) (एक) हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, दार्जिलिंग के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, दार्जिलिंग के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 972/16/14]

(3) (एक) नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, उत्तरकाशी के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, उत्तरकाशी के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 973/16/14]

(4) (एक) जवाहर इंस्टिट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एण्ड विंटर स्पोर्ट्स, पहलगाम के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जवाहर इंस्टिट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एण्ड विंटर स्पोर्ट्स, पहलगाम के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 974/16/14]

(5) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एण्ड एलायड स्पोर्ट्स, दिरांग के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एण्ड एलायड स्पोर्ट्स, दिरांग के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 975/16/14]

(6) (एक) कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 976/16/14]

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ: -

(1) (एक) सेंट्रल पल्प एण्ड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट, सहारनपुर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल पल्प एण्ड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट, सहारनपुर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 977/16/14]

(2) (एक) चेन्नई एनवायरमेंटल मैनेजमेंट कंपनी ऑफ टैनर्स, चेन्नई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चेन्नई एनवायरमेंटल मैनेजमेंट कंपनी ऑफ टैनर्स, चेन्नई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 978/16/14]

(3) (एक) सेंट्रल मैन्यूफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टिट्यूट, बैंगलोर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल मैन्यूफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टिट्यूट,बंगलौर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 979/16/14]

(4) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(क) (एक) एमएमटीसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के लिए कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एमएमटीसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 980/16/14]

(ख) (एक) स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 981/16/14]

(5) विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा 18 की उपधारा (8) के अंतर्गत अमोनियम नाइट्रेट (संशोधन) नियम, 2014 जो 28 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.622(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 982/16/14]

(6) उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 की धारा 18छ के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 2619(अ) जो 14 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 11 अक्तूबर, 2004 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1105(अ) में कतिपय संशोधन किये गए हैं, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 983/16/14]

(7) व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 157 की उपधारा (4) के अंतर्गत व्यापार चिह्न (संशोधन) नियम 2014 जो 1 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 555(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 984/16/14]

(9) (एक) बेसिक केमिकल्स फार्मास्यूटिकल्स कॉस्मेटिक्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (केमेक्सिल), मुंबई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बेसिक केमिकल्स फार्मास्यूटिकल्स कॉस्मेटिक्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (केमेक्सिल), मुंबई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 985/16/14]

(10) (एक) शेलैक एण्ड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल (पूर्ववर्ती शेलैक एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल), कोलकाता की वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) शेलैक एण्ड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल (पूर्ववर्ती शेलैक एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल), कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) शेलैक एण्ड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल (पूर्ववर्ती शेलैक एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल), कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 986/16/14]

(11) (एक) प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2013-2014 वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी एवं अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 987/16/14]

(12) (एक) एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर ईओयू एण्ड एसईजेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर ईओयू एण्ड एसईजेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 988/16/14]

वित्त मंत्री, कॉरपोरेट कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री अरुण जेटली): महोदया,

श्री जयंत सिन्हा की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) एम्पावर्ड कमिटी ऑफ स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एम्पावर्ड कमिटी ऑफ स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 989/16/14]

(2) (एक) सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 990/16/14]

(3) (एक) इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एण्ड इकोनॉमिक चेंज, बंगलौर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एण्ड इकोनॉमिक चेंज, बंगलौर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 991/16/14]

(4) (एक) सेंटर फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स (दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स-यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली), दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स (दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स-यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली), दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 992/16/14]

(5) (एक) इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 993/16/14]

(6) (एक) मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, चेन्नई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, चेन्नई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 994/16/14]

(7) (एक) प्रतीची (इंडिया) ट्रस्ट, दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रतीची (इंडिया) ट्रस्ट, दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 995/16/14]

(8) (एक) एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 996/16/14]

(9) (एक) आईडीबीआई बैंक, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आईडीबीआई बैंक, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 997/16/14]

(10) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) 1.4.2014 से 3.6.2014 तक की अवधि के लिए इंडस्ट्रियल इंवेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (आईआईबीआई का स्वैछिक रूप से इक्विटी शेयर धारकों के लिए परिसमापन करना), कोलकाता के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) 1.4.2014 से 3.6.2014 तक की अवधि के लिए इंडस्ट्रियल इंवेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (आईआईबीआई का स्वैछिक रूप से इक्विटी शेयर धारकों के लिए परिसमापन करना), कोलकाता के बारे में परिसमापक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 998/16/14]

(ख) (एक) यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 999/16/14]

(ग) (एक) न्यू इंडिया एश्युरेंस कंपनी लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) न्यू इंडिया एश्युरेंस कंपनी लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 1000/16/14]

(घ) (एक) नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 1001/16/14]

(ङ) (एक) ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 1002/16/14]

(च) (एक) जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, मुंबई का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 1003/16/14]

(11) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) आयकर (सातवां संशोधन) नियम, 2014 जो 25 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में, अधिसूचना संख्या का.आ.1902(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) आयकर (आठवां संशोधन) नियम, 2014 जो 16 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में, अधिसूचना संख्या का.आ.2399(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) आयकर (नौवां संशोधन) नियम, 2014 जो 24 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में, अधिसूचना संख्या का.आ.2487(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 1004/16/14]

(12) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2014 जो 25 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलएडी-एनआरओ/जीएन/2014- 15/06/1372 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शोध विश्लेषक) विनियम, 2014 जो 1 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलएडी-एनआरओ/जीएन/2014-15/07/1414 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक ब्रोकर्स और सब-ब्रोकर्स) (संशोधन) विनियम, 2014 जो 8 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलएडी-एनआरओ/जीएन/2014-15/15/1671 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 1005/16/14]

(13) (एक) स्माल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, मुम्बई के वर्ष 2013-2014, के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्माल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, मुम्बई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 1006/16/14]

(14) सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 की धारा 15 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) डाक घर बचत बैंक सामान्य (संशोधन) नियम, 2014 जो 28 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.219 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) डाक घर बचत बैंक खाता (संशोधन) नियम, 2014 जो 28 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.220(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) डाक घर आवर्ती जमा (संशोधन) नियम, 2014 जो 28 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.221(अ)में प्रकाशित हुए थे।

(चार) डाक घर सावधि जमा (संशोधन) नियम, 2014 जो 28 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.222(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पाँच) डाकघर मासिक आय खाता (संशोधन) नियम, 2014 जो 28 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.223(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छः) वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम (संशोधन) नियम, 2014 जो 28 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.224(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (आठवां निर्गम) (संशोधन) नियम, 2014 जो 28 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.226(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (नोवां निर्गम) (संशोधन) नियम, 2014 जो 28 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.227(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) डाक घर सावधि जमा (संशोधन) नियम, 2014 जो 11 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.490(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) डाक घर आवर्ती जमा (संशोधन) नियम, 2014 जो 11 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.491(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम (संशोधन) नियम, 2014 जो 11 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.492(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) डाकघर (मासिक आय खाता) (संशोधन) नियम, 2014 जो 11 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.493(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) राश्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (आठवां निर्गम) (संशोधन) नियम, 2014 जो 11 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.494(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (नौवां निर्गम) (संशोधन) नियम, 2014 जो 11 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.495(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 1007/16/14]

(15) सरकारी बचत प्रमाणपत्र अधिनियम, 1959 की धारा 12 की उपधारा (3) के अंतर्गत किसान विकास पत्र नियम, 2014 जो 1 अक्टूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.705(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1008/16/14]

(16) लोक भविष्य निधि अधिनियम,1968 की धारा 12 के अंतर्गत लोक भविष्य निधि स्कीम (संशोधन) नियम, 2014 जो 28 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.225(अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1009/16/14]

(17) लोक भविष्य निधि अधिनियम 1968 की धारा 5 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि.496(अ) जो 11 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थी, जिसमें अधिसूचित किया गया है कि 1 अप्रैल, 2014 को अथवा उसके पश्चात् निधि में प्राप्त अभिदान और अभिदाता के खाते में शेष जमा पर 8.7 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जाएगा, दूसरा परंतुक, अंतःस्थापित किया जाएगा, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1010/16/14]

(18) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 बैंककारी विधि (संशोधन) अधिनियम, 1985 द्वारा यथासंशोधित की धारा 40 की उपधारा (4) और भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1989, बैंककारी विधि (संशोधन) अधिनियम, 1985 द्वारा यथासंशोधित की धारा 43 की उपधारा (3) के अंतर्गत स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1011/16/14]

(19) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, हैदराबाद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1012/16/14]

(20) वित्त आयोग (प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1951 की धारा 6 और 8 के साथ पाठित संविधान के अनुच्छेद 280 के अधीन अधिसूचना संख्या का.आ.2806 जो 1 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जो 14वें वित्त आयोग का कार्यकाल 31 दिसम्बर, 2014 तक बढ़ाए जाने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1013/16/14]

(21) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 53 के अंतर्गत पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (चेयरपर्सन और पूर्णकालिक सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें) नियम 2014, जो 20 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.597(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1014/16/14]

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कर्नल राज्यवर्धन राठौर): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 1015/16/14]

(2) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 की धारा 34 के अंतर्गत प्रसार भारतीय (भारतीय प्रसारण निगम) आकाशवाणी, समाचार वाचक-सह-अनुवादक (ग्रेड I), (ग्रेड II) और (ग्रेड III) भर्ती विनियम, 2014 जो 8 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एन-10/16/2013-पीपीसी में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1016/16/14]

———

<u>अपराह्न 12.02 बजे</u>

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति की अनुमति

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: 4 दिसंबर, 2014 को सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति के पहले प्रतिवेदन में सिफारिश की गई है कि निम्नलिखित सदस्यों को प्रत्येक के सामने उल्लिखित अवधि के लिए सदन की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति दी जाए:

1.	श्रीमती हेमा मालिनी	07.07.2014 से 31.07.2014
2.	श्री दीपक गुरुपद अधिकारी	07.07.2014 से 21.07.2014
3.	श्री गुत्था सुकेंद्र रेड्डी	16.07.2014 से 08.08.2014
4.	स्वर्गीय श्री कपिल कृष्ण ठाकुर	30.07.2014 से 14.08.2014
5.	श्री तापस पाल	07.07.2014 से 14.08.2014
6.	श्री सांवर लाल जाट	09.07.2014 से 14.08.2014
7.	श्रीमती मौसम नूर	24.11.2014 से 23.12.2014
8.	श्री एम.आई. शनवास	24.11.2014 से 23.12.2014

क्या यह सभा सहमत है कि समिति द्वारा सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति दी जाए ?

अनेक माननीय सदस्य: जी हाँ।

माननीय अध्यक्ष: अनुमति दी जाती है। सदस्यों को तदनुसार सूचित किया जाएगा।

अपराह्न 12.03 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

योजना मंत्रालय से संबंधित गरीबी रेखा से नीचे के मानदंड का मूल्यांकन करने संबंधी समिति के 32वें प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 72वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं 1 सितंबर, 2004 के लोक सभा समाचार भाग II के माध्यम से माननीय लोक सभा अध्यक्ष के निदेश 73-क के अनुसरण में "गरीबी रेखा से नीचे के मानदंड का मूल्यांकन करने सम्बन्धी समिति के 32वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही" विषयक वित्त संबंधी स्थायी समिति के 72वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य देने का अवसर प्राप्त होने को मैं अपना सौभाग्य समझता हूं।

वित्त संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) का 72वां प्रतिवेदन 7 अगस्त, 2013 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था। 72वां प्रतिवेदन गरीबी रेखा से नीचे के मानदंडों के मूल्यांकन से संबंधित है। प्रतिवेदन में, समिति ने विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया और 5 सिफारिशें की हैं, जिन पर सरकार की ओर से कार्रवाई अपेक्षित है। ये सिफारिशें मुख्य रूप से बी.पी.एल. के पहचान मानदंड और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के सुव्यवस्थित और पुनर्गठन/पुनर्निर्धारण संबंधी मुद्दों से संबंधित हैं।

* ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल.टी. 1017/16/14

प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की-गई-कार्रवाई विवरण 6 नवंबर, 2013 को वित्त संबंधी स्थायी समिति को भेजे गए थे। 72वें प्रतिवेदन में समिति द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति अनुबंध में दी गई है।

मैं अनुबंध की विषय-वस्तु पढ़ने के लिए सभा का मूल्यवान समय नहीं लेना चाहूंगा। मैं अनुरोध करूंगा कि इसे पठित रूप में लिया जाए।

<u>अपराह्न 12.04 बजे</u>

सभा का कार्य

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): माननीय अध्यक्ष महोदया, आपकी अनुमति से, मैं यह घोषणा करता हूं कि सोमवार, 8 दिसंबर, 2014 को शुरू होने वाले सप्ताह के दौरान सरकारी कार्य में निम्नलिखित मदें शामिल की जाएंगी:-

1. आज के आदेश पत्र से लिए गए सरकारी कार्य के किसी भी मद पर विचार करना।
2. संदाय और परिनिर्धारण प्रणाली (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार करना और उसे पारित करना।
3. विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2014 पर विचार करना और उसे पारित करना।
4. वर्ष 2014-15 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर चर्चा करना और मतदान करना।
5. संबंधित विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, विचारण और उसे पारित करना।
6. यान हरण निवारण (संशोधन) विधेयक, 2010 को राज्य सभा द्वारा पारित किए जाने के बाद उस पर विचार करना और उसे पारित करना।
7. अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए कोयला खान (विशेष उपबंध) विधेयक, 2014 का पुरःस्थापन,उस पर विचार करना तथा उसे पारित करना।

[हिन्दी]

श्री रामदास सी. तडस (वर्धा) : अध्यक्ष महोदया, मेरा आग्रह है कि अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित समस्याओं को जोड़ने की कृपा करें।

1. विदर्भ में कपास एवं सोयाबीन उत्पादक किसानों को भारी नुकसान होने से उत्पन्न स्थिति के समाधान की आवश्यकता है।
2. वर्धा में प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत हुए कार्य में भारी भ्रष्टाचार की शिकायत मिली है। उसकी जांच कराने एवं भ्रष्टाचार समाप्ति हेतु कड़े कानून की आवश्यकता है।

माननीय अध्यक्ष : आपके दो विषय ही हैं।

श्री शैलेश कुमार (भागलपुर): अध्यक्ष महोदया, कृपया निम्नलिखित दो विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में जोड़ लिया जाएः

1. देश के विभिन्न भागों में नक्सली घटनाओं में सामान्य नागरिक सहित पुलिसकर्मियों की हत्या हो रही है, जिससे भारी जान-माल का नुकसान हो रहा है। नक्सली अपने मकसद में लगातार कामयाब हो रहे हैं। अतः नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लगातार हो रही घटनाओं पर आविलम्ब कार्रवाई कर नक्सली घटनाओं पर अंकुश लगाये जाने की आवश्यकता के संबंध में।

2. बिहार राज्य के भागलपुर सहित देश के सभी आविकसित पर्यटन स्थलों के सौन्दर्यीकरण तथा पर्यटन की दृष्टि से आवश्यक सभी आधारभूत संरचनाओं के लिए आतिशीघ्र विकास कार्य करने हेतु धन उपलब्ध कराकर पर्यटन केन्द्र के रूप में स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।

[अनुवाद]

श्री बदरुद्दीन अजमल (धुबरी): महोदया, मुझे कृपया अगले सप्ताह के लिए कार्य सूची में निम्नलिखित मुद्दों शामिल किया जाए और इन्हें चर्चा के लिए उठाने की अनुमति दी जाए:

1. भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से असम के चाय कामगारों को खाद्यान्न की आपूर्ति का मुद्दा वर्ष 1946 से चल रहा है, लेकिन अब सरकार इसे रोकने की योजना बना रही है और इससे असम में 19 लाख से अधिक चाय श्रमिकों के परिवारों प्रभावित होंगे।
2. ब्रह्मपुत्र नदी पर धुबरी-फुलबाड़ी पुल, जो असम और मेघालय राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ेगा, के निर्माण के लिए असम के लोगों की मांग काफी समय से लंबित है। वर्तमान में, लोग अपनी जान जोखिम में डालकर लंबी दूरी की सड़क यात्रा या धुबरी और फुलबाड़ी के बीच पानी के रास्ते से यात्रा करते हैं।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आपने दो विषय ही दिये थे।

श्री बदरुद्दीन अजमल : मैडम, मैंने तीन विषयों के बारे में बताया था। कृपया, तीसरा विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है।

3. [अनुवाद]

केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय द्वारा उत्तर-पूर्व औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति-2007 का निलंबन जो निकट क्षेत्र के औद्योगिक विकास को प्रभावित करेगा।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा -उपस्थित नहीं।

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरा आपसे निवेदन है कि निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्य सूची में सम्मिलित किया जाएः-

1. गुजरात में ऑल इण्डिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंस जैसी संस्था खोली जाए।
2. अहमदाबाद बडोदरा एक्सप्रैस वे को मुंबई तक बढ़ाया जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री रामचरण बोहरा -उपस्थित नहीं।

प्रो. सौगत राय -उपस्थित नहीं।

श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किये जाने का अनुरोध करता हूँ

मैं आदरणीय कपड़ा मंत्री का ध्यान अपने लोकसभा क्षेत्र अंबाला के उत्तर भारत की प्रसिद्ध कपड़ा मार्केट की ओर दिलाना चाहता हूँ। यहाँ पर दूर-दूर से ग्राहक व छोटे कपड़ा व्यापारी कपड़ा खरीदने के लिए आते हैं। यहाँ पर वर्ष में लगभग 2500 करोड़ रुपए का कपड़े का व्यापार होता है। परंतु सरकार की ओर से इस क्षेत्र में पिछले कई दशकों से टेक्सआइल गतिविधियाँ बढ़ाने के लिए न तो कोई ठोस प्रयास किया गया है और न ही कोई बुनियादी ढांचा खड़ा किया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने " मेक इंन इंडिया " का नारा दिया है, यदि सरकार यहाँ पर कपड़े के उत्पादन व टेडिंग के लिए कलस्टर सिस्टम लागू कर दें तो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ व पंजाब जैसे राज्यों का गेटवे ऑफ हरियाणा माना जाना वाला यह अंबाला शहर भारत के कपड़ा व्यापार में निर्णायक भूमिका निभा सकता है तथा रोजगार के नये-नये अवसर पैदा कर सकता है। हरियाणा में कपास की खेती भी खूब होती है। डिवीजन लेवल के सभी रेलवे नेटवर्क भी यहां पर उपलब्ध है।

मैं सरकार से मांग करता हूँ कि अंबाला के कपड़ा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए यहां पर कलस्टर सिस्टम लागू किया जाये।

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती रंजीत रंजन -उपस्थित नहीं।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पु यादव - उपस्थित नहीं।

[अनुवाद]

शहरी विकास मंत्री, आवासन और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वेंकैय्या नायडू): महोदया इन मुद्दों पर सदस्य संबद्ध होना चाहते थे, जहां तक सरकार का संबंध है, पहले ही दिन से, मैं यह कह रहा हूं कि हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमें सदन के समय का ध्यान रखना चाहिए। हमने आपके सभापतित्व में कार्य मंत्रणा समिति में यह भी निर्णय लिया है कि हर सप्ताह हम दो महत्वपूर्ण मुद्दे उठाएंगे।

प्राथमिकता के बारे में, सदस्यों के अनुरोध के बारे में यदि अध्यक्षपीठ मंत्रियों की उपयुक्तता का पता लगाने के बाद निर्णय लेती है, तो हमें कोई समस्या नहीं है। मैं इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं।

दूसरी बात, महोदया, आज मुझे उम्मीद थी कि सभा में कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी रहेंगे ताकि हम विधेयक पर विचार कर सकें। कल हम विधेयक पर चर्चा कर रहे थे और इसी बीच यह सोचकर उस चर्चा को बंद कर दिया गया था कि वे आज यहां होंगे और फिर हम इस पर विचार करके इसे पारित कर सकते हैं। दुर्भाग्य से, अज्ञात कारणों से, वे बाहर चले गए हैं। मुझे उम्मीद है कि वे संसद के महत्व और लोगों की अपेक्षाओं को समझेंगे, सभा में वापस आएंगे और वाद-विवाद में भाग लेंगे।

महोदया, एक तरफ हम मुद्दे उठाने की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ, जब मुद्दों पर चर्चा करने की अनुमति होती है और आप सभा में नहीं रहते हैं तो याद रखिए आप हम सभी को चुनकर यहाँ भेजने वाली जनता के हितों को नुकसान पहुंचा रहे हैं।

कल, अध्यक्षपीठ के बारे में भी कोई दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी की गई थी जो आज मीडिया में आई है और जिसमें कहा गया है कि अध्यक्ष दबाव में काम कर रहे है। मैं विनम्रतापूर्वक एक बात कहना चाहता हूं। मुद्दे उठाए गए, उन पर चर्चा की गई और फिर जवाब भी दिए गए। मंत्री आए, माफी मांगी और फिर खेद व्यक्त किया और वह मुद्दा खत्म हो गया।

एक दिन हम अन्य सभी मुद्दों पर चर्चा करते हैं। दूसरे दिन, कांग्रेस पार्टी के मेरे मित्र किसके दबाव में, किसके कहने पर ऐसा कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। उन्हें इसका जवाब देना होगा।

अध्यक्ष को छोड़िए सभा किसी के भी दबाव में काम नहीं करती है। अध्यक्ष हमारे संसदीय लोकतंत्र में सर्वोच्च पद है। महोदया, जैसा कि आप कह रही हैं, हमें व्यक्ति का नहीं अपितु अध्यक्षपीठ का सम्मान करना चाहिए। तब वे चाहते थे कि माननीय प्रधानमंत्री जवाब दें। माननीय प्रधान मंत्री जी ने राज्य सभा में जाकर एक वक्तव्य दिया। माननीय प्रधानमंत्री यहां आए और वक्तव्य दिया। वह पूरे प्रश्नकाल में यह सोचकर बैठ गए कि वहां कुछ हो सकता है। उन्होंने योजना आयोग जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी प्रश्नकाल में हस्तक्षेप किया क्योंकि लोगों में यह जानने की बहुत चिंता और जिज्ञासा है कि योजना आयोग का क्या हो रहा है। इस पर उन्होंने कहा

कि वह कल मुख्यमंत्री सम्मेलन बुला रहे हैं। इसलिए, ऐसा स्थिति में मुझे उम्मीद है कि हमारे कांग्रेस पार्टी के दोस्तों को इसका एहसास होगा।

मैं कई बड़े लोगों द्वारा की गई बड़ी टिप्पणी को रिकॉर्ड कराना चाहूंगा, जिन्हें अधिक अनुभव है और जिन्होंने कई बार दल बदले हैं और गलतियां की हैं तथा ऐसे वक्तव्य दिए हैं जो लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं हैं, फिर भी वे दंड से बच गए। एक बेचारी महिला ने, पहली बार सभा में आकर खेद व्यक्त किया है। महोदया, मैं आदरणीय अलेक्जेंडर पोप की एक पंक्ति पढ़ना चाहता हूं, और मैं उद्धृत करता हूं: "सभी लोग पाप करते हैं और गलतियां करते है भगवान उन्हें माफ कर देता है और लोग भगवान की तरह अभिनय कर रहे हैं जब वो माफ़ कर देते हैं।" इस तरह वे कहते हैं कि गलती करना मानवीय है; क्षमा करना दिव्य है। मैं कहता हूँ कि गलती करना मानवीय है; इसे स्वीकार करना महान है; और फिर इसे क्षमा करना दिव्य है। उन्हें समझना चाहिए। इसलिए, कोई भी श्री बेनी प्रसाद वर्मा को कुछ नहीं कह रहा है; कोई भी श्री तापस पाल को कुछ नहीं कह रहा है; कोई भी श्री मणि शंकर अय्यर को कुछ नहीं कह रहा है; कोई भी श्री दिग्विजय सिंह जी और कई अन्य लोगों को कुछ नहीं कह रहा है, जिन्होंने अनेक अवसरों पर अनेक बातें कही हैं। मैं किसी पर कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूं और मैं लगाना चाहता भी नहीं हूँ।

लेकिन कृपया एक बात समझिए। देश को भी यह पता होना चाहिए कि सरकार चाहती है कि सभा ठीक से चले। हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। माननीय प्रधान मंत्री जरूरत पड़ने पर वाद-विवाद में शामिल होने को भी तैयार हैं। मैं कुछ विपक्षी दलों से अनुरोध करूंगा - मैं 'विपक्ष' शब्द का उपयोग नहीं करूंगा क्योंकि असम, तमिलनाडु, तेलंगाना, ओडिशा, पंजाब के हमारे मित्रों सहित कई विपक्षी दल यहां मौजूद हैं। वे सभी वाद-विवाद में शामिल हो रहे हैं। हमने एक स्वस्थ वाद-विवाद किया। हम आज कई प्रश्न रख पाए। यह एक आदर्श स्थिति होनी चाहिए।

इसलिए, मैं एक बार पुनः कांग्रेस पार्टी और उसके दोस्तों से अपने अनुरोध को पुनः करना चाहूँगा: "कृपया सभा में वापस आएं और वाद-विवाद में शामिल हों। आइए, हम इस सभा की प्रतिष्ठा को बढ़ाएं और लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करें।" यह सरकार की ओर से मेरा अनुरोध है। मुझे उम्मीद है कि उन्हें इसका

एहसास बाद में होगा क्योंकि इस तरह का रवैया किसी की मदद नहीं करेगा। दूसरी ओर, यदि आप बाधा डालते हैं तो इसका प्रतिरोध तेजी से बढ़ेगा। यदि आप बाधा डालते हैं, तो यह आप लोगों को भी सहन करना पड़ेगा; मैं यह एक दल के लिये नहीं कहता हूँ, जो भी ऐसा करेगा उसे सहन करना पड़ेगा। तो, कृपया समझने की कोशिश करें। अंतिम निर्णय जनता के पास होता हैं। वे तय करेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं।

धन्यवाद।

अपराह्न 12.14 बजे

समितियों के लिए निर्वाचन

(एक) पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान संस्थान की शासी परिषद

(अनुवाद)

माननीय अध्यक्ष: अब, हम मद संख्या 18 लेंगे - पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान संस्थान शिलांग की शासी परिषद के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव।

श्री जगत प्रकाश नड्डा बोलेंगे।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री जगत प्रकाश नड्डा): मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:-

"कि पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग के नियमावली के नियम 4(ख) के साथ पठित नियम 3(ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीती से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियमावली के अन्य उपबंधों के अध्यधीन पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग की शासी परिषद के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग के नियमावली के नियम 4(ख) के साथ पठित नियम 3(ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीती से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियमावली के अन्य उपबंधों के अध्यधीन पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग की शासी परिषद के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(दो) भारतीय क्षय रोग संघ

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री जगत प्रकाश नड्डा): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि भारतीय क्षय रोग संघ के नियमों और विनियमों के नियम 3 (छह)(क) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दे, उक्त नियमों और विनियमों के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाई गई उपविधियों के अध्यधीन भारतीय क्षय रोग संघ की केन्द्रीय समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

माननीय अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

> "कि भारतीय क्षय रोग संघ के नियमों और विनियमों के नियम 3 (छह)(क) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दे, उक्त नियमों और विनियमों के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाई गई उपविधियों के अध्यधीन भारतीय क्षय रोग संघ की केन्द्रीय समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(तीन) रबड़ बोर्ड

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण): महोदया, मैं प्रस्ताव करती हूँ:

"कि रबर नियम, 1955 के नियम 4 के उप-नियम (1) के साथ पठित रबड़ अधिनियम, 1947 की धारा 4 की उपधारा (3)के खंड (ङ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य,ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निर्देश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाये गए नियमों के अध्यधीन रबड़ बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि रबर नियम, 1955 के नियम 4 के उप-नियम (1) के साथ पठित रबड़ अधिनियम, 1947 की धारा 4 की उपधारा (3)के खंड (ङ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य,ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निर्देश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाये गए नियमों के अध्यधीन रबड़ बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(चार) राजघाट समाधि समिति

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबुल सुप्रियो): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि राजघाट समाधि समिति अधिनियम, 1951 की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, सरकार द्वारा अधिसूचना की तारीख से प्रारंभ होने वाली अवधि के लिये राजघाट समाधि समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः

> "कि राजघाट समाधि समिति अधिनियम, 1951 की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, सरकार द्वारा अधिसूचना की तारीख से प्रारंभ होने वाली अवधि के लिये राजघाट समाधि समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(अनुवाद)

माननीय अध्यक्ष : अब सभा 'शून्य काल' पर चर्चा करेगी। श्री राधेश्याम बिश्वास बोलेंगे।

श्री राधेश्याम बिश्वास (करीमगंज): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं यहां अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र करीमगंज असम के दक्षिणी भाग में स्थित है। यह उत्तर और पश्चिम में बांग्लादेश, पूर्व में मिजोरम और दक्षिण में त्रिपुरा से घिरा हुआ है। करीमगंज शहर भारत के नक्शे में एक बहुत ही दूरस्थ शहर है जहां बहुत सारी समस्याएं हैं। इसलिए, करीमगंज के लोगों के हित के साथ-साथ हमारी राष्ट्रीय आय के लिए, मैं 4 जनवरी, 2012 की अधिसूचना के माध्यम से ओ.एन.जी.सी. *द्वारा की गई एक खोज* के उपयोग के बारे में बात कर रहा हूं। ओ.एन.जी.सी. श्रीकुना ने करीमगंज जिले के पथरिया क्षेत्र में एक विशाल गैस भंडार की खोज की है।

महोदया, पथरिया करीमगंज शहर से मात्र 7 किलोमीटर दूर है; और स्थानीय लोगों के हित के लिए कम लागत पर रसोई गैस कनेक्शन प्रदान करने के लिए एक गैस पाइपलाइन कनेक्शन प्रणाली स्थापित करना अत्यावश्यक है। परिणामस्वरूप, ओ.एन.जी.सी. बहुत राजस्व अर्जित करेगा। स्थानीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। सबसे बढ़कर, सरकार बहुमूल्य विदेशी विनिमय को बचाने में सक्षम होगी। भविष्य में, हम इसे दूसरे निकटतम शहर जैसे हैलाकांडी आदि तक बढ़ा सकते हैं। सरकार बिजली पैदा करने के लिए गैस टरबाइन परियोजना स्थापित कर सकती है, जो हमारे देश के दैनिक जीवन की सबसे आवश्यक जरूरतों में से एक है। धन्यवाद।

[हिन्दी]

डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय (चन्दौली) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूं कि एक तरफ जहां सरकारी अस्पतालों में इलाज की कठिनाइयां हैं फिर भी हमारी सरकार जीवन रक्षक उपकरणों के संदर्भ में बहुत अच्छे प्रयास कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ बड़े और छोटे शहरों में ऐसे तमाम नर्सिंग होम्स बनते चले जा रहे हैं, आप मुझे इस शब्द के लिए क्षमा करेंगी कि कुकुरमुत्ते की तरह जगह जगह

नर्सिंग होम्स बनते जा रहे हैं। इन सभी में आजकल एक प्रचलन हो गया है कि वहां आईसीयू वार्ड तुरंत बना देते हैं और वेंटीलेटर लगा देते हैं। उसमें यह होता है कि आज आम गरीब को जरूरत रहे या न रहे, तुरंत उसे बताएंगे कि आप वेंटीलेटर पर चलिए और वेंटीलेटर पर रखकर आईसीयू वार्ड में उसका इलाज किया जाता है। इस पर इतना ज्यादा उस गरीब का पैसा खर्च होता है तथा दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थति तब हो जाती है जब वेंटीलेटर पर कभी कभी वह आदमी मृत्यु को प्राप्त हो गया लेकिन तब भी वेंटीलेटर से उसको नहीं हटाया जाता है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी भी यहां उपस्थित हैं, मैं यही आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं कि आदमी मर गया लेकिन तब भी उसको वेंटीलेटर से नहीं हटाया जाता और उसका इलाज चल रहा है। उसके परिवार वाले अपने गहने और जमीन बेचकर लाखों रुपये देकर उस आईसीयू वार्ड का पेमेंट करते हैं। मृत शरीर के साथ यह जो अनैतिक कर्म इन छोटे छोटे अस्पतालों में आईसीयु के नाम पर हो रहा है, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि इस पर केन्द्र सरकार तुरंत रोक लगाए तथा कोई ऐसा सिस्टम डवलप करे जिससे इस तरह की अनैतिकता देश के तमाम जगहों पर जो इलाज के नाम पर हो रही है, वह बंद हो जाए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय द्वारा उठाये गये विषय के साथ डॉ संजय जायसवाल का एसोशिएट किया जाए।

डॉ. सुनील बलीराम गायकवाड़ (लातूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। महाराष्ट्र में रत्नागिरी से नागपुर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग की, तुर्जापुर से नांदेड़ हिस्से के मार्ग की बहुत दयनीय अवस्था है। इस मार्ग पर जगह जगह गढ्डे हो गये हैं। प्रतिदिन यहां सड़क दुर्घटनाओं के हादसे में मासूम लोगों को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ता है। अभी कुछ ही दिन पहले मेरे निवारचित क्षेत्र लातूर जिले के चापुली गांव में सड़क पर गढ्डों की वजह से एक ट्रक ने अपना संतुलन खो दिया और एक ऑटो रिक्शा को जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में एक ही परिवार के सात लोग मारे गये तथा तीन गंभीर रूप से जख्मी हो गये। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि राष्ट्रीय मार्ग के इस हिस्से को जल्दी से जल्दी ठीक करवाया जाए ताकि मासूमों की जान बचाई जा सके। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री के. अशोक कुमार (कृष्णागिरी): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे नारियल उगाने वाले किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रसायनों पर सब्सिडी के विषय पर बोलने का अवसर दिया।

दक्षिणी राज्यों में बड़े पैमाने पर नारियल की फसल उगाई जाती है। महोदया, 2,22,835 नारियल की खेती करने वाले परिवार तमिलनाडु में 4.25 लाख हेक्टेयर भूमि में नारियल के पेड़ की खेती कर रहे हैं। अकेले मेरे कृष्णागिरी निर्वाचन क्षेत्र में, 16,000 हेक्टेयर भूमि पर 16 लाख नारियल के पेड़ हैं। हर साल, लगभग 5,000 हेक्टेयर भूमि में, नारियल के पेड़ काले सिर वाले कैटरपिलर, स्लग कैटरपिलर, पत्ती कैटरपिलर, लाल हथेली वीविल, छाल वीविल, बग वर्म, सफेद ग्रब, दीमक और नारियल माइट्स जैसे कई कीटों से प्रभावित होते हैं। एक हालिया सर्वेक्षण के अनुसार, अकेले कृष्णागिरी जिले में लगभग 500 हेक्टेयर नारियल के पेड़ उपरोक्त कीटों से प्रभावित हैं।

ये प्रमुख कीट बड़े पैमाने पर पत्ते को प्रभावित करते हैं। कीटों के हमले के कारण किसानों को दो साल के लिए 50,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से गंवाने पड़ेंगे, क्योंकि पेड़ों को पुनः लगाने में कम से कम दो साल लगेंगे। सिंथेटिक रासायनिक के प्रयोग द्वारा कीटों को नियंत्रित करने के लिए पिछले दो दशकों में किए गए कई प्रयासों के बावजूद, अभी तक प्रत्याशित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं। उन्हें प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए रसायनों और कीटनाशकों की आवश्यकता होती है। रासायनिक उपचार की लागत लगभग 2,000 रुपए प्रति एकड़ है। प्रत्येक 45 दिनों के लिए, यह उपचार या तो रूट फीडिंग उपचार या छिड़काव के माध्यम से दिया जाता है। आगे की क्षति को रोकने के लिए अप्रभावित नारियल के पेड़ों का इलाज करना आवश्यक है। हमारी पुरात्ची थलाइवी अम्मा सरकार ने गरीब नारियल किसानों की मदद के लिए कई कदम उठाए हैं।

नारियल उगाने वाले किसान बड़ी मात्रा में इन रसायनों और कीटनाशकों पर खर्च नहीं कर सकते हैं। इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि नारियल उगाने वाले किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले इन रसायनों के लिए अधिकतम सब्सिडी प्रदान की जाए। धन्यवाद।

श्री कारादी सनगन्ना अमरप्पा (कोप्पल): आदरणीय अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे राष्ट्रीय हित के इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदया, मक्का कर्नाटक राज्य में एक अत्यधिक पैदा होने वाला अनाज है। उस क्षेत्र में मक्का पैदा करने के प्रति रुझान बढता जा रहा है। यह 7,30,000 टन के वार्षिक उत्पादन के साथ तीनों मौसमों में लगभग 9,36,000 हेक्टेयर क्षेत्र में उगाया जाता है।

हालांकि प्रमुख क्षेत्रों में हाइब्रिड के साथ खरीफ की खेती होती है और उत्पादकता को बढ़ावा देने में प्रमुख बाधाएं उच्च उपज वाले एकल क्रॉस हाइब्रिड बीज की अनुपलब्धता और डाउनी माइल्ड्यू रोग के प्रति आग्रहिता है। इसके लिए उपयुक्त उपचार हैं - शीघ्र परिपक्व होने वाली हाइब्रिड डी.एम.एच. 1, डी.एम.एच. 2 और प्रकाश; प्रतिरोधी किस्म एन.ए.सी. 6002 और एन.ए.सी. 6004 का उपयोग और डाउन माइल्ड्यू को नियंत्रित करने के लिए मेटलैक्सील @ 2 ग्राम प्रति किलो के साथ बीज का उपचार।

यह सभी को पता है कि मक्का ज्यादातर सीधे नहीं खाया जाता है। इसलिए, कर्नाटक में मक्का आधारित उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता है, जिससे इसकी मांग और बढ़ेगी तथा मक्का उत्पादक और अधिक मक्का पैदा करने के लिए प्रेरित होंगे।

महोदया, उपरोक्त के मद्देनजर, मैं माननीय कृषि और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री से इस मामले पर विचार करने के लिये अनुरोध करता हूँ।

धन्यवाद, महोदया।

[हिन्दी]

साध्वी सावित्री बाई फूले (बहराइच) : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त वरती हूँ। महोदया, मैं सदन का ध्यान उत्तर प्रदेश के नेपाल सीमा से जुड़े हुए तराई क्षेत्र विशेषकर मेरे संसदीय क्षेत्र बकहराइच की तरफ दिलाना चाहूंगी जो हर साल बाढ़ की विभीषिका से प्रभावित होता है। इस बाढ़ का कारण बरसात में नेपाल द्वारा छोड़ा जाने वाला पानी है। अचानक ही पानी के तेज बहाव के कारण लाखों लोगों का जीवन को तबाह हो जाता है। इस साल भी अगस्त माह में रात के पहर

जब गांवों, कस्बों के लोग सो रहे थे, नेपाल की ओर से बैराज के गेट अचानक खोल दिए गए और रातों-रात बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, लखीमपुर, सीतापुर का काफी इलाका जलमग्न हो गया। अचानक आई इस बाढ़ से लोगों को अपने पशुधन आदि को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का मौका भी नहीं मिला और लोग आसमान के नीचे सड़कों पर आ कर रात गुजारने को मजबूर हो गए। मैं एवं आस-पास के अन्य सांसद भी स्वयं अपने प्रभावित क्षेत्रों में बचाव कार्य में शामिल रहे। इस घटना में सैकड़ों जानें चली गई और जान-माल, कृषि एवं पशुधन का भयंकर नुकसान हुआ तथा नानपारा तहसील व महसी तहसील के अंतर्गत आने वाली सड़कें व पुल-पुलिया व नहरें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। माननीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा भी हुआ था।

महोदया, यह कोई पहली घटना नहीं है, आपितु इस क्षेत्र के लोग बाढ़ को हर साल झेलने के लिए मजबूर रहते हैं। इसके बाद हर साल बाढ़ राहत के नाम पर हाय-तौबा मचती है। मुआवजे की रकम को ले कर मारामारी होती है। फिर प्रशासन में लूट खसोट का अनवरत चक्कर चलता रहता है। अफसरों की जेबें भरती हैं और पीड़ित जनता राहत और बचाव के नाम पर सिर्फ घोषणाएं सुनती रहती है। ऐसी घटनाओं में प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार की संवेदनहीनता साफ दिखती है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सावित्री जी, शून्य काल में अपनी बात उठाते हुए सरकार के सामने सिर्फ अपनी मांग रखी जाती है। पूरे पेज के पेज को नहीं पढना होता है। आप जल्दी अपनी बात समाप्त करें।

... (व्यवधान)

साध्वी सावित्री बाई फूले : मैडम, मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म करती हूँ।

ऐसे समय में प्रदेश सरकार की संवेदनहीनता साफ दिखती है, जब वे राजनीति साधने के लिए बड़ी-बड़ी घोषणाएं कर मात्र औपचारिकता पूरी करती हैं और केंद्र सरकार द्वारा दी गई सहायता की जमकर लूट-खसोट करवाती है।

ऐसी स्थिति में मैं सरकार से मांग करती हूँ कि बाढ़ के पानी तथा नदी के कटान से जो सैकड़ों गांव प्रभावित हैं, उन गांवों को बचाने हेतु विशेष पैकेज दे कर नदी के पानी की ठोकर बंधवाकर कटान को रोकने का प्रबंध तथा सड़क व पुलिया की मरम्मत कराई जाए।

डॉ. भोला सिंह (बेगूसराय) : महोदया, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के कृषि मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। दिनकर जी ने कहा है कि अतः

रे तू आरती लेकर किधर जा रहा है,
तेरा खुदा, तेरा ईश्वर मस्जिदों में नहीं है,
मन्दिरों में नहीं है, वह खेतों और खलिहानों में है।"

बिहार कृषि संस्कृति और कृषि प्रदेश के रूप में चर्चित रहा है। अभी रबी बुआई का समय है। बिहार के किसान खाद के लिए और बीज के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। इस अवस्था में बिहार की जो स्थिति बन गयी है, उस स्थिति में आज किसान, इस देश के चौरासी प्रतिशत लोग कृषि पर अवलंबित हैं। उसके विकल्प में कोई उद्योग-धंधे नहीं पनपे हैं। कृषि ही एकमात्र जीवन का आधार बनी हुई है।

इसलिए मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्रालय से यह आग्रह करना चाहता हूँ कि जो बिहार के किसानों की स्थिति है, बुआई का जो समय है, डी.ए.पी., यूरिया जो चोर बाजार में धड़ल्ले से बिक रहे हैं, सरकार उसे रोके। केन्द्र सरकार बिहार सरकार पर दबाव डाले। बड़े पैमाने पर वह ट्रेन के माध्यम से यूरिया उपलब्ध कराके किसानों को राहत पहुँचाने का काम करे। मैं इस ओर आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण) : महोदया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान और माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान इस ओर ले जाना चाहता हूँ कि पिछले हफ्ते वह सार्क समिट में गए थे और नेपाल से उन्होंने परिवहन समझौता किया है। मैं माननीय नितिन गडकरी जी का आभारी हूँ कि उन्होंने दिल्ली से काठमांडू की सीधी बस सेवा भी प्रारंभ कर दी है। नेपाल की जनसंख्या बहुत ज्यादा है और उनके आवागमन हेतु दिल्ली में बहुत तकलीफ होती है। मेरे लोक सभा क्षेत्र में रक्सौल रेलवे का ड्राइपोर्ट भी है। रक्सौल से पूरा नेपाल सीधा जुड़ा हुआ है और वहाँ से काठमांडू की दूरी दो सौ किलोमीटर से भी कम है।

अतः मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध होगा कि या तो एक अन्तर्राष्ट्रीय राजधानी एक्सप्रेस या पशुपतिनाथ एक्सप्रेस के नाम से रक्सौल से दिल्ली के लिए एक सुपरफास्ट ट्रेन चलायी जाए। अभी मात्र एक ट्रेन है और उस ट्रेन को एक हजार किलोमीटर आने में छब्बीस घंटे का वक्त लगता है। आप समझ सकती हैं कि नेपाल के नागरिकों को दिल्ली आने में कितनी तकलीफ होती होगी।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि हर प्रदेश की तरह एक राजधानी एक्सप्रेस या एक अन्तर्राष्ट्रीय राजधानी एक्सप्रेस रक्सौल से दिल्ली चलायी जाए।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: श्री डी. एस. राठौर -- उपस्थित नहीं।

श्री विक्रम उसेंडी बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री विक्रम उसेंडी (कांकेर): महोदया, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। छत्तीसगढ राज्य में हाथियों का बड़ा आतंक मचा हुआ है। छत्तीसगढ राज्य में सरगुजा वन ब्रिज के अन्तर्गत जसपुर, उत्तरी-दक्षिणी सरगुजा, बैकुंठपुर, कोरिया और बिलासपुर वन मंडल में रायगढ़, धर्मजयगढ़, कोरबा इत्यादि वन मंडल के अनेक ग्रामों में हाथियों का बड़ा आतंक है। 1990 के दशक में हाथी बिहार, झारखंड, उड़ीसा से वहाँ पहुँचकर रहते थे और वापस चले जाते थे, लेकिन वर्तमान में वहाँ उनका स्थायी डेरा बना हुआ है। वे वहाँ पर किसानों की फसलों को पूरा नुकसान पहुँचा रहे हैं। चाहे गन्ना हो, चाहे धान हो, वे उसे नुकसान पहुँचा रहे हैं। इसके साथ-साथ वे किसानों के मकानों को भी नष्ट कर रहे हैं, क्योंकि, उनमें धान रखा रहता है। उसका मुआवजा भी किसानों को नहीं मिल पा रहा है। किसानों की फसल को हो रहे नुकसान को बचाने के लिए वहाँ पर सोलर फेन्सिंग की व्यवस्था किसानों के खेतों में की जाए। वहाँ फॉरेस्ट एरिया में एलिफेन्ट कॉरिडोर का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। यह प्रस्ताव अभी तक लम्बित है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय वन मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि उस क्षेत्र में किसानों को हो रहे नुकसान को रोकने की व्यवस्था की जाए और हाथियों के लिए प्रबन्ध किया जाए। वहाँ पर सैंकड़ों लोगों की हाथियों के हमले में मृत्यु हो चुकी है। उन्हें उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

डॉ. के. कामराज (कल्लाकुरिची): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं एक ऐसा मुद्दा उठाना चाहता हूँ, जो हमारे देश की 60 प्रतिशत आबादी को प्रभावित करता है। मुझे लगता है कि मेरे द्वारा उठाए जा रहे मुद्दे को सदस्य और आप भी स्वीकार करेंगे।

मैं मातृभाषा का मुद्दा उठा रहा हूँ। भाषा संचार का माध्यम है। इसकी उत्पत्ति एक लाख वर्ष से भी पहले हुई है। भाषा केवल संचार के एक माध्यम से कहीं अधिक है। इसकी एक समृद्ध संस्कृति है। भाषा और मातृभाषा की रक्षा करना सभी का कर्तव्य है। अन्यथा हम अपनी उस समृद्ध संस्कृति और परंपरा को खो देंगे जो हमारे पूर्वज हमारे लिए छोड़ गए थे।

दुनिया भर में लगभग 7,000 भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में ही लगभग 780 भाषाएँ बोली जाती हैं। इन 780 भाषाओं में से केवल 122 भाषाएं 10,000 से अधिक लोगों द्वारा बोली जाती हैं। भारतीय संविधान ने संस्कृत सहित 22 भाषाओं को मान्यता दी है। पूरी दुनिया में तमिल सबसे पुरानी भाषा है। भारत में, लगभग 40 प्रतिशत लोग हिंदी बोलते हैं और बाकी लोग बंगाली, मराठी, तमिल, तेलुगु, उड़िया आदि बोलते हैं। इनमें से तमिल भाषा सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है।

वर्ष 2004 में पूर्व मुख्यमंत्री अम्मा के अनुरोध पर, तमिल को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। मैं सभी भाषाओं को आठवीं अनुसूची में भारत की आधिकारिक भाषाओं के रूप में शामिल करने की तमिलनाडु की जनता और तमिलनाडु सरकार की मांग का समर्थन करता हूँ।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 348(1) के अंतर्गत, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिनियमों और विधेयकों आदि की भाषा अंग्रेजी है। हमारे संविधान के पूर्वजों और निर्माताओं ने नागरिकों की कठिनाइयों का पूर्वानुमान लगाया और अनुच्छेद 350 में एक विशेष निर्देश शामिल किया है कि प्रत्येक

व्यक्ति किसी भी कार्यालय या संघ या राज्य के किसी भी प्राधिकारी को यथास्थिति संघ या राज्य में प्रयुक्त किसी भी भाषा में किसी भी शिकायत के निवारण के लिए अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का हकदार होगा। इसके अलावा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (2) में यह कहा गया है कि अनुच्छेद 348 के खंड (1) के उपखंड (क) में किसी भी बात के होते हुए भी, किसी राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से हिंदी भाषा के उपयोग को प्राधिकृत कर सकते हैं जैसा कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान उच्च न्यायालयों या राज्य के किसी भी प्रयोजनार्थ उपयोग की जाने वाली किसी भी भाषा का उपयोग उच्च न्यायालय की कार्यवाही में कर सकता है। यदि हमें न्याय प्रशासन को वास्तविक रूप से लोगों के करीब ले जाना है, तो यह नितांत आवश्यक है कि उच्च न्यायालय में स्थानीय भाषा का उपयोग किया जाए, जैसा कि राज्य सरकार और विधानमंडलों द्वारा पहले से ही किया जा रहा है।

मैं अपनी प्रिय नेता और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय क्रांतिकारी नेता अम्मा और तमिलनाडु के लोगों का यह संकल्प फिर से दोहराता हूँ और भारत सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वे मद्रास उच्च न्यायालय में तमिल भाषा के उपयोग करने की अनुमति दें और इस मामले को भारत के उच्चतम न्यायालय के साथ फिर से उठाएं। [हिन्दी]

श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला) : महोदया, मैं अपने लोकसभा क्षेत्र अम्बाला की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। मेरे लोकसभा क्षेत्र के काफी हिस्से के साथ यमुना नदी लगती है। हर वर्ष वर्षा के दिनों में यहां बाढ़ आती है, जिसके कारण किसानों की जमीन का भारी कटाव होता है और फसल की बरबादी होती है। वर्षों से यमुना नदी में खनन न होने की वजह से रेत का स्तर भी काफी बढ़ गया है, जिसके कारण बाढ़ का पानी किनारों से बाहर निकल कर फसलों को नुकसान पहुंचाता है। एक अनुमान के अनुसार यमुना केवल दो लाख क्यूसेक पानी को सहन कर पाती है, लेकिन कई बार छह से लेकर आठ लाख क्यूसेक पानी यमुना नदी में छोड़ दिया जाता है।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि यमुना जल प्रबंधन नीति बनाई जाए, जिससे कि किसानों की फसलों व जमीन को बरबाद होने से बचाया जा सके।

[अनुवाद]

डॉ. प्रभास कुमार सिंह (बारगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे अपने राज्य विशेषकर पश्चिमी ओडिशा से संबंधित इस अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने का अवसर दिया है, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद । यह भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में 'संबलपुरी/कोसाली और हो' भाषाओं को शामिल करने के बारे में है।

संबलपुरी/कोसाली पश्चिमी ओडिशा के दस निकटवर्ती जिलों में फैले लगभग 70 लाख लोगों की मातृभाषा है। यह पचास से अधिक वर्षों से लिखित रूप में प्रचलित है। यह अनौपचारिक स्कूलों में शिक्षा का एक माध्यम है। इसमें लोक संगीत और लोक साहित्य के रूप में कई शताब्दियों की एक मजबूत मौखिक परंपरा के रूप में विद्यमान है । यह पूरे पश्चिमी ओडिशा क्षेत्र की एक मजबूत भाषाई पहचान और इससे उत्पन्न सांस्कृतिक एकरूपता के गौरव की प्रतीक है।

इसी प्रकार, हो भाषा ओडिशा और झारखंड की सीमाओं पर रहने वाले एक मिलियन से अधिक आदिवासी लोगों की मातृभाषा है। साथ ही, यह भाषा आठवीं अनुसूची में शामिल होने के लिए आवश्यक अधिकांश मानदंडों को पूरा करती है।

मैं समझता हूँ कि संविधान की आठवीं अनुसूची में और अधिक भाषाओं को शामिल करने का मामला वर्तमान में भारत सरकार के विचाराधीन है। ओडिशा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक ने माननीय प्रधान मंत्री के साथ हुई अपनी बैठक में माननीय प्रधान मंत्री से संबलपुरी/कोसाली और हो भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल करने का आग्रह किया। मेरे राज्य में इसके लिए एक समिति गठित की गई थी।

भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने संबलपुर में अपने पिछले चुनाव अभियान के दौरान संबलपुरी भाषा, संबलपुरी परंपरा, संबलपुरी संगीत और संबलपुरी साड़ी की बहुत प्रशंसा की। इसलिए, मैं माननीय प्रधान मंत्री और माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि वे संबलपुरी/कोसाली और हो भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के संबंध में हमारे राज्य और हमारे मुख्यमंत्री द्वारा की गई मांग पर विचार करें।

धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग) : अध्यक्ष महोदया, महाराष्ट्र के किसान पिछले कई वर्षों से एक मुसीबत में हैं। किसानो को राष्ट्रीय भूमि आभिलेख कार्यालय के माध्यम से अपनी जमीन का सर्वे कराने और सर्वे के हिसाब से आपस में बंटवारा करने की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। लेकिन, पिछले कई वर्षों से महाराष्ट्र शासन ने सर्वे की कार्य प्रणाली पर रोक लगा दी है। सर्वे करते वक्त पारंपरिक पद्धति के बजाय सैटेलाइट सर्वे, इ.टी.एस. सिस्टम से सर्वे करना, डी.जी.पी.एस. सिस्टम से सर्वे करना, ऐसे कई अच्छे सुझाव महाराष्ट्र शासन ने रखे हैं। लेकिन, इसमें एक मुसीबत यह है कि महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र के पास जो प्रस्ताव भेजा है, उसमें महाराष्ट्र सरकार ने उसके बहुत ज्यादा चार्ज प्रस्तावित किए हैं। आज के समय में एक सर्वे करने का चार्जेज 15,000 रुपये प्रति किलोमीटर है। उसकी बजाय अब महाराष्ट्र सरकार ने 50,000 रुपये प्रति किलोमीटर का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास रखा है।

महोदया, मेरी आपके माध्यम से केंद्र सरकार से विनती है कि महाराष्ट्र सरकार ने जो नया प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा है, उसे तुरंत मंजूरी दें, लेकिन उसे मंजूरी देते वक्त उसे 50,000 रुपये प्रति किलोमीटर की जगह पर 25,000 रुपये प्रति किलोमीटर के चार्ज को मंजूरी देकर किसानों को राहत देने की कोशिश करें।

श्री अजय टम्टा (अल्मोड़ा) : माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे शून्य काल में इस आति महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया।

अध्यक्ष जी, पूरे देश में उच्च शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों का भारी अभाव है। यूजीसी द्वारा वर्ष 2009 से नेट तथा स्लैट की आनिवार्यता के कारण जिन लाेगों ने अपना शोध कार्य पूरा कर लिया, उन लोगों को आज भी उच्च शिक्षा विभाग में चूंकि उन्होंने नेट तथा स्लैट उन मानकों के आधार पर नहीं किया है, इसलिए उन्हें नहीं लिया जाता है। यह परिस्थिति पूरे देश के अंदर है। मेरे राज्य उत्तराखण्ड के अंदर भी ऐसे शोध शिक्षार्थी, जिनका शोध कार्य वर्ष 2009 के पूर्व हो चुका है, उन्हें नहीं लिया जा रहा है।

अतः ऐसे शोधार्थियों की समस्याओं को देखते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के हस्तक्षेप से उन्हें नियमों में पूर्व की भांति शिथिलता दी जाए तथा उत्तराखण्ड प्रदेश सरकार को भी निदेर्शित किया जाए कि वे इस प्रकार के युवाओं का समाधान उदारता के साथ निकाल सकें।

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके संज्ञान में एक विषय लाना चाहता हूं। मेरे लोक सभा क्षेत्र में जोल्हूपुर से हमीरपुर रोड बनायी जा रही है। वह रोड इतनी खराब थी कि विश्व की जाने-माने डिस्कवरी टी.वी. चैनल पर बताया गया था कि जोल्हूपुर से हमीरपुर रोड एशिया में सबसे ज्यादा खराब रोड है। उसमें काम प्रगति पर है। रोड का चौड़ीकरण किया जा रहा है। चौड़ीकरण के नाम पर रोड के किनारे से मिट्टी लेकर रोड पर डाली जा रही है। विशेष रूप से जो उस रोड की पुलिया हैं, जबकि उनको नये तरीके से बनाना चाहिए था। उनको नये तरीके से न बनाकर सिर्फ जितना रोड चौड़ा किया जा रहा है, उतनी ही पुलिया बनायी जा रही है। वहां कार्य की प्रगति बहुत धीमी है। उस रोड से बालू का खनन बहुत ज्यादा होता है। अगर रोड की गुणवत्ता की जांच न हुई और यह रोड को अच्छी तरीके से नहीं बनाया गया, तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ दिन तक यह चल सकेगा।

मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि प्रदेश सरकार को वह निदेर्शित करे कि वह एक कमेटी गठित करे, जो समय-समय पर उस रोड की जांच करती रहे, जिससे वह रोड अच्छे तरीके से बनायी जा सके और उस क्षेत्र की जनता उसका लाभ उठा सके

माननीय अध्यक्ष : श्री अधीर रंजन चौधरी : उपस्थित नहीं।

श्री दुष्यंत चौटाला।

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : अध्यक्ष महोदया, धन्यवाद। मैं आज सदन के संज्ञान में एक बहुत इंपोर्टेंट विषय लाना चाहता हूं। नोटिफिकेशन 24, 2014 की 2 दिसंबर को लायी गयी, जिसके अंतर्गत अनब्रैंडेड डीजल पर एक रूपए की एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का काम सरकार ने किया। इसी तरह 12 नवंबर, 2014 को डेढ़ रूपए एक्साइज ड्यूटी के बढ़ाये गए। आज अगर देश की बात करें तो अधिकतम हिस्सा बाढ़ से, साइक्लोन से या ड्रॉट से अफेक्टेड है। मैं आपके माध्यम से सरकार से इस गंभीर मुद्दे पर अपील करता हूं कि इस तरह एक्साइज

ड्यूटी बढ़ाकर किसान की रीढ़ की हड्डी फिर तोड़ने का काम किया है, क्योंकि, जो ड्रॉट अफेक्टेड एरिया है, वहां ज्यादातर एग्रीकल्चर आज ट्यूबवेल्स के तहत, मोटर के अंतर्गत होता है और डीजल का उपयोग बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। एक ओर तो हम किसान को डीजल पर सब्सिडी देने का काम करते हैं, वहीं एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर उस सब्सिडी में कटौती करते हैं, दूसरी ओर उसका रिलीफ अनेक महीनों बाद उस तक पहुँचाया जाता है।

आपके माध्यम से मेरी सरकार से अपील है कि इस गम्भीर मुद्दे पर सरकार दोबारा विचार करे। जो एक्साइड ड्यूटी अनब्रांडेड डीजल पर बढ़ायी गयी है, उसे वापस लेने का काम करे या किसी और तरह की सब्सिडी देकर हमारे किसानों को मजबूत करने का काम करे।

श्री राघव लखनपाल (सहारनपुर) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपका और सदन का ध्यान अपने लोक सभा क्षेत्र सहानपुर की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। सहारनपुर उत्तर प्रदेश का एक अतिमहत्वपूर्ण मण्डल मुख्यालय है। सहारनपुर से मेरठ रेल लाइन के दोहरीकरण की मांग वर्षों से एक मांग लम्बित पड़ी है। उद्योग, व्यापार और कृषि की दृष्टि से सहारनपुर उत्तर प्रदेश और भारत में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

माननीय अध्यक्ष : आप रेल लाइन की डिमांड कर लीजिए, मैं आपको ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगी।

श्री राघव लखनपाल : महोदया, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि वर्षों से चली आ रही इस मांग को ध्यान में रखते हुए, दोहरीकरण का कार्य स्वीकृत करते हुए, उस कार्य को प्रारंभ कराया जाए।

[अनुवाद]

श्री राहुल शेवाले (मुंबई दक्षिण मध्य): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं मुंबई में धारावी मलिन बस्ती के पुनर्विकास के संबंध में नागर विमानन मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। यह सर्वविदित है कि धारावी एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्तियों में से एक है और केंद्र सरकार इसके पुनर्विकास को लेकर गंभीर है तथा राज्य सरकार भी प्रस्तावित धारावी पुनर्विकास परियोजना के अनुसार पूरे क्षेत्र के पुनर्विकास को लेकर गंभीर है। यहाँ पर बहुमंजिला इमारतों के निर्माण में बाधाएं हैं क्योंकि इस परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित सभी भवन संरचनाओं की ऊंचाई के संबंध में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से एन.ओ.सी. की आवश्यकता होती है। प्रत्येक

परियोजना के लिए अलग से अनुमोदन प्राप्त करना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसमें बहुत समय बर्बाद होता है। मेरा सुझाव है कि डी.आर.पी. के प्रत्येक भवन के लिए अनुमोदन देने के बजाय भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा पूरे धारावी पुनर्विकास परियोजना भवन संरचनाओं के 18-मंजिला भवनों के लिए एक व्यापक अनुमोदन जारी किया जाए। चूंकि धारावी क्षेत्र एयर फनल जोन के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए प्रस्तावित 12-मंजिला इमारतों के बजाय 18-मंजिला इमारतों के लिए एन.ओ.सी. दिया जा सकता है। मैं माननीय नागर विमानन मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि इस मामले को गंभीरता से देखें और धारावी पुनर्विकास परियोजना के अंतर्गत किए गए निर्माण के लिए व्याप अनुमोदन का आदेश जारी करें।

डॉ. पी. वेणुगोपाल (तिरुवल्लूर): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इस सम्मानित सभा में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने का अवसर दिया।

इस आधुनिक युग में भी केरोसिन गरीब आदमी का ईंधन बना हुआ है। उनमें से अधिकांश दूर-दराज के क्षेत्रों में रहते हैं और इसलिए हमारी सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से मिट्टी का तेल वितरित कर रही है। जहां तक तमिलनाडु का संबंध है, यहाँ प्रति माह 65,140 किलो लीटर केरोसिन की आवश्यकता है। दुर्भाग्य से, मार्च, 2010 से, केंद्र द्वारा प्रति माह केवल 59,780 किलो लीटर मिट्टी का तेल उपलब्ध कराया जाता है। जले पर नामक छिड़कते हुए केंद्र सरकार द्वारा, अब केवल 29,056 किलो लीटर जारी किया जा रहा है जो राज्य में केरोसिन की आवश्यकता का आधे से भी कम है। चूंकि तेल विपणन कंपनियां एल.पी.जी. कनेक्शन की संख्या के बारे में सटीक डेटा प्रदान नहीं कर रही हैं, इसलिए एक बड़ी विसंगति है। यहां तक कि एल.पी.जी. कनेक्शन में देशव्यापी वृद्धि के बावजूद कुछ राज्यों के लिए मिट्टी के तेल का आवंटन कम नहीं किया गया है। हम पाते हैं कि केंद्र सरकार की पी.एस.यू. के प्रशासन और अधिकारियों द्वारा स्थिति को गलत ढंग से संभालने के कारण केवल तमिलनाडु का उत्पीड़न किया जा रहा है।

मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से आग्रह करता हूँ ,जिस प्रधान मंत्री को हमारी प्रिय नेता अम्मा ने पहले ही लिखा है, कि वो 65,140 किलो लीटर प्रति माह के आवश्यक स्तर पर मिट्टी के तेल के आवंटन को तुरंत बहाल करें। मैं इस सभा में इस अनुरोध को कई बार दोहराता रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री बदरुद्दीन अजमल (धुबरी): अध्यक्ष महोदया, कल टाइम्स ऑफ इंडिया में यह खबर छपी थी कि सेन्टर टू स्टॉप सप्लाई ऑफ ग्रेन्स टू टी वर्कर्स। वहां लगभग 19 लाख 500 लोगों को सब्सिडाइज ग्रेन्स दिए जाते हैं। अचानक कल अखबार में यह न्यूज आया कि 1 जनवरी, 2015 से यह बंद हो जाएगा तो लोगों में हाहाकार मच गया। लोगों में रोना-धोना शुरू हो गया। कल से पूरे असम के टेलीविजन और अखबारों में यही न्यूज चल रहा है। अगर यह सुविधा बन्द हो गई तो बहुत बड़ी मुसिबत आ जाएगी।

मैं टी गार्डेन वर्कर्स की तरफ से आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि सेन्ट्रल गवर्मेन्ट इस सुविधा को बन्द न करे।

श्रीमती रीती पाठक (सीधी) : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे शून्य काल में बोलने के लिए मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। मैं मध्यप्रदेश के सीधी संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हो कर आई हूं। मेरा संसदीय क्षेत्र क्षेत्रफल की दृष्टि से काफी बृहद है। वहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग -75 का उपयोग किया जाता है। आज उस मार्ग की स्थिति बहुत खराब हो गई है। इस राजमार्ग का उपयोग करने के कारण हमारी क्षेत्र की जनता को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस मार्ग पर कई दुघर्टनाएं हो रही हैं। इसलिए आपके माध्यम से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जी से मैं यह निवदेन करना चाहती हूं कि वरियता के आधार पर इस राजमार्ग का निर्माण कराने की कोशिश करें। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री रमेन डेका (मंगलदोई): मैं यहां अपने निर्वाचन क्षेत्र, जो बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, के बारे में कुछ कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ। वहां पर संचार की कमी है। उस क्षेत्र की बड़ी आबादी आदिवासी है और वस्त्र और हस्तशिल्प में उनकी कारीगरी बहुत अच्छी है। इसलिए, मैं भारत सरकार से उन आदिवासी लोगों के लिए एक विशेष पैकेज देने की मांग करता हूँ ताकि वे अपने शिल्प कौशल और हथकरघा वस्त्र के संबंध में कुछ कर सकें। उनके हथकरघा के कपड़े बहुत अच्छे हैं। उन्हें कौशल विकास के लिए कुछ तकनीकी सहायता के साथ-साथ कुछ

मदद की भी आवश्यकता है ताकि वे अपनी पारंपरिक शिल्प कौशल को आगे बढ़ा सकें। यदि वे ऐसा करते हैं, तो वे आर्थिक रूप से उन्नत हो जायेंगे।

डॉ. कुलमणि सामल (जगतसिंहपुर) : मैं अध्यपीठ का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस सम्मानित सभा में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने का अवसर दिया।

मैं श्रम और रोजगार मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि तत्कालीन केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री जी द्वारा भुवनेश्वर, ओडिशा में कर्मचारियों के राज्य बीमा (ई.एस.आई.) मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की आधारशिला रखी गई थी। हालांकि, ई.एस.आई. मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के भवन का निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं किया गया है। ओडिशा में ई.एस.आई. योजना के अंतर्गत लगभग 3.50 लाख बीमित व्यक्ति हैं और वे उक्त मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की स्थापना का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि यह उनके लिए बेहद फायदेमंद होगा।

इसलिए, मैं श्रम और रोजगार मंत्री से आग्रह करता हूँ कि ओडिशा के भुवनेश्वर में ई.एस.आई. मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के निर्माण की प्रक्रिया में तेजी लाने की पहल जल्द से जल्द करें।

[हिन्दी]

श्री डी.एस. राठौड़ (साबरकांठा) : महोदया, गुजरात के अहमदाबाद में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, परिसर में आने जाने के लिए निजी उपयोग करते हैं। वहां दो जगहों पर पार्किंग के लिए मूल्य भुगतान करना होता है। इसके लिए पार्किंग एरिया में फी-कलेक्शन केबिन की व्यवस्था है, थोड़े समय में दोनों जगहों पर पार्किंग के लिए नए काऊंटर लगया गया है, फ्यूल पार्किंग से करीब एक किलोमीटर दूर आगे आने के लिए एयरपोर्ट पर पार्किंग लगाया गया है, बाहर आने जाने में 15 मिनट लगता है। इससे यात्रियों को बड़ी असुविधा होती है, आने-जाने के लिए दो किलोमीटर चलना होता है और समय की अधिक बर्बादी होती है। ट्रैफिक के दौरान और आधिक समय लगता है। परिवार, बच्चों एवं बुजुर्ग यात्रियों और बहनों को बैठाने में समय लगता है, 15 मिनट के बाद एक मिनट भी ज्यादा होता है तो चार घंटे का भुगतान लेते हैं, इस वजह से करीब 60 रुपये देना होता है, इसका समय करीब एक घंटे किया जाए, यही मेरी विनती है।

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती जयश्रीबेन पटेल को श्री डी.एस. राठौड़ द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

श्री अरविंद सावंत (मुंबई दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे यह मौका देने के लिए धन्यवाद। मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूँ। भारत में लगभग पांच हजार छोटे और मध्यम तांबा गलाने वाले कारखाने हैं जो प्रति वर्ष लगभग 1,30,000 से 1,60,000 टन के तांबे के मिश्र धातु ट्यूबों, पाइपों आदि के निर्माण में लगे हुए हैं। इस कार्य में लगभग चार से पांच लाख कर्मचारी लगे हुए हैं। आसियान देशों के साथ व्यापार समझौते के अनुसार हम विदेशी कंपनियों को बिना शुल्क के तैयार उत्पाद को भारत में नही लाने दे रहे हैं। जो लोग विदेशों से कच्चा माल खरीद रहे हैं, उनसे उस पर पांच प्रतिशत शुल्क देने के लिए कहा जा रहा है। इसलिए भारत के जो तांबा गलाने वाले हैं, जो इन तांबे की ट्यूबों और पाइपों का उत्पादन कर रहे हैं, उनको परेशान किया जा रहा हैं। उनकी लाभप्रदता लगभग शून्य प्रतिशत हो गई है। लगभग पांच से छह लाख लोग इस काम पर निर्भर हैं और उनका रोजगार दांव पर लगा है। इस व्यापार समझौते का लाभ जापान और चीन जैसे देशों द्वारा उठाया जा रहा है। वे वियतनाम में संयंत्र लगा रहे हैं और वियतनाम के माध्यम से वे इसे भारत भेज रहे हैं। तांबा ट्यूब और पाइप सीधे उपभोक्ता बिना किसी बिक्री कर और उस पर शुल्क दिए ले जाते हैं। भारत के माननीय. प्रधानमंत्री भारत में चीजों को बनाने की बात कर रहे हैं। इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि जो तांबे को गलाने वाले भारत में तांबे की ट्यूबों और पाइपों का उत्पादन करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए शुल्क माफ किया जाना चाहिए ताकि वे अपनी आजीविका चल सकें और उनके पास भी एक समान अवसर हों।

माननीय अध्यक्ष: श्रीमती अनुप्रिया पटेल - उपस्थित नहीं।

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : महोदया, सदन जिन बातों को लेकर प्रतिपक्ष इतनी गंभीरता दिखा रहा है, आज के अखबार में कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उच्च सदन के सदस्य भी हैं,

उनका बयान आया है जो राष्ट्र के खिलाफ है। उन्होंने अपील की है कि भाजपा को हराने के लिए नक्सलवादी हमारी मदद करें। मुझे यह कहना है कि हम बहुत छोटी बातों में उलझकर सदन का समय बर्बाद करते हैं, लेकिन एक जिम्मेदार व्यक्ति, जो एक राज्य का मुख्यमंत्री रहा है, उच्च सदन का सदस्य है, वह खुलेआम नक्सलवादियों को, उन देशद्रोहियों को अपनी पार्टी की मदद के लिए कह रहा है जिससे ताकि वह भाजपा को हरा सके। यह सीधा समाचार है। मैं प्रार्थना करता हूं यह शून्यकाल का विषय नहीं है। सदन और देश के ध्यान में यह बात आए। इस बात के लिए सदन में चर्चा होनी चाहिए। यह आग्रह मैं आपसे करता हूं, छोटी-छोटी बातों पर सदन का समय खराब होता है, इतने गंभीर सवालों पर चर्चा होनी चाहिए। कल हमारे एक मित्र ने कहा था कि हमारे यहां अकाल की स्थिति हुई तो लोग नक्सलवादी बन जाएंगे। चेयर पर माननीय उपाध्यक्ष जी थे, उन्होंने आपत्ति दर्ज की, कम से कम इस वाक्य का प्रयोग नहीं हो सकता और ऐसी भावनाएं व्यक्त नही की जा सकतीं। वह बात रिकार्ड से निकवाया गया। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जिन्होंने गैर-जिम्मेदार और देशद्रोह करने वाला बयान दिया है उनके खिलाफ सदन निंदा प्रस्ताव पारित करे। मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूं।

माननीय अध्यक्ष : श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत को श्री प्रह्लाद सिंह पटेल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

<u>अपराह्न 1.00 बजे</u>

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : अध्यक्ष महोदया, मेरा संसदीय क्षेत्र लखीमपुर-खीरी कृषि प्रधान क्षेत्र है जहां पर आधिकतर लोगों की आमदनी का जरिया खेती है। चूंकि लखीमपुर-खीरी रेलवे के मीटर गेज मार्ग पर पड़ता है, इस कारण इस जिले में खाद, यूरिया व डीएपी की आपूर्ति इफको व कृभको कंपनियों द्वारा की जाती है। लेकिन इसकी रैक सीतापुर जनपद के रेलवे गोदाम पर उतारी जाती है, जो लखीमपुर जिले के विभिन्न स्थानों से 50 कि.मी. से 150 कि.मी. दूर पड़ता है। इससे खाद आपूर्ति में बाधा होती है तथा नेपाल का सीमावर्ती जिला होने के कारण वहां खाद की तस्करी की भी संभावना रहती है, जिसके कारण डीएपी व यूरिया की कमी का सामना कृषकों को करना पड़ता है व समय से तथा पूरी मात्रा में खाद न मिल पाने के कारण फसलों का नुकसान होता है। इससे सीधे तौर पर समग्र कृषि उत्पादन पर खराब असर पड़ने के साथ-साथ किसानों की

आर्थिक स्थिति पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। पूर्व में इफको व कृभको यूरिया, डीएपी का उतार लखीमपुर जिले के लखीमपुर और मेघलगंज रेलवे स्टेशनों पर होता था।

अतः मैं आपके माध्यम से सरकार व रेल मंत्रालय से मांग करना चाहता हूं कि पुनः लखीमपुर जिले के लखीमपुर रेलवे स्टेशन व मेघलगंज रेलवे स्टेशन पर इफको व कृभको खाद के उतार का रैक पाइंट बनाया जाये। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : चन्दूमाजरा जी, आप अपनी बात एक मिनट में समाप्त कीजिए। आपको कल भी समय दिया था, लेकिन ऐसा बार-बार नहीं होगा।

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : अध्यक्ष महोदया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जंगलों की कटाई से वातावरण पर जो नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, वह चिंता की बात है, किन्तु एक बहुत चिंता वाली बात है, जो मुश्किल सामने आ रही है, वह यह है कि जंगलों की कटाई के कारण जंगली जानवर भुखमरी से मैदानी क्षेत्रों में आकर किसानों की फसलों को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे उनकी जान-माल का भी नुकसान हो रहा है। पंजाब सरकार ने इस संबंध में एक प्रोजैक्ट रिपोर्ट बनाकर केन्द्र सरकार को भेजी है कि यदि इसमें केन्द्र सरकार 50 परसेंट मदद कर दे तो 50 परसेंट किसान उसमें अपना हिस्सा डाल देंगे। अगर वहां जालीदार तार का प्रबंध हो जाये, तो उससे किसान भी बच जायेगा, उसकी फसलें भी बच जायेंगी और किसानों की मुश्किल का समाधान भी निकल आयेगा।

श्री ओम बिरला (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार का राजकीय उपकरण कोटा इंस्ट्रुमैंटेशन लिमिटेड में आर्थिक तंगी के कारण वहां के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा। इतना ही नहीं, जिन कर्मचारियों का पी.एफ. बकाया है, उसका पैसा भी उन्हें नहीं मिल पा रहा है। इस कारण वहां कर्मचारी परेशानी में हैं। कोटा का यह राजकीय उपकरण, जो देश का पहला और दूसरा राजकीय उपकरण इंस्ट्रुमैंटेशन लिमिटेड के नाम से है, उस संबंध में मेरा इतना ही कहना है कि केन्द्र सरकार एक विशेष प्लान बनाकर उस राजकीय उपकरण को आर्थिक पैकेज दे। वहां के कर्मचारियों को वेतन और पी. एफ. मिल सके, ताकि वे अपने बच्चों और परिवार का पालन-पोषण ठीक से चला सकें।

माननीय अध्यक्ष : श्री राम स्वरूप शर्मा -- अनुपस्थित।

[अनुवाद]

श्री नागेंद्र कुमार प्रधान (संबलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

मैं राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में उल्लेख करना चाहता हूँ जो कोलकाता और मुंबई को जोड़ते हैं। मैं आपका ध्यान गंदेमुंडा को देबगढ़ से जोड़ने वाले (38 किलोमीटर) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 53 और थाईनाली को देबगढ़ से जोड़ने वाले (55 किलोमीटर) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 49 पर वाहनों की गति को नियंत्रित करने की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। इसमें देबगढ़ से हिंडो के बीच (80 किलोमीटर का) एक हिस्सा भी शामिल है।

भले ही यह हिस्सा राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत आता है, लेकिन वाहनों की गति सीमा 30 किलोमीटर से कम है। मैं इस बारे में विस्तार से नहीं बताना चाहता। अगर यह स्थिति है तो इसका नाम राष्ट्रीय राजमार्ग क्यों रखा गया है?

महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से आग्रह करूंगा कि, इस मामले की गंभीरता से जांच की जानी चाहिए और यदि मैं सही हूं तो इस मामले में तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए।

श्री मुथमसेटी श्रीनिवास राव (अवंती) (अनाकापल्ली): माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे बोलने का मौका देने के लिए धन्यवाद।

हमारे राज्य में एक राष्ट्रीय राजमार्ग एन.एच. 5 है, जो चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। जब वाजपेयी जी प्रधान मंत्री थे, इसको फोर लेन का किया गया था। इसके बाद सड़क का रखरखाव ठीक से नहीं किया गया।

मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि विजयवाड़ा से विशाखापट्टनम तक का रास्ता आठ लेन का बनाया जाए। उसमें एक छोटी सी सड़क अनाकापल्ली से आनंदपुरम तक की है, जिसको फोर लेन की सड़क

में बदला जाए। यह क्षेत्र मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हर दिन हजारों लोग इसका उपयोग कर रहे हैं और कई दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस सड़क का चौड़ीकरण किया जाए। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री लल्लू सिंह (फ़ैज़ाबाद) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरे लोक सभा क्षेत्र अयोध्या, जो एक धर्म नगरी है, वहाँ किसी समय राम की पैड़ी का निर्माण हुआ था। उसकी डिजाइन गलत होने के कारण उसमें निरंतर जल प्रवाह नहीं रहता है जिसके कारण राम की पैडी में अयोध्या का मल-मूत्र और गंदगी भरी रहती है। जो तीर्थयात्री वहाँ पर आते हैं, उनको बहुत कष्ट होता है। इसलिए आपके माध्यम से मैं सरकार से चाहता हूं कि वहाँ पर रेलवे पुल के नीचे एक बैराज बनाया जाए ताकि सरयू जी का जलस्तर ऊपर उठे और राम की पैड़ी से माइनर निकालकर शारदा सहायक नहर में मिलाया जाए ताकि निरंतर जल प्रवाह बना रहे। इसके बनने से अयोध्या ही नहीं, बल्कि दूसरी तरफ बस्ती जिले में भी अयोध्या पम्प कैनाल बना हुआ है जिससे वहां के किसानों को निरंतर खेती के लिए पानी मिलता रहेगा। धन्यवाद।

श्री नाना पटोले (भंडारा-गोंदिया) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर सदन का और माननीय मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। देश में नक्सली मुठभेड़ में मारे गये जवान चाहे वे सी.आर.पी.एफ. के हों या पुलिस के जवान हों, इन लोगों को हम लोग शहीद कहते हैं। लेकिन उन शहीदों के परिवारों को जो सुविधाएँ मिलनी चाहिए, वे नहीं मिलती हैं। महराष्ट्र में गढ़चिरौली जिले में भी नक्सली मुठभेड़ और माओवादी मुठभेड़ में हमारे कई जवान शहीद हुए। उनके परिवार के लोगों को आज बहुत ही विकट परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है। उनकी जो विधवाएँ हैं, वे अपना जीवन निर्वाह बर्तन मांजकर करती हैं। मैं शून्यकाल के माध्यम से इसे सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि हमें उन शहीदों के परिवार को आर्थिक ताकत तथा नौकरी देने का एक नियम बनाना चाहिए जो शहीदों के काम आए।

श्रीमती रमा देवी (शिवहर) : माननीय अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आज देश में बच्चों के लिए बैंकों में खाता खोलने की सुविधा की जरूरत है। मेरे संसदीय क्षेत्र शिवहर के पूर्वी जिले में मेरे द्वारा गोद लिए गये ग्राम पंचायत घोड़ासहन (दक्षिण)

में हजारों बच्चे वैसे हैं जिनके पास बचत करने के लिए तो कुछ धन है परन्तु अपना खाता किसी बैंक में नहीं रहने के कारण वे राशि बचत कर पाने में असमर्थ हैं। आज के बच्चे, कल के जिम्मेदार नागरिक बनेंगे, इसके लिए आवश्यक है कि वे बैंकों के एकाउन्ट होल्डर बनें।

मुझे जो जानकारी उपलब्ध कराई गई है, उसके अनुसार देश के सभी अग्रणी बैंकों में दस वर्ष या उससे आधिक आयु वाले बच्चों के लिए उनका खाता खोलने का प्रावधान तो है परन्तु इस प्रावधान को गंभीरता से लागू नहीं किया जाता। बच्चों का बैंक एकाउन्ट हो, इसके लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किया जाता है। प्रचार-प्रसार या जागृति के अभाव के कारण क्या माता-पिता या बच्चे सभी इस सुविधा का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। विद्यालय के शिक्षकों, पंचायतीराज संस्थाओं के लोगों को एक आभियान के द्वारा चाईल्ड बैंक स्थापना में अपना योगदान देना पड़ेगा और माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी के जन-धन योजना की तरह इसे भी बच्चे-बच्चे तक पहुंचाने की आवश्यकता है।जब प्रत्येक बच्चे का खाता खुल जाएगा तो स्वतः उनमें बचत के प्रति झुकाव होगा और वे अपने खाते में कुछ राशि रखेंगे जो बूंद-बूंद तालाब की तरह भरेगा। बचत की आदत डालने से बच्चे अपव्यय से बचेंगे। गलत राह पर जाने की संभावना कम रहेगी और यह कहावत सचमुच चरितार्थ होगी।

माननीय अध्यक्ष : आपकी बात पूरी हो गयी है।

श्रीमती रमा देवी : कृपया दो लाइन और बोलने दिया जाए। यह कहावत सचमुच चरितार्थ होगी कि "सकल वस्तु संग्रह करे, एक दिन आवे काम।" मुसीबत के समय खाते में संचित किया धन उनके और उनके माता-पिता के काम आयेगा और हमारे देश के बैंकों को लाइफ-टाइम ग्राहक मिल जाएगे। चाइल्ड बैंक स्थापना आभियान या बच्चों के खाता खोलने का अभियान, दोनों आभियानों की आवश्यकता तत्काल है और उसके दूरगामी प्रभाव होंगे, जिससे ग्रामीण भारत की गरीबी भी दूर होगी, बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। मुझे मालूम है कि कुछ संस्थाएं इस काम में लगी हुई हैं। जैसे दिल्ली में "चाइल्ड रिलीफ एंड यू" नामक संस्था इस दिशा में कुछ काम कर रही है। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री पी. आर. सेनथिलनाथन (शिवगंगा): मुझे एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने के लिए बुलाने हेतु मैं माननीय अध्यक्ष महोदया को धन्यवाद दूंगा।

तमिलनाडु सरकार आठ योजनाओं के अंतर्गत जरूरतमंद लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान कर रही है। वर्ष 2011 में, हमारी माननीय मुख्यमंत्री अम्मा ने मासिक पेंशन को 500 रुपए से बढ़ाकर 1000 कर दिया, जबकि भारत सरकार प्रति लाभार्थी केवल 200 से 500 रुपए का सहयोग दे रही है । जब भारत सरकार केवल रु.600 करोड़ का योगदान करती है, तो राज्य सरकार 4,491 करोड़ रुपए की कुल वित्तीय प्रतिबद्धता वहन कर रही है। हमारी आदरणीय नेता पुराचिथलावी अम्मा ने पहले ही माननीय प्रधान मंत्री जी से अनुरोध किया था कि केंद्रीय सरकार की पेंशन राशि को बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति माह कर दिया जाए। तमिलनाडु सरकार ने केंद्र से पेंशनभोगियों की और श्रेणियों को शामिल करने का भी अनुरोध किया है। उन्होंने सरकार से केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत पेंशन भोगियों की अधिकतम संख्या सीमा हटाने का भी अनुरोध किया है, तमिलनाडु सरकार द्वारा क्रियान्वित आठ में से सिर्फ तीन श्रेणियाँ इसके अंतर्गत आती हैं।

इसलिए, मैं केंद्र सरकार से पेंशन राशि बढ़ाने और केंद्रीय योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने का आग्रह करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह (राजू भैया) (एटा) : माननीय अध्यक्ष जी**,** मेरे निर्वाचन क्षेत्र एटा के अंतर्गत एटा और कासगंज दो जिले आते हैं। वहां पर अभी तक रेलवे लाइन का विस्तार नहीं हो पाया है। मेरे ये जिले बहुत पछड़े हुए हैं, इसलिए मैं आपसे मांग करता हूं कि एटा और कासगंज को रेलवे लाइन से जोड़ा जाए तथा अच्छे दिनों का अहसास हमारे एटा और कासगंज के लोग भी करें। धन्यवाद।

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : माननीय अध्यक्षा जी, मेरे संसदीय क्षेत्र बांदा-चित्रकूट में सड़कों की हालत बहुत ही खराब है। बांदा-बबेरू-कमासिन मार्ग, बबेरू-मरका मार्ग, कमासिन-मरका मार्ग, बांदा-बिसंडा मार्ग और कर्वी से राजापुर मार्ग बहुत ही खराब है। इस बात को मैं पहले भी आपके सामने रख चुका हूं। प्रदेश सरकार से जब

बात होती है तो वे कहते हैं लेकिन करते कुछ नहीं हैं। अगर धन देते हैं तो पैसा निकाल कर बराबर कर दिया जाता है। हम केन्द्र सरकार से कहते हैं तो केन्द्र सरकार कहती है कि यह राज्य सरकार का मामला है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस मामले में सीधा हस्तक्षेप करके वहां की दुर्दशा को ठीक कराया जाए। धन्यवाद।

श्रीमती अंजू बाला (मिश्रिख) : अध्यक्षा जी, जिस भारत में गाय-मां की पूजा होती है, मैं उसी की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं। मेरे लोक सभा क्षेत्र मिश्रिख में 14 गाय और एक बछड़ा काट दिया गया था। वहां हम लोगों ने धरना-प्रदर्शन किया। हमारे साथ सीतापुर के सांसद राजेश वर्मा जी भी थे और हम सुबह साढ़े छह बजे से लेकर साढ़े तीन बजे तक गौ-माता का अंतिम संस्कार करके आये, तो हमने मांग की कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हमारे सामने तो उन्होंने कह दिया कि हम सजा देंगे, लेकिन अब उल्टा हम 250 लोगों पर, जो धरने पर बैठे थे, एफ.आई.आर. हो गयी है। इसमें चार लोगों के नाम और 250 लोगों को अज्ञात बताया गया है। मैं केन्द्र सरकार से यही अपील करना चाहती हूं कि इस प्रकरण की सही तरीके से जांच हो और अपराधियों को सजा मिले। साथ ही सरकार ऐसा कानून बनाए कि जो गौ-माता की हत्या करता है उसे फांसी की सजा हो। धन्यवाद।

श्री अश्विनी कुमार चौबे (बक्सर) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

महोदया, बिहार की राजधानी पटना की आबादी बढ़ कर के 80 लाख से भी ज्यादा हो गयी है। ग्रेटर पटना के रूप में वर्ष 2006-07 में ही, जब मैं नगर विकास मंत्री था तो उस समय आग्रह किया गया था। वहां की आबादी बढ़ने के कारण यातायात की व्यवस्था चरमरा गयी है। वहां घण्टों जाम रहता है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहूंगा कि पटना को मेट्रोपोलिटन सिटी का दर्जा, जो कि लम्बित है, वह केन्द्र सरकार प्रदान करे और साथ ही मेट्रो ट्रेन चलाने की व्यवस्था भी सुनिश्चित करे। इसके आतिरिक्त दिल्ली में जो मेट्रो ट्रेन चलती है, उसमें महिलाओं के सदृश्य ही वृद्ध और विकलांग नागरिकों के लिए अलग

कोच की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए जिससे की इन लोगों को दिल्ली मेट्रो में यात्रा करने में सुविधा प्रदान हो सके।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: सभा अपराह्न 2:15 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

<u>अपराह्न 1.16 बजे</u>

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न दो बजकर पंद्रह मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

<u>अपराह्न 2.22 बजे</u>

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न दो बजकर बाईस मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(माननीय उपाध्यक्ष *पीठासीन हुए*)

विधि और न्याय मंत्री (श्री डी. वी. सदानन्द गौड़ा): कल एक बात तय हुई थी। आज भी मैं वही बात दोहरा रहा हूं। व्यापक हितों के लिए और अच्छी संसदीय व्यवस्था के लिए यदि विपक्ष विधेयक में भाग लेना चाहता है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। इसे सोमवार को लिया जा सकता है।

माननीय उपाध्यक्ष: मुझे लगता है कि सभा सहमत है - यह सोमवार को लिया जाएगा।

अब, हम नियम 193 के अधीन चर्चा करेंगे।

अपराह्न 2.23 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

देश के विभिन्न भागों में प्राकृतिक आपदाएं-जारी....

[अनुवाद]

श्रीमती विजया चक्रवर्ती (गौहाटी): महोदय, हाल की बाढ़ और चक्रवात पर चर्चा करते समय, हमारे पास इसकी स्पष्ट तस्वीर होनी चाहिए। आंध्र में हाल ही में विनाशकारी चक्रवात, जम्मू और कश्मीर में जान लेवा बाढ़ और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भयंकर बादल फटने, विशेष रूप से असम में, समस्या का केवल एक हिस्सा है, इसके बाद अनेक और भी समस्याएं हैं।

भयंकर हुदहुद के कारण, लाखों लोग बेघर हो गए और कई लोगों की जान चली गई। करीब 50 लाख लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। पशु धन की हानि के अलावा, अनगिनत व्यक्ति और सरकारी संपत्तियां पूरी तरह से धराशायी हो गई हैं।

हम जानते हैं कि जम्मू-कश्मीर में सैकड़ों लोगों की जान चली गई। कुछेक को छोड़कर, अधिकांश शव अभी तक बरामद नहीं हुए हैं। हज़ारों गाँव पूरी तरह से डूब गए हैं और सब कुछ बर्बाद हो गया है। नए सिरे से शुरू करने के लिए, लोगों को बहुत मेहनत करनी होगी क्योंकि सभी वाणिज्यिक प्रतिष्ठान और औद्योगिक संपत्तियां पूरी तरह से ख़त्म गई हैं। जिन संपन्न लोगों के जम्मू और कश्मीर के शहरी केंद्र में व्यवसाय थे, उन्होंने सब कुछ खो दिया। जब कोई उद्योग नहीं है, लोगों के पास कुछ भी खरीदने और जीवन को फिर से शुरू करने के लोगों की जेब में बहुत कम पैसे बचे हैं।

महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, असम में, बाढ़ आम तौर पर अप्रैल से अगस्त तक बारिश के मौसम में आती है। लेकिन, इस बार यह सितंबर के महीने में आई। ऐसा कभी नहीं हुआ। तबाही इतनी भारी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे एक विशाल पानी का गोला नीचे आ रहा हो और 20 मिनट के भीतर - आपको जानकर आश्चर्य होगा - सब कुछ खत्म हो गया था। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय सहित पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में बाढ़ के परिणामस्वरूप, लगभग 102 लोगों की जान चली गई है और कई लोग अपंग हो गए हैं। जहां तक बुनियादी

ढांचे के नुकसान, संपत्ति के नुकसान और कृषि क्षेत्रों के नुकसान का संबंध है, यह 300 करोड़ रुपये से अधिक का होना चाहिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की आभारी हूँ कि उन्होंने असम को 270 करोड़ रुपये दिए हैं, और इतनी ही राशि अरुणाचल प्रदेश और मेघालय को भी दी गई है। लेकिन यहाँ बहुत अधिक राशि की आवश्यकता है क्योंकि नुकसान बहुत बड़ा हुआ है।

असम में बाढ़ एक वार्षिक तथ्य है। ब्रह्मपुत्र नदी एक बड़ी नदी है, और इसके तट बड़े हैं। इसके अलावा कई और नदियां भी हैं। लगभग 250 तटबंधों को सही करना पड़ा, लेकिन असम सरकार के लचर व्यवहार के कारण, भारी भ्रष्टाचार के कारण, और केंद्रीय सरकार द्वारा दिए गए धन को इधर उधर करने के कारण, सभी तटबंध बहुत खराब स्थिति में हैं और यहां तक कि एक सामान्य बारिश भी सब कुछ नष्ट कर देती है। इस समस्या को दूर करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि को केवल केंद्रीय सरकार की एजेंसियों द्वारा ही खर्च किया जाना चाहिए। अन्यथा, अगर यह असम सरकार को दी जाती है, तो सरकार के भ्रष्ट स्वभाव के कारण वे कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा, असम सरकार विफल रही है क्योंकि वे आपस में लड़ रहे हैं। इसलिए, अब कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है।

मैं गुवाहाटी से संसद सदस्य हूँ, जो उत्तर-पूर्वी क्षेत्र का प्रवेश द्वार है। गुवाहाटी दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर बनने जा रहा है, जिस पर प्रधान मंत्री द्वारा जोर दिया गया है। बारिश के मौसम में गुवाहाटी पानी के नीचे हो जाता है; संचार पूरी तरह से ठप हो जाता है तथा सड़कें और स्कूल भी पानी के नीचे आ जाते हैं और लोगों को गुवाहाटी शहर में भी नावों की आवश्यकता पड़ती है। माननीय प्रधान मंत्री, श्री मोदी जी ने मुझे आश्वासन दिया कि वह कुछ करेंगे, किन्तु आश्चर्य की बात यह है कि असम सरकार से अब तक कोई प्रस्ताव नहीं आया है। असम को हर बारिश के मौसम में आने वाली कृत्रिम बाढ़ से मुक्त करने के क्रम में असम सरकार ने गुवाहाटी शहर के विकास के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहती हूं कि आपदाएँ कभी भी वैसी नहीं होती, जैसी वे घटित होती हैं। हमने पहले भी इस प्रकार की चक्रवाती बाढ़ देखी है और अनुभव किया है, लेकिन इस बार आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा पूर्व चेतावनी के कारण बहुत से लोगों की जान बच गई। मुझे लगता है कि आपदा प्रबंधन विभाग को सक्रिय

होना चाहिए, और इसे सक्रिय किया जाना चाहिए। इसके अलावा, आपदा राहत कोष में या आपदा प्रबंधन के लिए दी जाने वाली धनराशि की उचित निगरानी करना भी आवश्यक है। मैं यह इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि अधिकांश पैसे का सही उपयोग नहीं हो रहा है। मैंने अपने राजनीतिक जीवन के इतने वर्षों में यही देखा और महसूस किया है। इसलिए, उन अधिकारियों द्वारा निगरानी की जानी चाहिए जो पैसे के प्रभारी हैं।

तीसरे, बादल फटने और भारी बारिश लोगों के व्यवहार के कारण होती है। हम प्रकृति की परवाह नहीं करते हैं। हमने प्रकृति की परवाह नहीं की और इसीलिए प्रकृति मनुष्यों से बदला लेती है। इसलिए, बाढ़ के बाद कटान होता है और असम के 30 प्रतिशत से अधिक भूभाग को ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा नष्ट कर दिया गया है। मुझे लगता है कि हमें बहुत सावधान रहना चाहिए और हम 'प्रकृति' की प्रकृति को ध्यान में रख सकते हैं। हमें समुचित व्यवहार करना चाहिए और यदि हम समुचित व्यवहार करेंगे तो मैं समझती हूँ कि देश में जो भी आपदाएं आई हैं उनको हम रोक पाएंगे।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): महोदय, 12 अक्तूबर, 2013 को ओडिशा एक भीषण चक्रवाती तूफान फैलिन की चपेट में आ गया था, जिसके कारण 30 जिलों में से 18 बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। राज्य सरकार ने भारत सरकार को दो ज्ञापन सौंपकर फैलिन प्रभावित क्षेत्रों और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की राहत, मरम्मत और बहाली के लिए 4,212.41 करोड़ रुपए और 1590.09 करोड़ रुपए जारी करने का अनुरोध किया था। ओडिशा ने नुकसान का विस्तृत आकलन करने का कार्य लंबित रहने तक केंद्र सरकार से 1,000 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि जारी करने का भी अनुरोध किया था ताकि राज्य सरकार चक्रवात और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में चल रहे राहत और बहाली कार्यों को जारी रखा जा सके। बीच में क्या हुआ था कि सरकार बदल गई और राज्य को वास्तव में बहुत ही कम पैसा हस्तांतरित किया गया। बाद में, जब यह नई सरकार आई है, तो उन्होंने मुद्दे को फिर से उठाया, क्योंकि वह फाइल पहले से ही बंद कर दी गई थी - मुझे यही समझाया गया – कि उन्होंने कुछ और पैसे दिए हैं। लेकिन वे पर्याप्त नहीं हैं। मैं उस मुद्दे पर बाद में आऊंगा।

माननीय प्रधानमंत्री महोदय, पूर्व प्रधानमंत्री ने ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए रु.1,000 करोड़ की अग्रिम राशि जारी करने का अनुरोध किया था, हालांकि पिछले साल आंध्र प्रदेश फैलिन से बहुत प्रभावित नहीं हुआ था। लेकिन, अविभाजित आंध्र प्रदेश और ओडिशा के लिए एक समान अग्रिम राशि जारी की गई थी। इसमें से 750 करोड़ रुपए एन.डी.आर.एफ. द्वारा *तदर्थ* आधार पर और शेष 250 करोड़ रुपए एस.डी.आर.एफ.से जारी किये गए दर्शाये गए थे, जो कि वर्ष 2013-14 के लिए 169.99 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त थी तथा अग्रिम राशि के रूप में 80 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी, जो कि केंद्र द्वारा एस.डी.आर.एफ. को वर्ष 2014-15 के लिए दिया गया योगदान है।

मैं यह ब्यौरा इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ज्ञापन द्वारा माँगी गई वास्तविक राशि, सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन की वास्तविक राशि और बाद में जिस तरीके से पैसा दिया गया है वह कितना कम है, इसे समझने में तारतम्यता की कमी है। बाद में, नुकसान के विस्तृत मूल्यांकन के बाद, भारत सरकार ने 22 जनवरी, 2014 को एन.डी.आर.एफ. द्वारा राज्य के एस.डी.आर.एफ. खाते में उपलब्ध शेष राशि की 75 प्रतिशत राशि के समायोजन के अध्यधीन केवल 934.61 करोड़ रुपए के अनुमोदन की सूचना दी गई है - ये सब लाल-फीताशाही

हैं। इस तदर्थ *रूप से* जारी की गई 750 करोड़ रुपए की राशि में से 298.62 करोड़ रुपए की पहचान जारी की गई अतिरिक्त राशि के रूप में की गई जिसे भविष्य की आपदाओं में समायोजित करने की आवश्यकता है।

इससे कोई क्या समझ सकता है? यह केवल गणितीय आंकड़ा है। यह बाजीगरी है और कुछ नहीं। ओडिशा फैलिन के कारण टूट गया था। हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं और हमारी सरकारी मशीनरी द्वारा किए गए बचाव और राहत अभियान की संयुक्त राष्ट्रों ने प्रशंसा की और भारत ने इस पर गर्व महसूस किया। लोगों की मदद करने के लिए और पीड़ितों की सेवा करने के क्रम में मुख्यमंत्री को बधाई देने के लिये संयुक्त राष्ट्र के शिष्टमंडल के प्रतिनिधि भुवनेश्वर गए। ओडिशा ने 10 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया था। यह विशिष्ट बात थी क्योंकि इसे दुनिया भर में सराहा गया था। फेलिन चक्रवात के कारण न्यूनतम जनहानि हुई। केंद्र सरकार ने जो किया, जिस आँकड़े का मैंने पहले उल्लेख किया था, वह पिछली सरकार के रवैये को दर्शाता है। उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी। हाल ही में, सितंबर 2014 में एक और सन्देश प्राप्त हुआ है और यह त्रासद है। मैं उम्मीद करता हूं कि मंत्री इस मुद्दे पर जवाब देंगे। हमें गृह मंत्रालय से दिनांक 10th सितंबर, 2014 की फाइल सं. 20-3/2014-एन.डी.एम.-आई. के माध्यम से एक पत्र मिला, जिसमें यह सूचित किया गया है कि 399.83 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि में से 292.77 करोड़ रुपये अनुग्रह सहायता के रूप में और 107.06 करोड़ रुपये की राशि आदान राजसहायता के रूप में ओडिशा सरकार को दी जाती है।

आश्चर्यजनक रूप से, यह स्वीकार करने के बाद कि 399.83 करोड़ रुपये राज्य के लिए है, केंद्र सरकार ने उसी पत्र में आगे संकेत दिया है कि भारत सरकार को ओडिशा सरकार द्वारा एसडीआरएफ के वर्ष 2014-15 और 2015-16 में इस राशि को खर्च करने पर कोई आपत्ति नहीं होगी। क्या मुझे सरकार को याद दिलाना होगा कि एसडीआरएफ का कोष बाढ़, सूखा, चक्रवात, तूफान आदि के मामले में सामान्य राहत और बहाली कार्य के लिए है, जो हमारे राज्य में लगभग हर साल आते हैं? क्या यह व्यवहार उचित है? केंद्र सरकार यह सलाह कैसे दे सकती है और कैसे कह सकती है कि वर्ष 2014-15 और 2015-16 के लिए एसडीआरएफ की सम्पूर्ण राशि फेलिन पर खर्च करें जोकि 2013 में आया था? क्या उम्मीद थी और अंत में क्या हुआ?

अनुग्रह सहायता और आदान राजसहायता की वर्ष 2014-15 के लिए एसडीआरएफ खाते से यदि फैलिन के लिए खर्च कर दिया जाता तो 12 अक्टूबर 2014 राज्य में समुद्री तूफान हुदहुद, जिसने 13 में से 15 जिलों को प्रभावित किया, के संबंध में सहायता और पुनर्वास कार्यों के लिए कोई धनराशि शेष नहीं बचेगी। अतः, मेरा सरकार से अनुरोध है और माननीय मंत्री महोदय से उम्मीद है कि वे 399.83 करोड़ रुपये की धनराशि फैलिन के लिए देंगे और चक्रवाती तूफान हुदहुद से प्रभावित लोगों की सहायता करने और पुनर्वास की सुविधा प्रदान के लिए 500 करोड़ रुपये की अंतरिम सहायता एनडीआरएफ से देंगे ।

अब मैं हुदहुद पर आता हूँ। यह इजरायल का एक सुंदर पक्षी है लेकिन ओमान ने गंभीर चक्रवात का नाम इसके नाम पर दिया। इस हुदहुद ने 12 अक्तूबर, 2014 को आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम;जो कि ओडिशा के बहुत करीब है, पर कहर बरपाया। इसने ओडिशा के दक्षिणी और मध्य तटीय जिलों को बुरी तरह प्रभावित किया है। चूंकि हमारी सरकार ने उचित समय पर पर्याप्त तैयारी सुनिश्चित कर ली थी, जिसके कारण बहुत कम लोग हताहत हुए। लोगों को बचाने की प्रक्रिया के दौरान एक नाव के पलटने के कारण केवल तीन लोग मारे गए थे।

2.5 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित आश्रय स्थलों पर पहुंचाया गया। बचाव कार्य के लिए एस.डी.आर.एफ. की सोलह इकाइयां, ओडिशा आपदा त्वरित कार्रवाई बल की दस इकाइयां और 1,265 अग्निशमन कर्मियों को तैनात किया गया था। हालांकि मरने वालों की संख्या को कम किया जा सकता था, फिर भी निजी घरों, कृषि और सार्वजनिक अवसंरचना को व्यापक नुकसान हुआ था। इस भीषण चक्रवात ने ओडिशा के उन क्षेत्रों को भी प्रभावित किया है जो समुद्र तट से सौ किलोमीटर दूर हैं। ओडिशा के ऐसे दूर-दराज के इलाकों के आदिवासी बहुल आबादी वाले क्षेत्रों में ऐसी आपदा कभी नहीं आई है।

ओडिशा के माननीय मुख्यमंत्री ने माननीय प्रधान मंत्री को 16 अक्तूबर को एक पत्र लिखा था जिसमें कहा गया था कि वर्ष 2014-15 के लिए एसडीआरएफ निधि लगभग खाली हो चुकी है। 107 करोड़ रुपये की धनराशि अग्रिम रूप से आवंटित की गई थी जो पिछले साल आए चक्रवात फेलीन से बचाव संबंधी कार्यों पर खर्च कर दी गई। इस वर्ष के एसडीआरएफ कोष की शेष राशि का बड़ा हिस्सा चक्रवात फेलीन की देनदारियों,

विशेष रूप से फसल नुकसान के आवेदन जमा करने वाले किसानों को कृषि इनपुट सब्सिडी प्रदान करने के लिए खर्च किया गया है।

महोदय, इस वर्ष जून-अगस्त के दौरान राज्य को फेलिन और आई बाढ़ के कारण राहत और बहाली के उपाय करने के बावजूद, पिछली आपदाओं से संबंधित दावे अभी तक भी लंबित हैं? एस.डी.आर.एफ. खाली है। क्या एन.डी.आर.एफ.भी खाली है या यह देर करने की रणनीति है? हमारे मुख्यमंत्री ने राहत और बहाली के लिए तत्काल कदम उठाने के क्रम में एन.डी.आर.एफ. से 500 करोड़ रुपये की अंतरिम सहायता देने का अनुरोध किया है। यह अनुरोध 16 अक्तूबर 2014 को था। अब दिसंबर चल रहा है। कृपया हमें बताएं कि आपने क्या किया है।

जी हां, एक केंद्रीय टीम गई है, एक सर्वेक्षण किया है, और दिल्ली वापस आ गई है, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। आप निर्णय कब लेंगे? लोग पीड़ित हैं क्योंकि उनके आश्रय स्थल उखड़ गए हैं, उनका सामान उड़ गया है, वे दयनीय स्थिति में रह रहे हैं। यह वह स्थिति है जिससे कोरापुट, रायगढ़, मलकानगिरी और 15 जिलों के आदिवासी लोग प्रभावित हुए हैं। फेलीन का बीमा मुआवजा नहीं दिया गया है। मैं खुद को फैलीन और हुदहुद से संबंधित ओडिशा तक सीमित रखूंगा और सरकार से उम्मीद करूंगा कि वह जवाब दे।

एक मुद्दा और भी है, जिस पर इस सभा को विचार करना चाहिए, वह मुद्दा कश्मीर घाटी को प्रभावित करने वाली गंभीर बाढ़ से संबंधित है। मुझे बताया गया है कि इस तरह की पिछली भयंकर बाढ़ 1902 में आई थी। जो कहा जा रहा है और जो मैंने उन लोगों से सुना है जो उस स्थान पर गए हैं वे शब्द हैं - *जिंदे रुईद सेथा ची*। यह कश्मीरी में है और इसका मतलब है कि 'यह काफी है कि हम जीवित हैं', क्योंकि उन हफ्तों में कश्मीर घाटी ने जो तबाही देखी, ऐसी तबाही पहले कभी भी नही देखी गई थी। सिविल सचिवालय से उच्च न्यायालय और लाल चौक तक सत्ता और शासन के सभी संस्थान और व्यापारिक जिले 15 दिनों से अधिक समय तक जलमग्न थे। बस कल्पना करें कि शहर की राजधानी 15 दिनों के लिए जलमग्न है। क्या कोई ऐसी स्थिति की कल्पना कर सकता है कि यह किसी राज्य की राजधानी जलमग्न होने के कारण तबाह हो गई ?

बाढ़ ने प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए राज्य सरकार की तैयारी और उसके अपर्याप्त तंत्र को उजागर कर दिया। किसी को ओडिशा या आंध्र प्रदेश की तैयारी और जम्मू और कश्मीर की तैयारी की तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हर राज्य सरकार को किसी भी समय किसी भी प्राकृतिक आपदा का सामना करने के लिए तैयार रखना हमारे समक्ष एक बड़ी चुनौती है। मैं बड़ी समस्या पर आऊंगा कि कश्मीर को पहले से ही तैयार क्यों नहीं किया जा सका । मौसम की कोई चेतावनी नहीं थी, क्योंकि मध्य कश्मीर में स्थित भारत मौसम विज्ञान विभाग के भवन में भी पानी भर गया था। नारबल और कोवा के गांव लगभग नष्ट हो गए । श्रीनगर शहर में आई बाढ़ पिछले 25 वर्षों में आई सबसे भयंकर बाढ़ थी।

राजबाग, जवाहर नगर, गोगजी बाग, शिवपुरा, इंदिरा नगर, नातीपुरा, नौगांव, लस्जांग, लाल चौक, बाबा डंग, करुण नगर, कमरवारी और बेमिना सबसे ज्यादा प्रभावित हुए जिनमें पांच लाख से अधिक लोग कई दिनों तक पानी में फंसे रहे। । लेकिन इन कठिन परिस्थितियों में भी एक आशा की किरण है। जम्मू और कश्मीर में झेलम नदी द्वारा बरपाए गए असाधारण कहर से निपटने के लिए भारतीय सशस्त्र बल राज्य में अपने सबसे बड़े बचाव और राहत अभियानों में लग गया। उन्होंने राज्य के विभिन्न हिस्सों से 2.5 लाख से अधिक लोगों को बचाया। एन.डी.आर.एफ. ने भी एक बड़ी भूमिका निभाई। न केवल सेना और वायु सेना, बल्कि नौसेना ने भी बचाव और राहत अभियान में भाग लिया। घाटी के आपदा प्रभावित लोगों ने उनका स्वागत किया।

50 से अधिक वर्षों के बाद कश्मीर में बड़ी बाढ़ आई है। चिंताजनक बात यह है कि कुछ साल पहले, इंजीनियरों ने चेतावनी दी थी कि घाटी को गंभीर बाढ़ का सामना करना पड़ सकता है। वर्ष 1902, 1955, 1957 और 1959 में भयंकर बाढ़ आई थी। वर्ष 1902 की बाढ़ के दौरान, अधिकांश श्रीनगर दो वर्षों तक जलमग्न रहे। उस समय, यह घटना विभिन्न समाचार पत्रों में इस तरह प्रकाशित की गई थी कि डल झील और 1902 के श्रीनगर शहर के बीच कोई अंतर नहीं था और यह 2 वर्षों तक बाढ़ ग्रस्त रहा। कम से कम, इस बार सभी आधुनिक तकनीक के साथ, इसे 15 दिनों में नियंत्रित किया जा सकता था। इस दौरान क्या हुआ? बाढ़ के पानी की निकासी के रास्ते रुके हुए है क्योंकि वे सभी बंद पड़े हैं। अभी भी सरकार और उपकरण पानी की निकासी करने में सक्षम हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि यह बीमारी अभी भी बनी हुई है।

112 वर्षों के बीच क्या बदल गया है? यही त्रासदी थी जो होने का इंतजार कर रही थी। ऐसा क्यों है कि केंद्रीय जल आयोग के पास जम्मू और कश्मीर में एक भी पूर्वानुमान स्थल नहीं है? यह जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। मैं गृह मंत्री से इस बात पर भी चर्चा करने के लिए एक संयुक्त बैठक करने का अनुरोध करूंगा कि केंद्रीय जल आयोग के पास जम्मू और कश्मीर में पूर्वानुमान स्थल क्यों नहीं है, यद्यपि राज्य में बाढ़ आने की आशंका है।

क्या यह सच नहीं है कि अनियमित शहरीकरण ने भी पानी के रास्ते नहीं छोड़े हैं? सरकार अब क्या कर रही है? क्या उन्होंने श्रीनगर और नदी झेलम से तूफान के पानी के त्वरित निकास के लिए जल चैनलों को चालू रखने के लिए कोई अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजना तैयार की है?

अब, मैं असम की बाढ़ के बारे में बात करूंगा क्योंकि केवल महोदया बिजॉय चक्रवर्ती ने अभी इसके बारे में उल्लेख किया है। मैं कहूंगा कि सितंबर, 2014 में असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में 178 लोग हताहत हुए हैं। मैं इसके राजनीतिक पहलू की बात नहीं करना चाहूंगा। माननीय गृह मंत्री ने उस क्षेत्र का दौरा किया, असम और मेघालय के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। लेकिन इस दृष्टि से यह बहुत गंभीर विषय है कि बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुए हैं। पुल बह गए हैं; हज़ारों घर बह गए हैं और यहाँ सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो ज़मीन धंस रही है, उसके कारण भूमि का क्षरण हो रहा है। राज्य सरकार के पास इतनी आर्थिक क्षमता नहीं है कि वह तटबंध बना कर उसकी सुरक्षा कर सके। केंद्र सरकार को ही असम, अरुणाचल और मेघालय के भूभाग की रक्षा के लिए एक बड़ी योजना बनानी होगी और कार्यक्रम चलाने होंगे। यह पिछले 65 वर्षों से हो रहा है। हर साल अवसंरचना को नुकसान पहुँच रहा है। बाढ़ के पानी से कृषि भूमि बह रही है। लाखों किसान भूमिहीन हो रहे हैं। इसी तरह का कटाव ओडिशा के तट पर भी हो रहा है जहां समुद्री कटाव हो रहा है और हम केन्द्र सरकार से बार-बार इस बारे में कुछ करने का अनुरोध कर रहे हैं। यहाँ ऐसे कुछ विशिष्ट स्थान हैं। चार वर्ष पूर्व एक बार पुरी- जो एक प्रमुख पर्यटन क्षेत्र है, की तट रेखा क्षत-विक्षत हो गई थी। लेकिन, ज्वार की दिशा का कोण प्रकृतिक रूप से बदल जाने के कारण सौभाग्य से उस क्षेत्र को बचा लिया गया। लेकिन अविभाजित कटक और पुरी के जिलों में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां समुद्री कटाव हो रहा है। भारत सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए,

फिर चाहे वह असम में हो या अरुणाचल प्रदेश में हो मेघालय में हो या ओडिशा में हो। हो रहे भूमि कटाव को रोकने की आवश्यकता है।

इससे भी बड़ा बात यह है कि सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए और मृदा अपरदन को राष्ट्रीय आपदा मानना चाहिए। ऐसा नहीं किया जा रहा है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस मामले को उठाए और मृदा अपरदन को राष्ट्रीय आपदा घोषित करे। मैं अपनी बात समाप्त करते हुए यह मांग करूंगा कि आंध्र प्रदेश, ओडिशा, जम्मू और कश्मीर राज्यों को भीषण बाढ़ के लिए और उत्तर-पूर्व में भीषण चक्रवात और बादल फटने से प्रभावित असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय को विशेष पैकेज दिया जाए।

धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): उपाध्यक्ष महोदय, आज देश के विभिन्न भागों में, जम्मू और कश्मीर में वर्षा और बाढ़, आन्ध्र प्रदेश और ओडिशा के हुदहुद चक्रवात और महाराष्ट्र के सूखे के संदर्भ विशेष में नियम 193 के अंतर्गत बोलने का आपने अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

हम देखते हैं कि हमारे देश की आत्मा गांव में ही बसती है। हमारे किसान गांव में रहते हैं और गांव में खेती करते हैं। उनकी एक सोच है कि हम खेती करते हैं और सभी का पेट भरते हैं। किसान की मेहनत और परिश्रम से ही हम लोग ताकत लेते हैं। मैं एक किसान की बेटी हूं। मैं एक-एक चीज को देखती हूं कि जब आंधी, तूफान, सूखा, बाढ़ या प्राकृतिक विपदायें आती हैं तो उनको बहुत दर्द होता है। उनकी फसलें नष्ट हो जाती हैं और उनका कलेजा टूट जाता है। ऐसी विपदाएं आती रहती हैं। लोगों को जिन विपदाओं का सामना करना पड़ता है, उन्हें हम लोग ने देखा है। अचानक विपत्तियां आईं और देखते ही देखते सब कुछ ध्वस्त हो गया। हुदहुद के कारण वहां बाढ़ आ गई। जम्मू-कश्मीर में कभी बाढ़ नहीं आती थी, लेकिन इस बार टी.वी. पर बाढ़ के कारण हुए विनाश को देख कर हमारा दिल कांप जाता था। हम लोग त्राहिमाम् करते थे।

मेरे संसदीय क्षेत्र शिवहर में और समूचे उत्तरी बिहार में मानसून के दौरान भीषण बाढ़ आती है। पूर्वी चम्पारण जिले के सिकहरना, बूढ़ी गंडक नदी के तटबंध की स्थिति अत्यनत जर्जर है, जिससे मधुबन, चिरैया, ढाका, पकड़ीदयाल के तटबंध खतरनाक स्थिति में आ गये हैं, इस चीज को हम महसूस करते हैं। गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की जानकारी में रहने के बावजूद इस पर कोई अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो पाई है। इन तटबंधों की दयनीय स्थिति को देखने से पता चलता है कि वर्षों से उन तटबंधों पर ऊंचीकरण व सुदृढ़ीकरण के कार्य नहीं किये गये हैं, जिससे वर्षा के दिनों में नेपाल से निकलने वाली नदियों के जल प्रवाह से सिकरहना नदी में प्रत्येक वर्ष बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तथा लाखों हेक्टेयर फसल एवं बड़ी आबादी तबाह हो जाती है। पश्चिम चम्पारण, पूर्वी चम्पारण एवं मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत चनपटिया, सुगौली, लालबगेया, चिरैया, ढाका, मधुबन, पकड़ीदयाल, कटैया, सेमरा, मोतीपुर तथा सिकरहना, बूढ़ी गंडक नदी 143 किलोमीटर बायें व दायें तटबंध का ऊँचीकरण व सुदृढ़ीकरण का कार्य होने से लाखों हेक्टेयर कृषि भूमि आबाद हो जाएगी और सिंचाई

की सुविधा मिलने से लोगों में नई जान आ जाएगी। पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण और मुजफ्फरपुर जिले की कृषि उत्पादन क्षमता भी कई गुना बढ़ जाएगी तथा बाढ़ से होने वाली तबाही से भारी आबादी को निजात मिल सकेगी।

शिवहर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत नेपाल से निकलने वाली बागमती नदी के जल प्रवाह से सीतामढ़ी जिले के बेलसंड से रुन्नीसैदपुर तक लगभग 15 किलोमीटर लम्बा एवं 4 किलोमीटर चौड़ा कृषि एवं आवासीय क्षेत्र में निरंतर जल बहाव एवं जल जमाव से लगभग 50 हजार आबादी एवं 12000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि पानी में डूब जाती है। बाढ़ के दिनों में इस इलाके के किसान एवं आम लोग अमानवीय यातना के शिकार होते हैं। जीविका एवं आवास से मरहूम यहां के लोग विस्थापित जीवन व्यतीत करते हैं। उन्हें रहने के लिए न तो घर मिलते हैं और न ही कोई जगह मिलती है। उन्हें बाथरूम्स की सुविधा भी नहीं मिलती है। उनके जानवरों के लिए चारा नहीं मिलता है। उनकी ऐसी स्थिति को देख कर हमें बहुत पीड़ा होती है। इन्हीं के कारण हमारे शिवहर जिले में माओवादी और नक्सलाइट ज्यादा उभर पड़े हैं। क्योंकि, उनका रोजगार इनके कारण छिन जाता है, किसानों की खेती-गृहस्थी छिन जाती है और अंत में वे हथियार उठाकर अपना पेट भरने के लिए निकल जाते हैं। यह भी इसका एक कारण है।

बागमती नदी प्रत्येक वर्ष बाढ़ के साथ जल प्रवाह में बड़े पैमाने पर अपने क्षेत्र में सिल्ट लेकर आती है। बागमती तटबंध की क्षमता घटती जा रही है। 15 किलोमीटर क्षेत्र में सालों से जल-जमाव बना रहता है, इस जल जमाव से पशुपालन एवं कृषि कार्य को करने में काफी असुविधा होती है एवं वातावरण भी प्रदूषित हो जाता है। हमारे यहां सूखे की भी वही स्थिति है। सूखे की स्थिति में लोग त्राहिमाम् करने लगते हैं। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार से मिलने वाली सुविधा लोगों तक पहुंचने में बहुत विलम्ब हो जाता है और उसका एक हिस्सा रास्ते में चाटुकार खा जाते हैं और वही कहा जाता है कि "हर बहे सो खर खाता है और बकरी बैठ कर अचार खाती' है। वहां पर बिचौलिए खा-पीकर मस्त हो जाते हैं, लेकिन हमारे किसानों को वह सुविधा नहीं मिलती है।

शिवहर संसदीय क्षेत्र सहित मेरा प्रदेश बिहार पिछले कई वर्षों से सूखे की मार झेल रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा प्रेस में दिए गए बयान के मुताबिक राज्य में सूखे जैसी स्थिति है। बिहार में अब तक हुई बारिश में 20 प्रतिशत की कमी आई है। बहुत ही कम हुई बरसात के कारण अब तव सिर्फ 41 धान की फसल की रोपाई हो पाई है। यह तो समझा जा सकता है कि मौसम पर तो किसी का बस नहीं है, परन्तु सूखे से निपटने की अच्छी व्यवस्था होने पर किसानों को बड़ी राहत मिल सवती है और देश की खाद्यान्न समस्या से निजात मिल सकती है। वैकल्पिक तरीकों से सिंचाई जैसे बोरिंग, ट्यूबवेल इत्यादि का इस्तेमाल करके खेतों को पर्याप्त पानी उपलब्ध करा कर, उन्नत एवं सब्सिडाइज्ड बीज उपलब्ध करा कर खेती को अच्छ किया जा सकता है। वैकल्पिक फसल लगाकर जिसमें कम पानी का उपयोग होता है, सूखे की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। बिहार सहित देश के तमाम किसान आशा भरी निगाहों से केन्द्र एवं राज्य सरकारों की ओर देख रहे हैं। इस प्राकृतिक त्रासदी से आविलंब छुटकारा मिलना चाहिए और इसमें हमारे केन्द्र सरकार की सबसे बड़ी भूमिका है। सूखे के प्रति जागरूकता, सतर्कता एवं भरपूर समर्थन देकर हम वाकई में मजदूरों, ग्रामीणों एवं किसानों के लिए अच्छे दिन ला सकते हैं। हम देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी जब से आए हैं, प्राकृतिक विपदा तो आती ही रहती है, उस पर किसी का जोर नहीं है, लेकिन सच है कि विपत्तियां जब आती है तो कायरों को दहलाती, है सूरमा विचलित नहीं होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने 750 करोड़ रुपये एक बार देकर जो उजड़ गए थे, उनको विस्थापित करने का काम किया है। हम यह भी कहना चाहेंगे कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, आज प्रधानमंत्री जी की कोशिश बेकार नहीं जाएगी, संघर्ष का मैदान छोड़कर भागो मत, किए बिना ही जय-जयकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती।

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग) : महोदय, महाराष्ट्र के साथ अन्य प्रदेशों में सूखा और बाढ़ से जो गंभीर स्थिति पैदा हुई है, उसके ऊपर नियम 193 के अंतर्गत जो चर्चा हो रही है, उस पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

खासकर महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में इस वर्ष जिस तरह सूखे की हालत पैदा हुई है, इस सत्र में कई सांसदों ने शून्य काल में इस बारे में चर्चा उपस्थित की और शासन का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन दुर्भाग्य से महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ का जो सूखाग्रस्त एरिया है, वहां केन्द्र सरकार की तरफ से आज तक कोई भी टीम नहीं गई है। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में आठ जिले हैं, आठों जिलों में हर दिन कम से कम पांच किसान खुदकुशी करते हैं, सिर्फ मराठवाड़ा के आठ जिलों में कल तक 424 किसानों ने आत्महत्या कर ली। इस वर्ष महाराष्ट्र के विदर्भ में 1410 किसानों ने खुदकुशी की, इसका कारण सूखा है। तीन वर्ष हो चुके, वहां एक बूंद बारिश नहीं हुई। इसी वजह से लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है, खेती के लिए पानी नहीं है, जानवरों के लिए पानी नहीं है, किसान अपने जानवरों को कसाईखाने में बेचते जा रहे हैं। भगवान की कृपा से जो मनुष्य देह प्राप्त हुआ, इस मनुष्य देह को खुदकुशी करने के लिए समर्पित करते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि खुदकुशी करने वाले की उम्र 45 से 50 वर्ष के अंदर है। कर्ज बहुत हो चुका है, घर में बिटिया बड़ी हो रही है, उसकी शादी नहीं हो रही है, बैंक का लोन है, उनका हफ्ता पूरा नहीं कर सकते, बैंक का हफ्ता न देने की वजह से बैंक की रिकवरी आती है, इसी वजह से परेशान सारे किसान बूढ़े मां-बाप का विचार नहीं करते, बीवी का विचार नहीं करते, बाल-बच्चे का विचार नहीं करते और परेशान होकर एक दिन बाजार जाते हैं, जहर खरीदते हैं और अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं।

<u>अपराह्न 3.00 बजे</u>

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ इस वर्ष, यानी एक जनवरी से दिसम्बर कल तक जिन 424 किसानों ने आत्महत्याएं कीं, उन तक सरकार की कोई सहायता नहीं पहुंची। यह दुर्भाग्य की बात है। हम यहां मांग करते हैं,

चर्चा करते हैं, खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेन्द्र फड़णवीस ने साढ़े चार हजार करोड़ रुपये का पैकेज देने की विनती की है। कल महाराष्ट्र के रेवन्यू मिनिस्टर ने संबंधित केन्द्रीय मंत्री से मुलाकात करके रिक्वैस्ट की कि आप महाराष्ट्र के किसानों के लिए साढ़े चार हजार करोड़ रुपये का पैकेज दीजिए, ताकि हम उनकी जान बचा सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, हमें किसानों की जान तो बचानी है, लेकिन उसके साथ-साथ, जैसे मैंने बताया कि जानवरों की भी जान बचाने की जरूरत है। वहां पशु-पक्षी भी मर रहे हैं। पूरा प्रदेश सूखे से बहुत प्रभावित है। मराठवाड़ा और विदर्भ के प्रदेश इस गंभीर स्थिति से आज से नहीं, कई सालों से जूझ रहे हैं। सूखे की समस्या का समाधान करने के लिए जिस तरह का प्रावधान करना चाहिए था, वह आज तक नहीं हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में पानी की कमी नहीं है। कोंकण जिले के रतनागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगढ़ जैसे ऐसे जिले हैं, जहां बारह मास नदियां भरती रहती हैं। बारिश में उन नदियों में बाढ़ आ जाती है। पूर्व प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में नदी जोड़ो कार्यक्रम की सिर्फ घोषणा हुई, लेकिन उस पर आज तक अमल नहीं हुआ। मेरी आपके माध्यम से सम्माननीय प्रधान मंत्री जी से प्रार्थना है कि महाराष्ट्र में सूखे की वजह से जो गंभीर स्थिति है, उसका हल निकालने के लिए आप गंभीरता से ध्यान दीजिए और जिन नदियों में बारह मास पानी बहता रहता है, उन नदियों का पानी मराठवाड़ा और विदर्भ के सूखाग्रस्त एरियाज में लेने की कोशिश करें। अगर आपने ऐसा किया तो वहां की जनता का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। उसके साथ-साथ वहां की जनता और जानवरों की जान भी बच सकती है। जब नर्मदा सरोवर का पानी कच्छ जैसे रेगिस्तान में जा सकता है और कल का रेगिस्तान आज एक हरियाली जैसा जिला दिखाई पड़ रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि महाराष्ट्र और कई एरियाज में आज तक हम ऐसा नहीं कर पाये।

उपाध्यक्ष महोदय, आज सूखे की चर्चा यहीं समाप्त होनी चाहिए। हम प्रश्न काल या अन्य सुविधा लेकर महाराष्ट्र या मराठवाड़ा की इस गंभीर समस्या को यहां उठाते रहते हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि केन्द्र सरकार की एक टीम मराठवाड़ा और विदर्भ के सूखाग्रस्त एरियाज की असली स्थिति को देखकर एक रिपोर्ट तैयार

करे। लेकिन केन्द्र शासन के माध्यम से महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त लोगों की मदद करने के लिए जिस तरह का प्रयास करना चाहिए था, वह नहीं हुआ।

मैं आपके माध्यम से, इस चर्चा के माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं कि वह महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ के किसानों और जानवरों की जान बचाने के लिए गंभीरता से प्रयास करके लोगों को राहत पहुंचाये। धन्यवाद।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार के बहुत बड़े हिस्से में हुदहुद का प्रभाव पड़ा था। उसके साथ-साथ मधुबनी, जो मेरा क्षेत्र है, वहां भी हुदहुद के आंशिक प्रभाव पड़े। बेनीपट्टी और बिस्फी, इन दो ब्लाक्स में कई गांव ऐसे हैं, जहां काफी क्षति हुई, बर्बादी हुई। जब इसका मूल्यांकन किया गया तो उसमें इन गांवों का मूल्यांकन नहीं हो पाया, जिससे उन्हें जो भरपूर सहायता मिलनी चाहिए, वह नहीं मिल पायी।

मेरा आग्रह है कि उन लोगों को भी पूरी सहायता मिले और इसकी ठीक से समीक्षा, मूल्यांकन और सर्वेक्षण हो तथा उन लोगों को भी सहायता मिले। बात यह है कि प्राकृतिक आपदा का कारण क्या है, जब तक उसके कारण का निवारण नहीं होगा, हम रिलीफ बांटते रहें, सहायता देते रहें, उससे किसी समस्या का निदान नहीं होगा। हमने प्रृकति के साथ छेड़छाड़ की है। हमने पहाड़ पर से लकड़ियाँ काटी हैं, पहाड़ को नंगा किया है। पहाड़ से जमीन का, भूमि क्षरण होता है, सभी नदियाँ हिमालय से निकलती हैं, उन नदियों में इतनी मिट्टी आती है कि सभी नदियों के पेट भर जाते हैं। उन नदियों को दोनों तरफ से बांध से घेर दिया गया है। पानी का बहना सहज स्वभाव है। उसे बहने का रास्ता चाहिए। हमने उसके रास्ते को घेरा है। प्रकृति के विरुद्ध, उसके स्वभाव के विरुद्ध हमने काम किया है। जब मिट्टी ऊपर से आती है तो नदी का पेट गाद से ऊँचा होता गया, अब नदी ऊँची होती जाती है और दोनों तरफ की जमीन गहरी होती चली गयी है। बाढ़ का पानी हर साल ऊँचा उठता जाता है। जब बांध टूटता है तो वह प्रलयंकारी हो जाता है। गांव के गांव बर्बाद हो जाते हैं। मेरी विनम्र प्रार्थना है कि नदियों के सभी तटबंधों को तोड़कर ध्वस्त कर दिया जाए, नदियों को स्वतंत्र कर दिया जाए। जब तक हमारे मिथिलांचल में ऐसी स्थिति थी तब ऐसी दुर्गति नहीं होती थी। जब से यह बांध बांधा गया है तब से हम दुर्गति में आ गये हैं। इसलिए इस पर विचार किया जाना चाहिए।

पानी के बहाव के जो परम्परागत स्रोत- नदी, नहर, नाले थे, उनका आतिक्रमण कर लिया गया, लोगों ने उन्हें भर दिया । ताकतवर लोगों ने घर बना लिया। मेरे मिथिलांचल में एक-एक तालाब 50-100 एकड़ का था। वे सभी अंग्रेजी राज में खुदवाया गया था, उसमें बाढ़ का पानी आता था। एक बाढ़ का पानी तालाब के पेट में चला जाता था। अब उन पोखरों को भर दिया गया, भूमि-सुधार के नाम पर उसको बांट दिया गया, उसमें खेती हो गयी। अब बाढ़ का पानी आता है तो उसके रुकने के लिए कहीं तालाब नहीं है जो डैम का काम करता था, उससे सिंचाई भी होती थी, मछली पालन होता था और बाढ़ से सुरक्षा भी होती थी। जितने नहर नाले-पैन थे, वे सब भर दिये गये। मनरेगा योजना के द्वारा एक आभियान चलाया जाए कि ऐसे जितने परम्परागत सिंचाई के स्रोत थे और पानी भरने के स्रोत थे, उन्हें आतिक्रमण से मुक्त करके सभी की खुदाई कर दी जाए, मृत नदियों की खुदाई कर दी जाए ताकि बाढ़ का पानी आवे तो सीधे बहते हुए गंगा नदी या समुद्र में चला जाए, वह कहीं न रुकने पावे। इससे हमें लाभ मिलेगा। हमें इस पर जोर देना चाहिए। मधुबनी और दरभंगा में पश्चिमी कोसी नहर बनायी गयी। उसकी जो रेखांकन है, पानी पहाड़ पर से आता है और उत्तर से दक्षिण की ओर बहता है। पश्चिमी कोसी नहर की सभी नहरें पूर्व से पश्चिम की ओर हैं। पानी के विपरीत इन नहरों के जो बांध हैं, उनके कारण पानी रुकता है। नहर के भी बांध टूटते हैं और बाढ़ की समस्या निरंतर बढ़ती जाती है। इसीलिए बगहा, बाल्मिकी नगर से लेकर किशनगंज तक, पश्चिम से पूर्व तक एक नहर की खुदाई की जाए ताकि हिमालय से आने वाली नदियाँ, मिथिलांचल में लगभग एक-दो दर्जन नदियाँ हैं, वे सब उस नहर से जुड़ जाएं और सभी नदियों में एक बार बाढ़ नहीं आती है, किसी एक नदी में जब बाढ़ आएगी तो वह उस नहर के द्वारा सभी नदियों में बिखर जाएगी। जब पानी आएगा तो उससे सिंचाई का कार्य भी होगा, उसमें डैम बना दिया जाए। हमारे यहाँ एक छोटी नदी- बछराजा है, जो अंतःसलिला नदी है, उसमें 12 महीने तक जल स्रोत के रूप में पानी निकलता रहता है। उस पर हम लोग लड़ते रहे। यदि उसमें जगह-जगह पर स्लूस गेट बना दिया जाए तो बाढ़ की समस्या भी रुकेगी और साथ-साथ उससे सिंचाई भी होगी। किसान, ग्रामवासी, गरीब, मजदूर जो चाहते हैं, उनकी इच्छा के अनुरूप योजना नहीं बनती है। योजना शिखर से बनती है और सतह पर जाती है। योजना सतह पर बने और शिखर उसे लागू करे। शिखर से योजना बनावे और सतह पर लागू करावे तो वह जन विरोधी योजना बन जाती है। इसलिए

मैं भारत सरकार के प्रधानमंत्री से यह निवेदन करूंगा कि इसमें परिवर्तन होना चाहिए। गांव से योजना बने और दिल्ली आवे। दिल्ली उसका कार्यान्वयन करे तब गांवों का कल्याण और विकास होगा तथा बाढ़ की समस्या के साथ प्राकृतिक प्रकोप का निराकरण हो सकता है।

श्री हुकुम सिंह (कैराना) : अभी हमारे वरिष्ठ सांसद अपने विचार रख रहे थे, मैं उनसे पूर्णतः सहमत हूं। वास्तव में लोगों ने आतिक्रमण करके सब रास्ते पाट दिए, पानी निकलने की कोई जगह नहीं छोड़ी।

मैं विषय पर आना चाहता हूं, हाल ही में तीन बड़ी-बड़ी त्रासदियां आईं। गढ़वाल में ऐसी त्रासदी आई कि जैसे बादल फटा हो, कहीं किसी को वार्निंग न मिली हो, निकलने का रास्ता न हो। वह ऐसा समय था जब लोग केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन के लिए गए थे। दक्षिण, पूर्व, पश्चिम से लाखों लोग वहां एकत्रित थे और एकदम पानी के आने से तमाम रास्ते कट गए। स्थिति यह हुई कि स्थानीय प्रशासन का पता ही नहीं चला कि स्थानीय प्रशासन कहीं है या नहीं। हमें सोचना यह चाहिए कि अगर योजना बनानी है तो जिस क्षेत्र में इस प्रकार की त्रासदी आम तौर से आती रहती है, वहां पर प्रशासन में हमें किस प्रकार की संस्कृति को विकसित करना चाहिए। लोगों में जिम्मेदारी बंटे कि ये लोग बाढ़ का काम देखेंगे, ये लोग बाहर निकालने का काम देखेंगे और ये लोग वहां स्थानीय रूप से रहकर देखेंगे जिससे किसी यात्री को कोई दिक्कत न आए। मुझे आज यह कहने में बड़ा कष्ट हो रहा है कि वहां बाढ़ आई थी, सभी लोग घिरे हुए थे, कहीं जाने का रास्ता नहीं था और दूसरी ओर कुछ लोग बाहर से आकर उन यात्रियों के साथ ज्यादती कर रहे थे, महिलाओं के साथ ज्यादती कर रहे थे। अगर किसी के हाथ में जेवर था और वह नहीं निकल पाया तो उसके हाथ तक काट दिए और उसको लूटा गया। यह बात एक दिन या दो दिन नहीं, हफ्तों तक चलती रही, स्थानीय प्रशासन का कहीं अता-पता नहीं था। एक मिसाल मेरे अपने जनपद की है। वहां 50 यात्री दर्शन करने के लिए गए, उनमें एक स्थानीय विधायक भी थे। जब दो दिन तक वे चलते रहे, उनको कहीं बैठने की जगह भी नहीं मिली, तब वे एक उस जगह पहुंचे जहां एक छोटा सा रेंस्तरां था, उसमें तख्त पड़ा हुआ था। उन्होंने उससे शरण मांगी तो उन्हें 1000 रुपये केवल आधे घण्टे उस तख्त पर बैठने के लिए देने पड़े। आखिर सरकार की जिम्मेदारी क्या है? वहां जो राज्य सरकार थी, उसकी यह जिम्मेदारी बनती थी इस बात को देखने की कि वहां क्या व्यवस्था है और क्या नहीं है। मेरा पहला बिन्दु यही है कि हमें इस पर विचार करना चाहिए कि जो क्षेत्र त्रासदीग्रस्त हैं, जहां आम तौर से त्रासदी आती रहती है, वहां हमारी सारी योजना बननी चाहिए। हमने जिले से लेकर, प्रदेश से केन्द्र तक डिस्ट्रेस मैनेजमेंट के संगठन तो बना दिए, लेकिन कभी उनकी ड्रिल नहीं होती, उनकी आपस में इंटरएक्शन नहीं होती

और वहां सही दिशा नहीं मिल पाती है। यह उसी का परिणाम है। यह एक संतोष की बात है कि हाल ही में कश्मीर में जो त्रासदी आई, जिस प्रकार से केन्द्र सरकार ने आगे बढ़कर, खुद प्रधान मंत्री जी ने नेतृत्व प्रदान करके उस त्रासदी को रोकने और वहां के लोगों को रिलीफ देने की कोशिश की, सारे विश्व में आज उसकी चर्चा है कि भारत आज इतना बदला है, इतनी तीव्रता के साथ वह कार्रवाई कर सकता है। यह एक संतोष की बात है। अभी दूध की बात आई, बहुत-से लोगों ने अपने-अपने क्षेत्रों की चर्चा की कि किस प्रकार से वहां विनाशकारी लीला हुई। इसमें मेरे दो-तीन सुझाव हैं। एक, जो हमारा वार्निंग सिस्टम है, आज टेक्नोलॉजी के इस युग में इस वार्निंग सिस्टम को जितना मॉडर्नाइज होना चाहिए, वह नहीं हुआ है। अभी कुछ समय पहले अमेरिका में भयंकर तूफान आया था, वहां तीन दिन पहले चेतावनी दे दी गयी और सरकार की पूरी मशीनरी उन लोगों को बाहर निकालने में लग गयी। संभवतः किसी को जान का नुकसान नहीं होती, उनकी आपस में इंटरएक्शन नहीं होती और वहां सही दिशा नहीं मिल पाती है। यह उसी का परिणाम है। यह एक संतोष की बात है कि हाल ही में कश्मीर में जो त्रासदी आई, जिस प्रकार से बारे में हम बता सकते हैं, बारिश के बारे में एडवांस में बता सकते हैं। "बादल फटना या क्लाउड बर्स्ट " एक टर्मिनोलॉजी है, आखिर ज्यादा बारिश होने को ही बादल फटना कहते होंगे? क्या हमारे वैज्ञानिक इस बात के बारे में अभी तक अध्ययन नहीं कर पाए हैं? जिस देश के वैज्ञानिक इतने आगे बढ़ सकते हैं कि मार्स तक अपना यान भेज सकते हैं, क्या वहां बात इतनी आगे नहीं बढ़ी है कि हम लोग तीन या चार दिन पहले इस बात का अनुमान लगा सकें कि वहां पर क्या होने जा रहा है? उस बादल फटने से तमाम का तमाम गढ़वाल बर्बाद हुआ है। कश्मीर में भी यही हुआ। एकदम से इतनी बारिश हुई और जैसे पहले भी कहा गया है कि प्रशासन किस के लिए है, सरकार काहे के लिए है? अगर सारे क्षेत्रों में एनक्रोचमेंट होता रहेगा, जहां जिसका मन आयेगा, मकान बना लेगा, जहां जिसका मन आयेगा, रुकावट पैदा कर देगा, सड़कें बना देगा और पानी निकलने की जगह खाली नहीं रहेगी, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? आज हम उसी भयंकर भूल का परिणाम भुगत रहे हैं और उसकी बहुत बड़ी कीमत हमें देनी पड़ रही है। क्या यह संभव है कि हम इस आपदा से सबक लेकर, चाहे आपदा गढ़वाल में आई हो, कश्मीर में आई हो, ऐसी त्रासदी जहां भी आई

है, वहां से हम एनक्रोचमेंट हटा सकें। अगर आतिक्रमण हट गया होता, तो पानी के बहने की जगह मिल गयी होती और यह त्रासदी न हुई होती।

दूसरी बात रिलीफ मेज़र्स की है। अगर कश्मीर में केन्द्र सरकार हरकत में नहीं आई होती, तो वहां भी हालत यही होती, क्योंकि रिलीफ के नाम पर वहां शून्य था। प्रदेश सरकार तब हरकत में आई जब केन्द्र सरकार ने अपनी टीमें वहां भेजनी शुरु कर दीं। सेना को लगना पड़ा और सेना ने जिस बहादुरी के साथ उस काम को संभाला, उसकी भी प्रशंसा चारों तरफ हुई। इसमें सोचने की बात यही है कि किस प्रकार से हम इस त्रासदी का प्रभाव कम से कम कर सकें। हम इसे खत्म तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुदरत की मार है, लेकिन निश्चित रूप से हम उसका प्रभाव कम कर सकते हैं और जान-माल की रक्षा कर सकते हैं। इसी बारे में हमें चिंता करनी चाहिए। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि आपने एक अत्यन्त महत्वपूर्ण चर्चा, जो देश की दैवी आपदा से प्रभावित है, चाहे आंध्र और उड़ीसा में हुदहुद हो या महाराष्ट्र का सूखा हो, जम्मू-कश्मीर की बाढ़ हो या उत्तर प्रदेश के एक बड़े भूभाग में सूखे से त्रासदी हुई हो और पूर्वांचल में उस समय बाढ़ की विभीषिका से काफी मौतें हुई हों, ऐसी महत्वपूर्ण चर्चा में मुझे भाग लेने का मौका दिया मैं उसके लिए आपका आभारी हूं

मैं समझता हूं कि हम सब चुनकर इसलिए सदन में आते हैं कि देश की जनता को, इस तरह की जो समस्याएं या चुनौतियां हैं, कम से कम उन चुनौतियों के समाधान के लिए, केन्द्र सरकार के माध्यम से राज्यों का भी हम ध्यान आकृष्ट कर सकें और उसका समाधान कुछ निकल सके। ऐसी महत्वपूर्ण चर्चा में कदाचित, अगर पूरा सदन उपस्थित रहता, तो बहुत अच्छा लगता। पूरे देश की जनता इस बात का आभास करती है कि चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, असम की बाढ़ हो, महाराष्ट्र का सूखा हो या आंध्र और उड़ीसा का हुदहुद हो, देश के सभी भागों की प्राकृतिक आपदा पर चर्चा हो रही हो और उसमें जो अपने को सम्मानित विपक्ष कहते हों, वे सदन से अगर बाहर रहें, तो वे अपनी जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह सदन के रिकार्ड पर जरूर आना चाहिए।

वर्ष 2014 में, इस खरीफ के समय, जिन समस्याओं पर चर्चा हो रही है, उसमें मैं सूखे की तरफ आता हूं। खुद माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया था कि खरीफ 2014 के दौरान, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में और कर्नाटक में सूखे की स्थिति है। हरियाणा के 21 जिले, कर्नाटक के 9 जिले और 34 ताल्लुका, उत्तर प्रदेश के 44 जिले और महाराष्ट्र के 22 जिले सूखाग्रस्त घोषित हुए थे।

मान्यवर जब किसान की खून-पसीने की कमाई की फसल का 50 प्रतिशत भाग खराब हो जाता है, तब एक मानदंड होता है कि प्रशासन राज्य सरकार को संस्तुति भेजता है और राज्य सरकार फिर उसे सूखाग्रसित घोषित करती है। महाराष्ट्र के सूखे की स्थिति की भी चर्चा हुई है और वर्ष 2011 में महाराष्ट्र में सूखे के कारण 608 मौते हुईं, वर्ष 2012 में 642 मौते हुईं, वर्ष 2013 में 407 आत्महत्याएं हुईं। अगर आज भी देश की आजादी

के इतने वर्षों के बाद, इस तरह की दैवी आपदाओं से लोगों को आत्महत्याएं करने पर विवश होना पड़े, लोग इस तरह से अपनी जीवन-लीला को समाप्त करें

यह सदन कहीं न कहीं निश्चित तौर से चिंतित है कि इसके लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए? माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि देर से आए मानसून के लिए उन्होंने कुछ कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रोटेक्टिव इरीगेशन के लिए डीजल पर सौ करोड़ रुपये की सब्सिडी दी है। यह निश्चित तौर से एक स्वागत योग्य कदम है। इसके अलावा पुनः बुआई और सूखे के बाद जो बीज खराब हो जाते हैं, उसके लिए भी राज सहायता बढ़ायी है। समेकित बागवानी के लिए सात सौ करोड़ रुपये सूखे की स्थिति को देखते हुए केन्द्र सरकार ने दिए हैं। सूखा पड़ने पर तालाब सूख जाते हैं, पानी का संकट हो जाता है, फोडर का संकट हो जाता है। इससे हमारे देश के किसान जूझते हैं। इसके लिए वर्ष 2014-15 में राट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत सौ करोड़ रुपये दिए गए। यहां तक की चारा सामग्री में तेल रहित सोया खली, मूंगफली की खली, सूरजमुखी की खली, कनोला की खली, राइसब्रोन और पामगिरी केक के आयात पर शुल्क की माफी की गयी है। इस तरह से चारे की उपलब्धता के लिए सरकार द्वारा राहत दी गयी है। यह भी कहा गया कि हम जो राट्रीय कृषि विकास योजना का पैसा राज्यों को देते हैं, उस राट्रीय कृषि विकिास योजना में राज्य सूखे की स्थिति को देखते हुए दस प्रतिशत स्थानीय प्राथमिकताओं को देखते हुए खर्च कर सकते हैं। लेकिन आज स्थिति है। उत्तर प्रदेश में 44 जिले सूखे की चपेट में आ गए। इन जिलों में सेन्ट्रल टीम भी गयी और इनको सूखाग्रस्त घोात कर दिया गया। लेकिन अभी भी सूखा राहत कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक पत्र लिखा कि फरवरी और मार्च के महीने में पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ आयी। इसके अलावा इतनी ओलावृष्टि हुई कि किसानों की पूरी फसल खराब हो गयी। उसके संबंध में 17 अप्रैल 2014 को सहायता के लिए एक चिट्ठी लिखी गयी। यहां से एक सेन्ट्रल टीम गयी थी। राज्य सरकार ने पहले पांच सौ करोड़ रुपये की मांग की थी, बाद में 365.28 करोड़ रुपये का अमेंडेड मेमोरेंडम यहां भेजा गया। जो जिले ओलावृष्टि से प्रभावित हैं, यही सूखे की भी चपेट में हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि किसानों को एक दोहरी आपदा का सामना करना पड़ रहा है। 10 अक्टूबर को केन्द्र सरकार ने क्वैरी की थी, जिस को राज्य सरकार ने संशोधित कर दिया। ओलावृष्टि से प्रभावित जनपदों को क्षतिपूर्ति देने

के लिए जो मेमोरेंडम आया है, माननीय मंत्री जी अपने उत्तर में निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश के ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों के लिए राज्य सरकार द्वारा भेजे गए मेमोरेंडम के अंतर्गत निश्चित तौर से पैसा देने का काम करेंगे, जिससे वहां के किसानों को राहत मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, पूर्वी उत्तर प्रदेश में हर साल बाढ़ आती है। इसी सदन में हमने पिछली बार उठाया था कि बस्ती, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, बहराइच में पिछली बार साढ़े आठ लाख लोग प्रभावित हुए। जिनमें से 82 लोगों को मौत हुई थी। पूरे प्रदेश का आधिकांश भू-भाग जहां सूखे से प्रभावित था, वहीं इस बार भी बाढ़ की स्थिति पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोंडा, बराबंकी, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, फैजाबाद, बस्ती, संत कबीर नगर, आजमगढ़, मुजफ्फरनगर और सिद्धार्थनगर थी। यह रिलीफ कमिश्नर का बयान है कि साढ़े आठ लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए। 1037 गांव महरूम हुए और उस बाढ़ की प्रलयकारी स्थिति हर साल हमारी नियम बन गयी है। नियत इसलिए बन गयी है कि नेपाल में यदि थोड़ी बारिश होती है और हमारी 17 सौ किलोमीटर की सीमा जो कि टनकपुर से लेकर बिहार के रक्सौल तक और उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश और बिहार तक सीमाएं मिली हुई हैं। उन सीमाओं पर बाण गंगा का बैराज है या नेपाल की करनाली नदी और जलकुण्डी नदी है, उन पर जो बैराज हैं, जब वहां बारिश होती है और बैराज भर जाते हैं तो उस पानी को जैसे ही छोड़ते हैं तो पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश बाढ़ से प्रभावित हो जाता है।

पिछली बार हमने इस बात को कहा था और उस दिशा में माननीय प्रधान मंत्री जी जब नेपाल गये थे तो उन्होंने इस पर बातचीत की थी और उनके प्रयास से यह सफलता मिली थी। फिर आतिरिक्त पानी नेपाल सरकार ने नहीं छोड़ा था जिसके कारण जो प्रलय आती, वह प्रलय नहीं आई। इस सिलसिले में हम चाहते हैं कि एक स्टैंडर्ड पैरामीटर हो जाए कि अगर कहीं बाढ़ या सूखा हो और जब केन्द्र अपना ज्ञापन भेजता है और सेंटर की टीम चली जाती है तो अगर ये सारे काम समयबद्ध ढंग से हो सकें क्योंकि आज जिस ढंग से खुद प्रआन मंत्री जी ने रुचि ली, जैसे जम्मू-कश्मीर का जिक्र हमारे साथियों ने किया कि श्रीनगर में जब बाढ़ आ गई, तो राज्य सरकार जैसे पंगु हो गई हो, उस समय भी पहली बार जम्मू कश्मीर की जनता को यह लगा कि सम्पूर्ण देश हमारी इस दैवीय आपदा के समय में चट्टान तरह हमारे साथ खड़ा है। लोगों को लगा कि खुद प्रधान मंत्री

जी वहां गये और वहां फिर प्रधान मंत्री कार्यालय में जितेन्द्र सिंह जी गये, उसके बाद उन्होंने कैबिनेट सैक्रेटरी को लगाकर वरिष्ठ आधिकारियों को इस काम पर सुपुर्द किया जबकि उसके पहले 1000 करोड़ रुपये का पैकेज वे दे चुके थे। उसके बावजूद भी उन्होंने कहा और जब प्रधान मंत्री जी गये तो लोगों ने उनसे मांग की कि जो हमारे घरों का नुकसान हुआ है, उसके पुनर्वास के लिए अगर उन लाभार्थियों को सीधे पैसा दिया जाए तो अच्छा होगा।

उस दिशा में जैसे रमा बहन ने कहा, 570 करोड़ रुपया सीधे उन लाभार्थियों को दिया गया जिससे वे अपने घरों का निर्माण कर सकें। इसी प्रकार से 175 करोड़ रुपया वहां के 6 अस्पतालों की हालत सुधारने के लिए दिया गया। इसी तरीके से नेशनल टाईफून भी हमारे देश के लिए एक चुनौती थी। उस चुनौती के कारण इस बार जिस तरह से सुनामी में मौतें हुई थीं, फैलन में भी हुई थीं। इसीलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस दिशा में कारगर कदम उठाते हुए स्थिति में सुधार लाया जाए। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री केशव प्रसाद मौर्य (फूलपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे आन्ध्र प्रदेश एवं उड़ीसा के अंदर आये हुए तूफान हुदहुद और जम्मू-कश्मीर में आई हुई बाढ़ तथा महाराष्ट्र के सूखे पर बोलने का अवसर दिया।

मैं उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जनपद के फूलपुर लोक सभा क्षेत्र से चुनकर आया हूं और जो मेरा लोक सभा क्षेत्र है, वहां गंगा और यमुना का पावन संगम है। जहां संगम के कारण पूरी दुनिया प्रयाग आती है, वहीं दूसरी ओर मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाढ़ के कारण प्रत्येक वर्ष मेरा पूरा इलाहाबाद शहर ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्र के सुराहू तहसील और फूलपुर तहसील के सैकड़ों गांव पूरी तरह से डूबने की स्थिति में रहते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि जिस प्रकार से बाढ़ की इस स्थिति के कारण मेरे क्षेत्र की लाखों बीघे जमीन बाढ़ में कट-कटकर गंगा जी में समा गई लेकिन उसके लिए कोई मुआवजे की व्यवस्था नहीं की गई। शहर बार बार बाढ़ में डूबता है। बाढ़ से बचाने के लिए वहां पर बांध की कोई व्यवस्था नहीं की गई। मैं चूंकि किसान परिवार से आता हूं, किसान का जो दर्द होता है, वह दर्द मैं आपके सामने इसलिए रखना चाहता

हूं कि एक किसान जब अपनी फसल खेत में बोता है और बोने के बाद वह इस अपेक्षा से पूरे परिवार के साथ परिश्रम करता है कि पूरी फसल तैयार होने के बाद वह अपने घर उस फसल को काटकर लाएगा और उससे अपने परिवर का पालन-पोषण करेगा।

जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, उस क्षेत्र में एक बड़ी समस्या नील गायों की भी रहती है। किसान की फसल जो पूरी तरह से बर्बाद होने की जो स्थिति बनी रहती है, उस संबंध में मैं आपके माध्यम से जरूर कहना चाहता हूं कि किसान इस समय बहुत संकट में है। किसान की खेती बाढ़ से बर्बाद हो रही है तथा उसके खेत और घर बाढ़ में डूबे जा रहे हैं। हुदहुद तूफान की चर्चा यहां पर हो रही है। मैं उस ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हुदहुद तूफान केवल आंध्र और उड़ीसी तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि इसका असर मेरे लोक सभा क्षेत्र तक था, वहां कई दिनों तक वर्षा के साथ तेज हवाओं के कारण लाखों बीघे फसल पूरी तरह से बर्बाद ही गई, जो धान की फसल थी, खरीफ की फसल थी, वह हवा के कारण गिर गई, जिससे किसानों को एक बड़ी क्षति का सामना करना पड़ा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से किसानों ने इतने बड़े संकट का सामना किया है, उस संकट को ध्यान में रखते हुए भविष्य में यदि इस प्रकार के संकट आए ।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: आप सोमवार को अपना भाषण जारी रख सकते हैं।
अब, सभा गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार करेगी।

अपराह्न 3.31 बजे

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के दूसरे प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

(अनुवाद)

श्री रतन लाल कटारिया (अम्बाला): महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:-

> "कि यह सभा 3 दिसम्बर, 2014 को सभा में प्रस्तुत गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के दूसरे प्रतिवेदन से सहमत है।"

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि यह सभा 3 दिसम्बर, 2014 को सभा में प्रस्तुत गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के दूसरे प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.32 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प
राष्ट्रीय कृषक आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन – जारी

(अनुवाद)

माननीय उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, इस संकल्प पर चर्चा के लिए आवंटित दो घंटे का समय लगभग पूरा हो गया है। चूंकि संकल्प पर चर्चा में भाग लेने के लिए आठ और भी सदस्य हैं, इसलिए सभा को संकल्प पर आगे चर्चा के लिए समय बढ़ाना होगा। सभा की सहमति हो तो संकल्प पर चर्चा के लिए एक घंटे का समय बढ़ाया जा सकता है।

मुझे लगता है कि आप सभी को समय विस्तार स्वीकार हैं। इसलिए, हम समय को एक घंटे तक बढ़ा देते हैं।

अब, श्री भर्तृहरि महताब जारी रखेंगे।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): महोदय, हमारे समक्ष माननीय सहयोगी श्री राजू शेट्टी द्वारा चर्चा के लिए प्रस्तुत संकल्प राष्ट्रीय कृषक आयोग से संबंधित है, जिसे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के रूप में भी जाना जाता है और यह पांच बड़े खंडों में है ।

सर्वप्रथम, मैं कहूंगा कि दो घंटे का समय वास्तव में उन मुद्दों पर ध्यान देने के लिए पर्याप्त नहीं है जिनका उल्लेख स्वामीनाथन आयोग द्वारा किया गया है। महोदय, आप इसे एक घंटे तक बढ़ाने की कृपा कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि और अधिक सदस्यों को इस संकल्प पर हो रही चर्चा में भाग लेने में दिलचस्पी होगी। लेकिन मैं कहूंगा, जैसा कि प्रथा है, आइए हम पहले एक घंटे का समय पूरा करें और फिर सभा की भावना के अनुसार कार्य करें ।

मैंने 1 अगस्त, 2014 को कुछ प्रारंभिक टिप्पणी की थी और उसके बाद, सभा में उपस्थित सदस्यों की मांग थी और इसलिए इसे स्थगित कर दिया गया था। पुनः, आज, 5 दिसंबर को व्यावहारिक रूप से 3-4 महीनों के बाद, मैं अब इस चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मैं अपने पिछले विचार-विमर्शों से गुजर रहा था और मैं वास्तव में उस समर्थन मूल्य तंत्र की चर्चा कर रहा था जो आज हमारे देश में प्रचलित है। क्या हम नहीं जानते कि आदान की लगातार बढ़ती कीमतों के कारण उत्पादन की लागत न्यूनतम समर्थन मूल्य से हमेशा अधिक होती है? यह एक प्रमुख कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की ऋणग्रस्तता बढ़ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की ऋणग्रस्तता कई गुना बढ़ रही है। किसानों की ऋणग्रस्तता भी अधिक मात्रा में बढ़ रही है क्योंकि किसानों को जो न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान किया जा रहा है, वह उस आगत पर होने वाले खर्च के अनुरूप नहीं है, जो किसानों को अपने कृषि उत्पादों के उत्पादन के लिए खर्च करने पड़ते हैं।

वैज्ञानिकों और अन्य लोगों ने पाया है कि पिछले दो दशकों में कृषि क्षेत्र में होने वाले निवेश में भी गिरावट आई है। किसानों के बीच आत्महत्याओं की बढ़ती संख्या छोटे किसान परिवारों के समक्ष आने वाली अनेक कठिनाइयों का दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम है। खेती की लागत जोखिम वापसी संरचना प्रतिकूल होती जा रही है। परिणामस्वरूप, ग्रामीण क्षेत्रों में ऋणग्रस्तता बढ़ रही है।

एन.एस.एस.ओ, 59 राउंड के अनुसार, वर्ष 2003 में भारत भर में खेतीहर परिवारों की औसत मासिक प्रति व्यक्ति खपत 503 रुपये थी । इसी अवधि के दौरान भारतीयों की प्रति किसान परिवार औसत मासिक आय 2,115 रुपए थी। यह आंकड़ा ओडिशा के लिये 1,062 रुपए और उत्तर प्रदेश के लिए 1,633 रुपए था। इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि कृषि में नीतिगत सुधार की आवश्यकता है, जो काफी समय से लंबित हैं और सरकार को जल्द से जल्द इस पहलू पर गौर करना चाहिए। इस तरह के नीतिगत सुधार छोटे किसानों, महिलाओं के समर्थक और भूमिहीन कृषि श्रमिकों पर केंद्रित होने चाहिए। यदि हम छोटे खेतिहर और भूमिहीन श्रमिक परिवारों की समस्याओं पर तत्परता और प्रतिबद्धता के साथ ध्यान नहीं देंगे, तो जैसा कि कहा जा रहा है, एक ओर प्रचुर तकनीकी क्षमता और उद्यमशीलता तथा दूसरी ओर व्यापक कुपोषण, गरीबी और अभाव का सह-अस्तित्व न केवल कायम रहेगा, बल्कि सामाजिक विघटन और हिंसा को जन्म देगा तथा इससे मानवीय असुरक्षा में वृद्धि होगी।

इस मुद्दे को समझने के लिए, मैं इस बिंदु को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूंगा। एक तरफ कृषि विश्वविद्यालय है, तो प्रौद्योगिकी लाई गई है और एक बड़ी संख्या में वैज्ञानिक कृषि में लगे हुए हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर किसानों की गरीबी इतनी अधिक है कि उनके बच्चे कुपोषित हैं। वे अपने परिवारों को जीवित रखने के लिए पर्याप्त आय अर्जित नहीं कर पा रहे हैं। अगर हमारे समाज में यही स्थिति रहती है, तो सामाजिक तनाव होना निश्चित है और हिंसा अवश्य होगी। यह कम करने के लिए कि हमारे दृष्टिकोण में सुधार की आवश्यकता है; कृषि के संबंध में एक नई नीति बनाने की आवश्यकता है।

डॉ. स्वामीनाथन की पांच खंड की रिपोर्ट की मूल सिफारिश है, "पारिस्थितिकीय नुकसान किए बिना कृषि उत्पादकता और लाभप्रदता को सतत रूप से बढ़ाना।" यह एक पंक्ति कुल पांच खंडों की रिपोर्ट का सार वाक्य है। उत्पादकता बढ़ाने की जरूरत है। लाभप्रदता बढ़ाने की भी आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि यह केवल एक साल या दो साल के लिए होना चाहिए, यह जारी रहना चाहिए। एक ऐसी प्रणाली होनी चाहिए जो पारिस्थितिकीय नुकसान किए बिना कृषि उत्पादकता और लाभप्रदता को सतत रूप से बढ़ाए। इससे पृथ्वी पर जीवित प्राणियों के लिए कोई समस्या पैदा नहीं होनी चाहिए।

कृषि संकट को अवसर में बदलने की आवश्यकता है। भारत के माननीय प्रधान मंत्री जी बार-बार कहते हैं, अगर कोई संकट है, तो हम उसे अवसर मान लें। मुझे लगता है कि न केवल गिरावट को उलटने के लिए बल्कि सभी प्रमुख कृषि प्रणालियों में संभावित और वास्तविक उपज के बीच अंतर को पाटने में किसान परिवारों की मदद करके कृषि क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए यह सही समय है।

पांच खंडों में प्रस्तुत एनसीएफ रिपोर्ट में 11वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में यथा परिकल्पित "तीव्र और अधिक समावेशी विकास" के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सुझाव समाविष्ट हैं।

महोदय, स्वामीनाथन रिपोर्ट का मुख्य निष्कर्ष यह है। उन्होंने किसानों के संकट के कारणों का उल्लेख किया है। कृषि संकट के प्रमुख कारण भूमि सुधारों में अधूरा एजेंडा, पानी की मात्रा और गुणवत्ता, तकनीकी जड़ता, पहुंच, पर्याप्तता और संस्थागत ऋण की समयबद्धता और सुनिश्चित और लाभकारी विपणन के अवसर हैं। प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियां भी इन समस्याओं को और बढ़ा देती हैं। इन कारकों के कारण किसान संकट

ग्रस्त हैं। इसमें आगे असमान भूमि जोतों को स्पष्ट किया गया है, साथ ही कुछ मुख्य सिफारिशें जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत की हैं, वे सीलिंग-अधिशेष और अपशिष्ट भूमि के वितरण से संबंधित हैं। इसमें कुछ भी नया नहीं है क्योंकि पिछले 40 वर्षों से हम यही सुन रहे हैं। दूसरा, डायवर्जन को रोकना - विशेष रूप से पंजाब के आंदोलनकारी किसान, जो प्रमुख कृषि भूमि और वनों को कॉर्पोरेट क्षेत्र को गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए देने का विरोध कर रहे हैं, के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है। तीसरा, आदिवासियों और पशुपालकों को चराई के अधिकार और वनों तक मौसमी पहुंच तथा सामान्य संपत्ति संसाधनों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करना। चौथा, एक राष्ट्रीय भूमि उपयोग सलाहकार सेवा स्थापित करना, जिसके पास स्थान और मौसम-विशिष्ट आधार पर पारिस्थितिकी, मौसम विज्ञान और विपणन कारकों के साथ भूमि उपयोग निर्णय करने की क्षमता होगी। पांचवां, भूमि की मात्रा, प्रस्तावित उपयोग की प्रकृति और खरीदार की श्रेणी के आधार पर कृषि भूमि की बिक्री को विनियमित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करना।

ये पांच पैरामीटर हैं, जिनका आयोग ने उल्लेख किया है, और एन.सी.एफ. की सिफारिश के आधार पर और राज्य सरकारों के साथ-साथ केंद्रीय मंत्रालयों के साथ परामर्श के आधार पर, केंद्र सरकार ने वर्ष 2007 में राष्ट्रीय किसान नीति (एन.पी.एफ.) को स्वीकृति दी है। हमें सूचित किया गया कि कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी के लिए एक नियमित निगरानी तंत्र स्थापित किया गया है। एन.पी.एफ. 2007 छोटे और सीमांत किसानों को लाभान्वित करने के क्रम में सहकारी खेती और सेवा सहकारी समितियों का प्रावधान करता है।

डॉ. स्वामीनाथन यह प्रचार कर रहे हैं कि किसानों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रति हेक्टेयर आय में वृद्धि उतनी ही चिंता का विषय थी जितनी प्रति हेक्टेयर उपज में सुधार करना। कृषि उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय किसानों की भलाई में सुधार पर सरकार का ध्यान होना चाहिए जिससे कि कृषि विकास में गिरावट को पलटा जा सके। हमें केवल उत्पादन के बजाय देश को खिलाने वाली महिलाओं और पुरुषों की आर्थिक भलाई पर अधिक ध्यान देना चाहिए। वर्ष 1960 के दशक के अंत से, हमारी एकाग्रता इस बात पर रही है कि उपज कैसे बढ़ेगी और उत्पादकता कैसे बढ़ेगी, और ऐसा करके हमने किसानों और उनके परिवार को छोड़ दिया है। डॉ. स्वामीनाथन ने कहा है कि हमारा ध्यान अब किसानों और उनके परिवार, विशेष रूप से

महिलाओं और पुरुषों पर केंद्रित होना चाहिए और तभी कृषि का उत्पादन बढ़ेगा। यदि हम मनुष्यों को खेत/कृषि की ओर से स्थानांतरित करते हैं, तो बहुत कम लोग होंगे जो कृषि में शामिल होंगे जैसा कि यूरोपीय देशों में हुआ है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमें केवल उत्पादन के बजाय महिलाओं और पुरुषों की, जो राष्ट्र को भोजन उपलब्ध करा रहे हैं, आर्थिक भलाई पर अधिक ध्यान देना चाहिए।

किसानों के लिए राष्ट्रीय आयोग की अंतिम रिपोर्ट का पांचवां खंड, जो बाद में आया, से पता चलता है कि कृषि प्रगति को केवल मिलियन टन कृषि वस्तुओं के बजाय कृषि परिवारों की शुद्ध आय के संदर्भ में मापा जाना चाहिए।

हाल ही में, प्रधान मंत्री ने कहा है कि कृषि विश्वविद्यालयों में जो काम किए जा रहे हैं, उन्हें कृषि भूमि में परिणत करने की आवश्यकता है। हालांकि एन.सी.एफ. की रिपोर्ट 2006 में प्रस्तुत की गई थी और 2007 से नीति अपनाई गई किसानों द्वारा आत्महत्या लगातार जारी है और किसानों की परेशानी कम नहीं हुई है। मुख्य रूप से लाभ में गिरावट के कारण ही अधिकाधिक किसान कर्ज के जाल में फंस रहे हैं। खेती पूंजी प्रधान हो गई है, और बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। जो लोग ये प्रदान करते हैं, वे ग्रामीण क्षेत्रों में नए साहूकार बन गए हैं और वास्तविक शोषक वही हैं। इसलिए, यह सुनिश्चित करने किया जाना चाहिए कि किसानों को सॉफ्ट लोन लेने में कठिनाई न हो और इनपुट की कीमतें नियंत्रित रहे ।

न्यूनतम समर्थन मूल्य को इस तरह से निर्धारित किया जाना चाहिए कि यह लाभदायक हो। भारत सरकार ब्याज छूट के माध्यम से किसानों को रियायती अल्पकालिक फसल ऋण प्रदान कर रही है। कई राज्य सरकारें भी जरूरतमंद छोटे और भूमिहीन किसानों को ब्याज दर में छूट दे रही हैं। निस्संदेह, बीज, उर्वरक और कृषि उपकरणों की समय पर व्यवस्था करने में कृषि करने वाले लोगों के लिए एक यह एक बड़ी मदद है। तथापि, वर्तमान संरचना में मछुआरों, बुनकरों, डेयरी किसानों और महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए यह रियायत उपलब्ध नहीं है। वे समान रूप से कमजोर हैं और उन्हें अपनी गतिविधियों को शुरू करने और चलाने के लिए वित्तपोषण की भी आवश्यकता है। सरकार को कृषि किसानों के लिए उपलब्ध सॉफ्ट लोन के लक्षित लाभार्थियों में इन्हें शामिल करना चाहिए।

यद्यपि फसल ऋण के वितरण में वाणिज्यिक बैंकों का हिस्सा राष्ट्रीय स्तर पर कुल फसल ऋण के लगभग 83 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गया है तथापि ओडिशा में उनका प्रदर्शन बिल्कुल संतोषजनक नहीं है, बल्कि वाणिज्यिक बैंकों का हिस्सा वर्षों से घट रहा है। उनके प्रदर्शन का आंकलन पिछले तीन वर्षों के दौरान लक्ष्य की तुलना में प्राप्त उपलब्धि से लगाया जा सकता है। वर्ष 2011-12 में, 4,235.12 करोड़ रुपये के लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि 2,270.31 करोड़ रुपये थी, जो केवल 34 प्रतिशत था। वर्ष 2012-13 में, लक्ष्य 4,566.75 करोड़ रुपये और उपलब्धि 3,175.67 करोड़ रुपये थी, जो 37 प्रतिशत रहा । वर्ष 2013-14 में, अर्थात, पिछले वित्तीय वर्ष में, 5,384.97 करोड़ रुपये के लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि 3,103.64 करोड़ रुपये रही, जो 30 प्रतिशत बनती है। किसानों को ऋण देने के प्रावधान में वर्ष-दर-वर्ष गिरावट आ रही है और यह हमारे किसानों के संकट का एक अन्य प्रमुख कारण है।

जैसा कि मैंने अपने पिछले विचार-विमर्श के दौरान उल्लेख किया कि ओडिशा एक आपदा-प्रवण राज्य है। पिछले 100 वर्षों के दौरान, तकरीबन 77 वर्षों से राज्य ने ऐसी प्राकृतिक आपदा का अनुभव किया है, जिसने किसानों की खड़ी फसलों को बर्बाद कर दिया और उनके घरों और मवेशियों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। वाणिज्यिक बैंकों को कृषि परिवारों को पर्याप्त ऋण देने के लिए आगे आना चाहिए । फसल ऋण वितरण में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए वाणिज्यिक बैंकों और आर.आर.बी. को प्रेरित करने के क्रम में ओडिशा सरकार फसल ऋण पर पर्याप्त ब्याज सहायता प्रदान कर रही है, जिससे प्रभावी ब्याज दर घटाकर केवल दो प्रतिशत कर दी गई। मैं इस सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने और वित्त मंत्रालय से यह सुनिश्चित करने का आग्रह करूंगा कि वाणिज्यिक बैंक बेहतर प्रदर्शन करें? यह 30 प्रतिशत, 33 प्रतिशत या 37 प्रतिशत में नहीं रहना चाहिए; इसे कम-से-कम 50 प्रतिशत से आगे जाना चाहिए। मैं कहूंगा कि ऐसा होना चाहिए। मैं विदर्भ क्षेत्र में या पूरे महाराष्ट्र में जहां बड़ी संख्या में आत्महत्याएं हुई हैं; या तेलंगाना क्षेत्र में जो हो रहा है, उसके विवरण में नहीं गया हूँ। मैं कहूंगा कि यह एक प्रमुख कारण होना चाहिए क्योंकि किसानों की आवश्यकता के समय या बीज, उपकरण या उर्वरक खरीदने के समय सरल ऋण प्रदान नहीं किया जा रहा है।

डॉ. स्वामीनाथन ने आग्रह किया है कि कृषि ऋण तीन प्रतिशत पर प्रदान किया जाए। ओडिशा में, छूट के माध्यम से, हमने दो प्रतिशत पर ऋण प्रदान करने का प्रावधान किया है। वाणिज्यिक बैंक फसल ऋण क्यों नहीं दे रहे हैं और उनके हिस्से में कमी क्यों आ रही है?

महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और मैं अगले पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। दूसरा मुद्दा जिसे मैं उठाना चाहूँगा वह फसल बीमा से संबंधित है। भारत सरकार ने वर्ष 2013-14 से राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम लागू करने का निर्णय लिया है। रबी के लिए, इसे अनिवार्य कर दिया गया है। वर्तमान खरीफ मौसम अर्थात, 1 अप्रैल 2014 से इस योजना ने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का स्थान ले लिया है। एन.सी.आई.पी. बीमा कंपनियों द्वारा दिए गए कोटे के आधार पर सभी अधिसूचित फसलों पर किसानों से वास्तविक प्रीमियम वसूलने की परिकल्पना करता है।

यह देखा गया है कि ओडिशा के एक ऐसे जिले में जहां धान मुख्य फसल है, सबसे कम प्रीमियम 22 प्रतिशत तक था। एन.सी.पी. के परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रीमियम की सीमा 11 प्रतिशत तय की जानी है और किसानों के लिए बीमित राशि आनुपातिक रूप से कम कर दी जाएगी। यह योजना किसानों की समस्याओं को और बढ़ाएगी। 22 प्रतिशत देकर वहाँ कौन जाएगा? अधिक प्रीमियम देने के बावजूद पूरे फसल ऋण को शामिल नहीं किया जाएगा। योजना की समीक्षा करने और एन.आई.ऐ.एस. के प्रीमियम स्तर को बनाए रखते हुए फसल बीमा संबंधी एक नई योजना शुरू करने की तत्काल आवश्यकता है। खेती के अलावा, बीमा कंपनियों को मछली तालाब के लिए बीमा कवर करने के लिए भी आगे आना चाहिए। सरकार को प्रीमियम का 50 प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान करनी चाहिए क्योंकि बीमा कंपनियां अधिक प्रीमियम की मांग कर रही हैं। इसी तरह के बागों के लिए बीमा कवर को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

इस दिशा में करने के लिए बहुत कुछ हैं। डॉ. स्वामीनाथन की रिपोर्ट में कई सुझाव दिए गए हैं। सबसे पहले आदमी के बारे में सोचना है, न केवल उपज के बारे में; बीमारी का इलाज करें, न कि लक्षण का। [हिन्दी] वैसे तो एक कहावत है जो मैंने पिछली लोक सभा में सुनी थी। [अनुवाद] मुझे लगता है कि यह 12वीं या 13वीं लोक सभा में हुआ था। वरिष्ठ सदस्यों में से एक ने यहां खड़े होकर कहा था: [हिन्दी] हरि अनंत हरि कथा

अनंता। [अनुवाद] इसी प्रकार से कृषि पर बोलने के लिए जब भी कोई इस सभा में कोई खड़ा होगा, तो उसकी बात का कोई अंत नहीं है क्योंकि हर मुद्दा कृषि से जुड़ा हुआ है। कुल बजट, चाहे वह वित्त हो, चाहे पशुपालन हो, चाहे स्वास्थ्य हो या कुछ भी हो, इस सब का प्रभाव अंतत: हमारे किसानों की भलाई पर पड़ता है। इसलिए, जब भी हम कृषि के बारे में किसी भी चर्चा करने का प्रयास करते हैं, तो हमें अधिक समय की आवश्यकता होती है और वह भी तब जब डॉ. स्वामीनाथन इतनी बडा प्रतिवेदन लेकर आए हैं और उन्होंने बहुत सारे सुझाव दिए हैं। मैं केवल इतना कहूंगा कि कृषि एक बहुत बड़ा विषय है जिसकी बहुत सारी समस्याएं और समाधान हैं । यह सरकार के रवैये पर निर्भर करता है। मुझे उम्मीद है कि यह सरकार कुछ बेहतर करेगी।

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राजू शेट्टी द्वारा राष्ट्रीय कृषक आयोग की अनुशंसाओं को स्वीकार करने की बात के ऊपर जो निजी संकल्प प्रस्तुत किया गया है, उस पर अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ है।

महोदय, यह रिपोर्ट स्वामीनाथन आयोग के नाम से जानी जाती है। मैं सिद्धांततः एक बात कहना चाहता हूं कि अभी हमने कुछ ही देर पहले इसी सदन में सूखे पर, बाढ़ पर, चक्रवात पर चर्चा की है, जो शुद्ध खेती से जुड़ी हुई है। मुझे लगता है कि यह सोचने के नज़रिए का सवाल है। हम खेती पर आज चर्चा कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को मान लिया जाए। पर, सवाल यह है कि हम उसके लिए अपना मापदंड क्या रखते हैं?

महोदय, मैं यह मानता हूं कि इस समाज में चार प्रकार के लोग हैं। कुछ अर्थवादी हैं, कुछ मतवादी हैं, कुछ राजनीतिवादी हैं और कुछ संस्कृतिवादी भी हैं। जो संस्कृतिवादी हैं, वे भी भिन्न प्रकार से बर्ताव करते हैं। कुछ बहुसंस्कृतिवादी हैं, कुछ द्विसंस्कृतिवादी हैं, जिन्हें हम प्रच्छन्न कहते हैं और कुछ संस्कृतिवादी हैं। मैं अपने आपको संस्कृतिवादी मानता हूं। इसलिए मैं यह मानता हूं और यह सच है कि यह देश कृषि प्रधान देश है, लेकिन एक दूसरी भावना, जिसे हम लोगों ने नज़र अंदाज किया है कि हम ऋषि प्रधान देश भी हैं। अगर हमने प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया होता तो हम सिर्फ उत्पादन की चिंता नहीं करते, बल्कि उत्पादन करने वाले की सम्मान की भी चिंता करते। देश जब आज़ाद हुआ था, तब मेरे दादा जी ज़िंदा थे। हमारे पूरे परिवार के लोग पढ़ने में टॉपर रहे हैं। मेरे दादा जी ने मेरा पिता जी को नौकरी नहीं करने दी। वे कहते थे कि खेती सम्मान की बात है, नौकरी सम्मान की बात नहीं है। यह बहुत लंबी बात नहीं है कि मेरे पिता जी को मेरे दादा जी ने नौकरी करने से इन्कार किया था। लेकिन, आज मैं जब अपने बेटे के बारे में सोचता हूं तो मुझे लगता है कि ज़मीन बेच कर भी नौकरी कराना ज्यादा अच्छा है, अन्यथा अगली वाली पीढ़ी में यह मज़दूर होगा और उसके पास चार एकड़ भी ज़मीन नहीं बचेगी।

स्वामीनाथन जी ने जो वर्गीकरण किया, मैं राजू भैय्या से कहना चाहूँगा कि हमें इस पर भी ध्यान देना चाहिए। डिबेट यहाँ रूकनी नहीं चाहिए। वर्ष 1950 से वर्ष 1972 तक 22 साल के कालखंड में इस देश पर काबिज लोगों ने किसान को बर्बाद करने के लिए खत्म किया। उन्होंने कहा कि हम भूमि सुधार कर रहे हैं, मध्यस्थ हों, किरायेदार हों या सीलिंग हों, यह एक्ट लागू करके इस देश के 22 साल और इस देश के किसानों के वेस्ट किए। उस पर सीलिंग लागू की गई और आज सीलिंग बाहर कर दी गई। जब उसके हिस्से से सब आधिकार निकल गए, व्यापारियों के हाथ में चले गए तो सीलिंग खत्म हो गई। मगर इससे देश का किसान खत्म हो गया, उसकी कमर टूट गई।

दूसरी बात, ये कहते हैं कि जो परत खेती है, उसको हम कृषि जोत में परिवर्तित कर देंगे। 13 साल इसी प्रयोग में चले गए। सारे चारागाह खत्म हो गए। मेरे घर में भी 22 एकड़ कृषि भूमि के अलावा चारागाह थे, वे चारागाह तोड़ दिये गए। आज हमारे पशु के लिए कहीं पर भी चारा उपलब्ध नहीं है। यह आभियान इस देश की सरकारों ने चलाया, मैं इसे गलत रास्ता मानता हूँ। यह दूसरा गलत कदम था।

तीसरी बात, जो 10 साल वर्ष 1985 से 1995 में हुआ, आप उसे बंजर भूमि कहते हैं, मैं बंजर भूमि समिति का वर्ष 1996 में सदस्य रहा हूँ, उसके कारण मैंने भ्रमण किया। मैं एक आँकड़ा सिर्फ एक लाइन में कहना चाहता हूँ। वर्ष 1996 में इस देश में जितनी बंजर भूमि थी, उस समय हम हरियाणा और पंजाब भी गए थे, अगर हम उसको दुरूस्त करना चाहते तो एक एकड़ के ट्रीटमेंट के लिए उन दिनों 60 लाख रूपए चाहिए थे। जो इस देश के अन्दर उपलब्ध बंजर भूमि थी, अगर उसका ट्रीटमेन्ट करते और उसी दिन बंजर भूमि बनना रूक जाती, जो कि असम्भव काम है, तब भी इस काम में 70 साल लगते।

हम बंजर भूमि के ट्रीटमेंट के लिए 60 लाख रूपए खर्च करने की बात करते हैं, अब तो उसका खर्च बढ़ गया होगा, लेकिन जब किसान को मुआवजा देने का मौका आता है तो पाँच लाख रूपए देने के लिए किसान को शीर्षासन कराया जाता है, उस पर गोलियाँ बरसायी जाती हैं। यह तीसरी गलत नीति थी। मैं मानता हूँ कि बंजर भूमि रूकनी चाहिए थी, उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। मुझे लगता है कि जल प्रबन्धन हमारे विकास के कारण हो, नहरों के कारण हों, मैं देश के उस जिले से आता हूँ, जो एशिया महाद्वीप की सबसे उपजाऊ भूमि है,

वह मेरी जन्मस्थली नरसिंहपुर है। वहाँ पर काली मिट्टी है। अगर उसकी लाइनिंग नहीं होगी तो वहाँ पर सॉल्ट आ जाएगा। मैं जान सकता हूँ, क्योंकि, मैं नर्मदा के किनारे का रहने वाला आदमी हूँ, कि जमीन की कीमत क्या होती है, जमीन बनती कैसे है? खेती के लायक एक इंच जमीन की कीमत क्या होती है, मैं इस बारे में जानता हूँ।

महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो चौथा चरण वर्ष 1995 के बाद में सरकार ने चलाया, भूमि प्रशासन का, किरायों का बाजार मूल्यों का, लैन्ड रिकॉर्ड का, यह तो इस देश में सबसे पहले होना था। उस समय आप याद कीजिए, जब देश आजाद नहीं था, राजा टोडरमल ने कैसे इस देश की जमीन को नाप दिया। देश की आजादी के बाद आज भी किसान के सामने भूमि जोत के सही आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं। वर्ष 1991 में जो बन्दोबस्त इस देश के भीतर हुआ, मैं दावा करता हूँ कि उसमें 70 फीसदी राजस्व के मामलों को सिर पर लाद दिया। मैं खुद उसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। हम दो भाई हैं, तीसरा आदमी बन्दोबस्त में शामिल हो गया, हमको आठ साल बाद पता चलता है कि मेरी जमीन में किसी तीसरे आदमी का नाम भी घुस गया है। आप कम्प्यूटर युग कहिए, कोई भी युग ले आइये, लेकिन गाँव का किसान अपनी बही निकालता है, जब उसे जरूरत पड़ती है। बही को हर दिन वह पलटकर रूपए की तरह नहीं देखता है। मैं आपसे आग्रह करूँगा कि चाहे सीलिंग एक्ट हो, जो हमने जापान और कोरिया की नकल की थी, उसका परिणाम है कि आज हिन्दुस्तान का किसान इस बात का दुःखद परिणाम भुगत रहा है।

महोदय, मैं आपसे बड़े आग्रह के साथ कहूँगा कि जो भी कमजोर वर्ग है, जिनको भी सरकार ने जमीनें बाँटकर दीं, क्या वे उन पर काबिज हो पाये, क्या उन्हें कब्जा मिल पाया? जिस जोत की आज हिन्दुस्तान में बात होती है, मैं बड़ी विनम्रता से कहूँगा, मैं देश में मजदूरों के बीच में काम करता हूँ। शुद्ध खेती से हमारे घर में पैसा आता है, मेरा कोई दूसरा व्यवसाय नहीं है। मैं तीन पीढ़ियों से जानता हूँ और इसलिए मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि पाँच एकड़ का काश्तकार अगर आसिंचित है तो वह आज मजदूर से भी कम पैसा कमाता है। अगर घर में चार मजदूर हैं तो वे 800 रूपये दिन में लेवर आएंगे, मगर पाँच एकड़ का काश्तकार

कभी 22 रूपए से ज्यादा प्रति व्यक्ति कमा नहीं सकता है। मैं यह जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ। एक होती है आँकड़ों की बाजीगरी और एक होता है दिल का दर्द, जिसे हम भुगत रहे हैं।

दूसरी पीढ़ी में, जहाँ पर हम सम्मान के साथ अपने गाँव में रहा करते थे, मेरी पीढ़ी आज वहाँ मजदूरों से बुरी हालत में है। लाज बचाने के लिए घर के भीतर हम क्या बर्ताव करते हैं और बाहर क्या करते हैं, इससे बड़ा दूसरा छद्म रूप हमारा हो नहीं सकता है। यह सच्चाई है। इसलिए हम जमीन बेचकर अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर बनाकर, रिश्वत देकर उसे नौकरी कराने के लिए तैयार हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का नहीं हो सकता है।

<u>अपराह्न 4.00 बजे</u>

एक बात सामने आई कि मंदिरों और भूदान की जमीन को गरीबों में बांट दिया जाये, ऐसी सिफारिशों को मानने के लिए हमें तैयार नहीं होना चाहिए। मंदिरों की जमीन पर तालाब बने हैं या दूसरे सार्वजनिक हित के काम किए गए हैं। इस आयोग की रिपोर्ट में यह आपत्तिजनक बात है। हम सबको इसका विरोध करना चाहिए। कर्नाटक की जिन योजनाओं के बारे में उसमें बताया गया है, उन्हें दुरुस्त करने की बात की गई है, मैं उनका भी समर्थन करता हूं।

मैं इसी सदन में गोरक्षा का संकल्प लेकर आया था, तब मैंने आंकड़े दिए थे और वे आंकड़े जरूर इस देश के सामने आने चाहिए। आज पशुधन की स्थिति ठीक नहीं है। वर्ष 1953 में 1000 लोगों पर 435 पशु थे, वर्ष 1961 में 1000 लोगों पर 436 पशु थे, वर्ष 1971 में 1000 मनुष्यों पर 326 पशु थे। वर्ष 1981 की जनगणना के आधार पर 1000 लोगों पर 278 पशु थे। वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर अनुमानित 1000 लोगों पर 216 पशु थे, वर्ष 1993 में 1000 लोगों पर 176 पशु थे, वर्ष 2003 में 1000 लोगों पर 124 पशु थे। मैं यह रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि मेरा संकल्प इस सदन में पारित है, लेकिन सरकार उसको लेकर नहीं आई है।

<u>अपराह्न 4.01 बजे</u> **[**श्री रमेन डेका *पीठासीन हुए*]

सभापति महोदय, आज चारागाहों की स्थिति क्या है? चारागाह दिनों-दिन घटते जा रहे हैं। आप कहते हैं कि हम अपने पशुओं को बचाएंगे, बिना पशुओं के खेती नहीं हो सकती है और जो आज परिस्थिति बनी है उसमें बैल का कहीं कोई प्रावधान नहीं है। अब बैल का उपयोग नहीं होता है, इसलिए वे सड़कों पर रहते हैं और कसाइयों के दरवाजे पर जाते हैं। हम ट्रैक्टर के भरोसे हैं। हमने खेती को अपने हाथों से नष्ट किया है। एक दिन बालियान जी कह रहे थे कि हम क्यों उस पर विचार नहीं कर सकते हैं, हम क्यों आधिकारियों की बातों में आते हैं? अगर हम ऐसा सीमन लेकर आएं जो यहां पर मादा पशुओं को प्रजनन दे ताकि हम उनके वंश की वृद्धि कर सकें। यह बात कोई आधिकारी नहीं कह सकता है। बालियान जी यहां मौजूद हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि उन्हें कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि गाय और भैंसों के लिए मादा पशु होंगे तो भविष्य में प्रजनन में सुविधा होगी और वे उन्नत किस्म के होंगे। हमारे देसी जो भी नस्लें हैं उनको भी बचाए रखने का काम हमें करना पड़ेगा। वर्ष 2003 से लेकर 2007 तक के आंकड़े हैं। वर्ष 2003 में 4.2 मिलियन टन के अन्तर से थे लेकिन वर्ष 2007 आते-आते 63 मिलियन टन का फर्क चारागाहों में हो गये। हमें जो चाहिए वह नहीं है। ...(व्यवधान) यह आंकड़ा इसी समिति का है।

सभापति महोदय, जैविक खेती की बात आती है तो मेरे क्षेत्र में सोयाबिन अफलन की स्थिति का शिकार हुयी है। चना और सूरजमुखी में अफलन क्यों हो रहा है? हम जिस प्रकार से दुनिया के लोगों के बीज ले रहे हैं, हमने तो उनके लिए कोई तैयारी नहीं की है कि हमें उनका कोई नुकसान उठाना पड़ेगा, हमने उनके जिन्स के बारे में कोई चिन्ता नहीं की है। उसका परिणाम है कि हम अपने बीज की कीमत से तीन गुणी आधिक कीमत पर उन्नत बीज लेते हैं। जब वह फलता नहीं है तो उसकी जिम्मेदारी कहीं नहीं है। हमारे लिए कोई कोर्ट नहीं है, हमारी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। हम बीज बोते हैं, खाद डालते हैं और हम मेहनत करते हैं, फिर भी हम उसके सामने फटे कपड़े लेकर खड़े होते हैं,उसकी कल्पना कोई नहीं करता है। जैविक खेती की रक्षा

कौन करेगा? आज भी कुछ किसान हैं जो अपने बच्चों का पेट काटकर देसी बीजों को अपने यहां सुरक्षित किये हुये हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आप उनकी मदद करें जो वास्तव में पुरानी बीजों को संरक्षित कर बचा रहे हैं। आप उनको बाजार मूल्य से 10 गुणा आधिक पैसा दीजिए ताकि वे उन उन्नत बीजों की संख्या बढ़ा सकें। आप ऐसा काम करिए। मैं यह नहीं मानता हूं कि सारे आधिकारी अच्छा नहीं सोचते हैं, वे अच्छा सोचते होंगे लेकिन जमीन पर काम करने वाली की नीयत साफ होनी चाहिए, जो पैसा कमाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं।...(व्यवधान)

मैं पशु क्रान्ति के बारे में कहना चाहता हूं कि किसान के बच्चों को पॉलट्री रोजगार दे रही थी, वह बहुत बड़े रोग की शिकार हुयी है। ऐसी चाहे बकरियां हों चाहे दीगर जानवर हों, मैं समझता हूं पशुधन है। जो भी हमारे जैविक क्रान्ति के संकट हैं, उन पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। मैं बड़े दुख के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

इस सदन में किसानों के बारे में ऐसी ही चर्चाएं होती हैं और इतने ही लोग चर्चा करते हैं। मुझे लगता है कि यही चित्र है, जिसने खेती को इस चौराहे पर लाकर खड़ा किया है। मुझे लगता है कि इस बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए। सदन में इतनी बड़ी संख्या होगी लेकिन अगर खेती पर बात करनी है तो कभी ऐसे अवसरों पर दूसरी जगह पर बहस होनी चाहिए जहां जिम्मेदारी के साथ बात की जा सके। मैं नहीं मानता कि इतने कम समय में कभी ऐसे गंभीर विषयों पर बात हो सकती है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : सभापति जी, मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी शिरोमणि अकाली दल की ओर से डा. स्वामीनाथन कमीशन ने जो रिकमैंडेशंस दी हैं, उन पर सहमति जताता हूं।

आप जानते हैं कि जब देश आजाद हुआ, उस समय इस देश में 'उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निखत चाकरी' की बात चलती थी। आज कृषि क्षेत्र लाभकारी नहीं रहा। कृषि से जीडीपी में हिस्सा 56 प्रतिशत से घटकर आज 11 प्रतिशत रह गया जबकि इस पर 60 प्रतिशत से ज्यादा लोगों की निर्भरता है। इस बारे में हमें सोचना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर हम पिछले 3-4 महीने की ग्रोथ रेट देखें तो देश की 5 से 7 प्रतिशत है जबकि कृषि का केवल 3.7 प्रतिशत है। ऐसे क्यों हो रहा है? इस देश में जब अनाज की एमएसपी तय होती

है, अगर हम पिछले सात वर्षों का देखें तो धान की फसल का खरीद मूल्य 560 से 1200 के करीब हुई, गेहूं के मूल्य 640 से 1285 रुपये हुए किन्तु इस समय में धान की लागत 150 प्रतिशत बढ़ी, गेहूं की 90 प्रतिशत बढ़ी, फर्टिलाइजर की 90 प्रतिशत बढ़ी, ऑटोमोबाइल की 120 प्रतिशत बढ़ी। इसलिए किसान कर्जे में डूबा हुआ है। जो पिछले आंकड़े आए हैं, उनके अनुसार इस देश में 72 हजार से भी ज्यादा लोगों ने खुदकुशी की है। किसान कर्जे में है। पंजाब देश के केन्द्रीय भंडार में 60 प्रतिशत से ज्यादा अनाज देता है। देश की भुखमरी दूर करने में, ग्रीन रैवोल्युशन लाने में पंजाब के किसान का अहम हिस्सा रहा है। आज वहां का किसान भी खुदकुशी करने लगा है। वहां 89 प्रतिशत से आधिक किसान आज कर्जे में हैं। हरियाणा के 80 प्रतिशत से ज्यादा किसान कर्जे में है। इसलिए किसानी को लाभकारी धंधा बनाने के लिए सरकार को डा. स्वामीनाथन द्वारा दी गई रिकमैंडेशन पर अमल करना चाहिए।

दुख की बात है कि पहले भी बहुत से फार्मर्स कमीशन बने, बहुत सी रिकमैंडेशन्स यहां आई, लेकिन उन पर अमल नहीं हुआ बल्कि उसका उल्टा हुआ। जैसे स्वामीनाथन जी ने कहा कि कृषि क्षेत्र की लागतों का 50 प्रतिशत आधिक उसमें जोड़कर मूल्य तय करने होंगे। सिंचाई कृषि के लिए बहुत अहम है, यहां बिजली, सड़कों को इन्फ्रास्ट्रक्चर में लिया गया है लेकिन जिस कृषि के लिए सिंचाई की बहुत जरूरत है, उसे इन्फ्रास्ट्रक्चर में नहीं लिया गया। सिंचाई को इन्फ्रास्ट्रक्चर में लेना चाहिए। आज सिंचाई बहुत महंगी हो गई है। पानी की सतह नीचे जा रही है। धरती से पानी निकालना बहुत महंगा पड़ रहा है। खर्चे बढ़ रहे हैं। वर्षा का पानी बर्बाद हो जाता है। अगर वर्षा के 70 प्रतिशत पानी को संभाला जाए तो सिंचाई सस्ती हो सकती है, खेती आगे बढ़ सकती है। जैसे माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा प्रधान मंत्री ग्राम सिंचाई योजना लाई गई है, मैं समझता हूं कि इस पर अमली रूप में स्ट्रैस दिया जाना चाहिए। इसमें बारिश के पानी को संभालने के लिए स्कीम जल्दी बनाकर सारे देश में चलाई जानी चाहिए, ताकि किसानों को सस्ती सिंचाई की सुविधा मिल सके, जिससे खेती हो पाए। नेचुरल केलेमिटी से बचाव के लिए सब जगह इंश्योरेंस की स्कीम है। किसान के लिए कोई इंश्योरेंस की स्कीम नहीं है, अगर है तो उसमें कंडीशंस ऐसी लगाई जाती हैं, उसके मापदंड ऐसे रखे जाते हैं, जैसे सूखा पड़ा, सारे देश में सूखा पड़ा, तीन किस्म का सूखा था, जहां कोई फसल नहीं रोपी गई, उनको भी थोड़ा बहुत मुआवजा

दे दिया गया, एक जिन्होंने फसल रोप दी, लेकिन सूखे की वजह से वे उसे संभाल नहीं पाए, उनको भी मुआवजा दे दिया गया। मगर जहां बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ा, उन्होंने फसल भी रोप दी और संभाली भी। पंजाब एक ऐसा प्रदेश है, जहां सबसे कम बारिश हुई, सबसे ज्यादा फसल हुई, क्योंकि, वहां जेनरेटर और डीजल इंजन के द्वारा खर्चा किया गया, उनको मुआवजा नहीं दिया गया, क्योंकि, यह उनके पैरामीटर में नहीं आता, इसलिए कमाने वाले का ध्यान रखना चाहिए। पिछली सरकार ने किसानों का 72 हजार करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया था, उसमें कंडीशन लगाई गई कि जो डिफॉल्टर्स होंगे, उनका कर्जा माफ किया जाएगा।

पंजाब के लोग कभी डिफॉल्टर नहीं होते, वे कर्ज उतारने के लिए और कर्ज ले लेते हैं। सबसे ज्यादा पर एकड़, पर फैमिली, पर मैन पंजाब में किसान के ऊपर कर्ज है। मगर उनको कुछ नहीं दिया गया है, इसलिए प्रदेशों की स्थिति को देखकर केन्द्र की सरकार जो नीति तय करती है, उसको ध्यान में रखना चाहिए। कृषि के जो सहायक धंधे हैं, पशुपालन, फिश फार्मिंग इसको इंडस्ट्री घोषित किया जाना चाहिए। औद्योगिक रूप में इनको जो सहूलियत मिल सकती है, वह देनी चाहिए। सहायक धंधो को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। अब पर एकड़ भूमि कम हो रही है, स्मॉल फामर्स और मार्जिनल फॉर्मर्स की गिनती इस देश में 82% होगी और 10 करोड़ 76 लाख के करीब लोग ऐसे हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि है। इसीलिए लोग किसानी से दूर जा रहे हैं, लोग लैंडलेस होते जा रहे हैं, यह एक सोशल प्रोबल्म भी बनती जा रही है। बेरोजगारी की प्रोबल्म भी बनती जा रही है। सरकार की ओर से इन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, जिस धंधे में 60% लोग निर्भर हों, अगर उसको विशेष रूप से मदद नहीं दी जाएगी तो देश कैसे आगे बढ़ेगा, देश की इकोनॉमी कैसे आगे बढ़ेगी। मेरे मित्र पटेल जी ने सही कहा था कि एक समय था, जब किसी लड़की का पिता 10 एकड़ वाले किसान के पुत्र के साथ अपनी लड़की का रिश्ता कर देता था। आज एक छोटी सी दुकान करने वाले को वे प्रिफर करते हैं, इस देश की किसानी की यह दशा है।

डॉ. स्वामीनाथन जी ने जो सिफारिशें की हैं, इस पर अमल भी होना चाहिए और जल्दी होना चाहिए। जो मूल्य तय करने की नीति है, इसमें प्रदेशों की सरकारें, खास तौर पर जो प्रदेश अनाज पैदा करता है, उनको शामिल करना चाहिए, किसानों के रिप्रजेन्टेटिव इसमें होने चाहिए। जो ब्यूरोक्रेटस हैं, वे क्या गिनते हैं, एग्रीकल्चर

में जो लेबर काम करती है, उनको अनस्किल्ड लेबर गिनते हैं, जबकि जो किसान खेती करता है उससे बड़ा स्किल्ड लेबर कोई नहीं हो सकता। आप किसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए पी.एच.डी. किए हुए जो डॉक्टरेट की डिग्री लिए हुए हैं, इनको खेत में ले जाइए, उससे ज्यादा जो प्रेक्टिकल तौर पर किसानी का काम करता है, वह जो सुझाव देगा, वह खेती उत्पादन के लिए अच्छा होगा। कृषि क्षेत्र में जो काम करने वाले लेबर हैं, उनको स्किल्ड लेबर के तौर पर माना जाए। उसे स्किल्ड लेबर के तौर पर मूल्य मिले, ताकि उचितमूल्य किसान को मिल पाए, जिससे खेती लाभकारी बन पाए। डॉ. स्वामीनाथन जी ने जो सिफारिशें की हैं, इसमें मैं समझता हूं कि जो पैरामीटर्स हैं, केन्द्र की ओर से एग्रीकल्चर सैक्टर को बढ़ाने के लिए, प्रदेशों की स्थिति देखकर, वहां की परिस्थितियों के अनुसार केलेमिटी का कम्पन्शेसन देना चाहिए, जहां कर्ज माफी के लिए बात है, ताकि देश आगे बढ़ पाये, देश की किसानी आगे बढ़ पाये। ऐसा कहा जाता है कि यह अर्थव्यवस्था की धुरी है। अगर धुरी ही टूट गयी, तो अर्थव्यवस्था कैसे आगे बढ़ पायेगी? इस धुरी को कायम करने के लिए, मैं समझता हूं कि स्वामीनाथन जी ने जो रिकमेंडेशन्स दी हैं, वे बहुत अच्छी हैं और उन पर अमल करने की जरूरत है। धन्यवाद।

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत) : माननीय सभापति महोदय, मेरे साथी माननीय प्रहलाद सिंह पटेल जी ने यहां जो बातें कहीं, उनसे मैं बहुत सहमत हूं। इस देश का दुर्भाग्य है कि अंग्रेज इस देश में आये। पहले ईस्ट इंडिया कम्पनी आई, फिर अंग्रेज आये। वे तो अंग्रेज थे, विदेशी शासक थे, लेकिन सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है वि जब हमारा देश आजाद हुआ तो इस देश में जो शासक आये, दुर्भाग्य से उनमें ज्यादातर लोग, चाहे वे शासक थे, राजनेता थे या उस समय हमारी जो ब्यूरोक्रेसी थी, वे सब वेस्टर्न कंट्रीज में एजुकेटेड लोग थे। उनका न तो किसानों के घरों से संबंध था और न ही उन्हें कृषि नीति के बारे में कुछ मालूम था, इसलिए इस देश में कृषि नीति का विनाश, मैं उसे विनाश कहूंगा, देश की आजादी के बाद से ही शुरू हुआ।

देश की आजादी के बाद जो कृषि विश्वविद्यालय बनाये गये, जो कृषि नीति शुरू की गयी, कृषि रिसर्च का माहौल बनाया गया, वह सब अमेरिकन सहयोग से किया गया। हमारी जो एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटीज आयीं, वे सब अमेरिकन सहयोग से बनायी गयीं। उसके पीछे क्या उद्देश्य था, अगर किसी को यह उद्देश्य पढ़ना है, मैं

निवेदन करूंगा कि प्रो. सुसेन जार्ज, एक अमेरिकन महिला, एव प्रोफेसर ने यह किताब लिखी है और उस किताब का नाम है [अनुवाद] "दूसरा आधा कैसे मरता है? [हिन्दी] इस देश की कृषि को किस तरह से बर्बाद किया जाये, इसके लिए यहां के एग्रीकल्चर कोर्स बनाये गये, कैरिकुलम बनाये गये। जो हमारे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट्स थे, टीचर्स थे, उनके द्वारा अमेरिकन यात्रा की गयी, वह आज भी उसी प्रकार से चालू है। यह इस देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि 350 मोलेक्यूल्स, जिसे हम पेस्टीसाइड्स कहते हैं, भारत ने एक भी मोलेक्यूल को आज तक डेवलप नहीं किया। सारे अमेरिकन मोलेक्यूल्स हमारे देश में आते हैं और हमारी यूनीवर्सिटीज के पढ़े हुए एग्रीकल्चर वैज्ञानिक कहते हैं कि अमेरिकन मोलेक्यूल्स हमारे देश की धरती के लिए उपयुक्त हैं। उन्होंने आज तक एक भी मोलेक्यूल फेल नहीं किया, क्योंकि, उसके लिए उन्हें पैसा मिलता है। मैंने इस बारे में नियम 193 के अन्तर्गत बहस करने के लिए नोटिस दिया है। जब प्रहलाद सिंह पटेल जी बोल रहे थे, यह दुर्भाग्य की बात है कि इतने बड़े सदन में जब खेती पर डिस्कशन होता है तो इतने कम लोग सदन में रहते हैं। कुछ लोग इसलिए बैठे हैं, क्योंकि, सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 65 प्रतिशत लोग केवल खेती पर निर्भर करते हैं। मैंने एक दिन कहा था कि बिना खेती और बिना किसान के एक भी आदमी जिंदा नहीं रह सवता। सौ प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर करते हैं, लेकिन जब कृषि की बात आती है तो उस पर न तो कोई बात करने के लिए तैयार है और न ही कोई उस पर बहस करने के लिए तैयार है, इसलिए देश की कृषि नीति आज भी एडहॉकिज्म पर चल रही है।

हम डॉ. स्वामीनाथन की बात करते हैं। मैं डॉ. स्वामीनाथन की सभी संशोधित रिकमेंडेशन्स से सहमत नहीं हूं। उसकी एक बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से डॉ. स्वामीनाथन का आयोग बना, उसमें कितने लोग ऐसे थे, जिनका किसान से डायरेक्ट संबंध था? यह दुर्भाग्य की बात है कि हमारे कृषि मंत्रालय में ब्यूरोक्रेट्स, जो कृषि नीति की बातें करते हैं, जो मैकेनाइजेशन की बातें करते हैं, जो टेक्नोलॉजी की बातें करते हैं, उन्होंने हजारों-लाखों वर्षों से, हमारे किसानों ने जो सीखा था, वे बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, वे कितनी अच्छी खेती करते थे। हमने उसे खत्म कर दिया, पशुधन खत्म कर दिया। हम छोटी-छोटी बातों पर बोलते हैं कि हमें मैकेनाइजेशन करना चाहिए, हमें फर्टिलाइजर लाना चाहिए। मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं कि हमारे बागपत में सभी

नदियां जहरीली बना दी गयीं। [हिन्दी] हमारी सारी जमीन को पेस्टीसाइड्स डालकर जहरीली कर दिया गया। हमने उस पर कोई रिसर्च नहीं की। इस देश में गोबर से अच्छा कोई खाद बन सकता है, गाय-बैल से अच्छी कोई खेती कर सकता है, लेकिन उस पर रिसर्च नहीं हुई। आज हम जिसे मिनिमम वेज़ेज ऐक्ट कहते हैं, क्या डा. स्वामीनाथन ने किसानों के लिए वह मिनिमम वेज़ेज ऐक्ट लगाया है? एव किसान के परिवार के सभी लोग काम करते हैं, उसके बच्चे काम करते हैं, किसानों के यहाँ सर्दी के मौसम में बिजली रात के दो बजे आती है तो कोई इस बात को सोचता है, वह उसी समय खेत में जाता है। यदि हम एक टैक्सी वाले को लेकर दिन में यहाँ से आगरा जाना चाहें तो हो सकता है वह दो हजार रुपए ले, लेकिन जब उसे हम रात के बारह बजे जाने को कहेंगे तो वह पाँच हजार रुपए मांगेगा। जब किसान रात को खेत पर जाकर दो बजे रात को मेहनत करेगा तो डा. स्वामीनाथन ने जो मिनिमम वेज़ेज ऐक्ट है, उसे उसके लिए नहीं लगाया। हमारी क्या नीति है? हमारी जितनी मंडियां बनीं, जहाँ पर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जाते हैं, वहाँ पर भी मीडिल मैन बन गये। हमने जिसे किसानों के लिए बनाया था कि इससे किसानों का हित होगा, वहां वे डायरेक्ट जाकर बेचेंगे, वहाँ भी दलाल तैयार हो गये। यदि किसान लुटता है तो केवल किसान लुटता है, क्योंकि हमने किसानों की एहमियत ही नहीं दी। जिस देश में किसान राजाओं का राजा होता है, जिस देश के अंदर किसान खुशहाल नहीं होता, वह देश कभी भी खुशहाल नहीं हो सकता। हम लोगों ने केवल इतना ही सोचा। आज हमारी कृषि देश की जी.डी.पी. को केवल 14 या 15 प्रतिशत योगदान देती है। इसलिए इसे केवल 14-15 प्रतिशत महत्व दिया जाए। हम लोगों ने दूसरे सेक्टर्स को इतना ज्यादा महत्व दिया, जिसे हम कहते हैं- टैम्पल्स ऑफ डेवलपमेंट, लेकिन खेती के बारे में कभी ध्यान नहीं दिया गया। मैं तो आज केवल इतना ही निवेदन करूँगा, क्योंकि, मैं इस विषय पर बहुत ही विस्तार से बोलने वाला हूँ। इस देश में कैसी कृषि नीति हो, इस देश में किस प्रकार से किसानों का भला हो इसके लिए मैं तो सरकार से यही निवेदन करूँगा कि डा. स्वामीनाथन ने जो रिक्मेंडेशंस दिये हैं, वे भी सही मायने में सब प्रकार से ठीक नहीं हैं। उससे किसानों का हित होने वाला नहीं है। उसको रिव्यू किया जाए और जल्दी से जल्दी शॉर्ट टर्म और लांग टर्म पॉलिसीज बनाई जाएं, ताकि किसानों का हित हो सके।

श्री भगवंत मान (संगरूर): सभापति जी, मैं पंजाब से हूँ। पंजाब हरे-भरे खेतों के लिए जाना जाता था। मैं 'था ' इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि, आज जो किसानों की हालत है, वह बद-से-बदतर हो गयी है। पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी जब इलेक्शन कैम्पेन कर रहे थे तो उन्होंने देश में दौरे के समय लगभग हर भाषण में कहा कि हम एम.एस. पी. में 50 पर्सेंट की वृद्धि करेंगे। लेकिन अभी जो एम.एस.पी. बढ़ायी गयी है, वह दो या चार पर्सेंट बढ़ी है, जबकि महंगाई की दर आठ पर्सेंट बढ़ती है। किसान का तो कोई चांस ही नहीं है कि वह अपने जीवन-स्तर को थोड़ा ऊँचा उठा सके। छः लाख करोड़ के आसपास कॉरपोरेट सेक्टर को डायरेक्ट और इन-डायरेक्ट सब्सिडी दे दी गयी। यदि इसका दस पर्सेंट भी किसानों के लिए रख लिया जाता तो किसानों का कुछ भला हो जाता।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान खुदकुशियों की ओर दिलाना चाहता हूँ। खुदकुशियाँ क्यों हो रही हैं, क्योंकि, फसलों के भाव नहीं मिल रहे हैं, पानी का स्तर पंजाब में इतना नीचे चला गया कि ट्याूबवैल्स लगाना किसानों की पहुंच से बाहर हो गया। जो नदी, नालों का पानी है, वह प्रदूषित पानी उसमें डाला जाता है, उसमें काले रंग का पानी आता है जो कैंसर बांटता है। वह राज्य जिसका नाम पानियों पर था- पाँच आब, पाँच दरिया, उसका पानी आज पीने लायक नहीं है और सिंचाई के लायक भी नहीं है। पहले अंग्रेज कालेपानी की सज़ा देते थे, लेकिन पंजाब के किसानों को हमारी सरकारें ही कालेपानी की सज़ा दे रही हैं। फसल बीमे के रूप में जो मुआवज़ा मिलता है, उसका तरीका यह है कि 144 यूनिट बनाये हुए हैं। 12 हजार से ज्यादा गांव हैं, लगभग 90 गांव एव यूनिट में आते हैं। यदि आपको मुआवजा लेना है, कोई बेमौसमी बरसात हो गयी या ओले पड़ गये तो कम से कम 35 से 40 पर्सेंट नुकसान होना चाहिए, यानी कम से कम 35 से 40 गांवों का नुकसान होना चाहिए तब मुआवज़ा मिल सकता है। मैं कहता हूं कि 90 गांवों को यूनिट नहीं मानना चाहिए, बल्कि हर गांव को यूनिट मानना चाहिए।

कई बार ऐसा होता है कि गांव की एक साइड में बेमौसम बरसात हो जाती है, ओले पड़ जाते हैं और दूसरी साइड बच जाती है तो उसको आप मुआवजे में यूनिट नहीं मानेंगे, उसे कुछ नहीं मिलेगा। जो मुआवजा मिलता है, वह एक किस्म का मजाक होता है। सरकारों की तरफ से कभी किसानों को 26 रुपये, 13 रुपये या

15 रुपये के चेक दिए जाते हैं। जब एम.एस.पी. या फसलों के भाव तय करते हैं तो राज्यों से मांगा जाता है कि कितने रुपये में एक एकड़ जमीन पट्टे पर ली जाती है। पंजाब सरकार ने यह जानकारी दी है कि पंजाब में एक एकड़ जमीन 13 हजार रुपये में पट्टे पर मिल जाती है, यह बात गलत है। मैं खुद खेती करता हूं, आजकल 50 हजार रूपये से कम में एक एकड़ जमीन मिल ही नहीं सकती है। उसके आधार पर एम.एस.पी. 13 हजार रुपये बना दी जाती है। हालत यह है कि नए ट्रैक्टर बिकने आते हैं, पंजाब में ट्रैक्टरों की मंडी लगती है। उसमें बिल्कुल नए, ब्रांड न्यू ट्रैक्टर्स बिकने आते हैं। असल में वहां ट्रैक्टर नहीं बिकने जाते हैं, किसान खुद बिकने आते हैं। उनको कहीं से भी कर्ज नहीं मिलता है, बच्ची की शादी करनी है या बच्चों की पढ़ाई पर खर्च हो रहा है तो वे कहते हैं कि जमीन के नम्बर दे दो और नया ट्रैक्टर ले लो। महंगे से महंगा ट्रैक्टर ले लो और पांच-छः दिन बाद मंडी में वह ट्रैक्टर दो-ढाई लाख रुपये के घाटे पर कैश में बेच दो, इस तरह से हमारे पास पांच-छः लाख रुपये की नगदी आ जाएगी और उससे बेटी की शादी कर लेंगे। मेरे अपने गांव में आज से 15 से 20 साल पहले जो बड़े-बड़े ट्रैक्टरों वाले जमींदार होते थे, दुख से कहना पड़ रहा है कि आज उनमें से दो-तीन लोग साइकिल पर सब्जी बेचने को मजबूर हैं। जो बड़े जमींदार कहलाते थे, वे आस-पास के शहरों में सुबह लेबर चौक पर खड़े होते हैं कि हमें मजदूरी पर ले जाओ, उनकी यह हालत हो गयी है। मैं अपने गांव की बात बताता हूं, एक किसान को अपनी बेटी की शादी करनी थी। उसे कहीं से कर्ज नहीं मिल रहा था। एक दिन वह कर्ज लेने के लिए शहर गया और 50 हजार रुपये लेकर आ गया। उससे उसने बेटी की शादी कर दी। दो महीने बाद वह बीमार हो गया, जब उसके घर वाले उसे हॉस्पिटल लेकर गए तो डाक्टरों ने पूछा कि तुम्हारी एक किडनी कहां है? जब घर वालों ने उससे पूछा तो उसने बताया कि बेटी की शादी के लिए मैं जो पैसे लेकर आया था, वह कर्ज नहीं था, मैंने अपनी किडनी बेची थी। किडनी बेचकर किसान शादियां कर रहे हैं। पंजाब का वह किसान, जो पूरे देश का पेट पालता था, आज खुद भूखे पेट सोने के लिए मजबूर है। सरकारों की तरफ से खेती को बचाने के लिए कुछ भी एफर्ट्स नहीं किए गए।

मैं आपके माध्यम से यह बात सदन में रखना चाहता हूं कि पंजाब के किसानों को बचाने के लिए योजनाएं बनाई जाएं, क्योंकि, जो रस्से बैल के गले में डालने के लिए थे, जो घुंघरु-घण्टी बांधने के लिए रस्से थे, वे

किसान के गले का फन्दा बन चुके हैं। आज हालत यह है कि किसानों के बेटे विदेश जा रहे हैं। उसके लिए वे अपनी मां की बालियां बेच देते हैं या फिर जमीन बेच देते हैं और ट्रैवल एजेंट्स के पास चले जाते हैं। इराक में पंजाब के पांच हजार से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। इसका मतलब हालत यह है कि पंजाब की हालत इराक से भी बदतर है। हमारे मां-बाप कह रहे हैं कि इराक में जाकर काम कर लो। मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि कृषि मंत्री ऐसी योजनाएं बनाएं कि पंजाब दुबारा रंगला पंजाब बन सके। आज पंजाब में गिद्धा-भांगड़ा नहीं होता, आज पंजाब में कैंसर, ड्रग्स, हेपेटाइटिस-सी जैसी बीमारियां होती हैं, छोटी उम्र के बच्चों के बाल सफेद हो जाते हैं। पानी पीने के लायक नहीं है। किसान को बचाने के लिए मैं आग्रह करूंगा कि इम्मिडिएटली ऐसे कदम उठाए जाएं, जिससे उनको फसलों के दाम मिल सकें, किसानों के बच्चों को उच्च स्तर की शिक्षा मिल सके, ताकि आगे चलकर खेती पर उनकी निर्भरता कम हो, वे किसी अन्य तरीके से कमाने लायक बन सकें। एक क्रांतिकारी शायर संतराम उदासी ने पंजाबी में एक शेर लिखा है:

"बोहला विच्चों नीर वगिआ, लिया तंगली नसीबां नूं फरोड़िए तूड़ी विच्चों पुत जगिया। "

इसका मतलब है कि उसके पास कुछ भी नहीं बचता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूं वि पंजाब के किसान को बचाने के लिए जितने भी एफर्ट्स हो सकते हैं, पार्टी लेवल से ऊपर उठकर, राजनीत से ऊपर उठकर करने चाहिए।

आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : सभापति महोदय, यह प्रस्ताव मूलतः स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से संबंधित है। जो इस प्रस्ताव के प्रस्तुत करने वाले थे, उन्होंने इस पर काफी गंभीरतापूर्वक, विस्तार से और आंकडों के साथ चर्चा की थी। जब महताब जी बोल रहे थे तो उन्होंने काफी विस्तार से इसके बारे में बातें बताई हैं। माननीय प्रहलाद पटेल जी ने गांव, गरीब, किसान और मजदूर के दिल की वेदना की कहानी बताई। मैं एक बुनियादी प्रश्न की ओर जाना चाहता हूं। हिंदुस्तान में जितने किसान आयोग बनते हैं, क्या किसान उस आयोग का वास्तविक प्रतिनिधि होता है? कृषि वैज्ञानिक होना एक बात है और किसान वैज्ञानिक होना दूसरी बात है। भारत में कृषि की उन्नति तभी होगी, जब कृषि वैज्ञानिक से निकलकर

खेती के फ्रंटलाइन डैमोस्ट्रेशन्स या जितने काम लैब टू लैंड चलते हैं, उन सभी अनुसंधान संस्थानों का काम, कृषि वैज्ञानिक के हाथों से निकाल कर, किसान वैज्ञानिक के हाथों में चला जाए। आप किसानों को ट्रेनिंग देते हैं तो उनकी भाषा, वेश-भूषा, संस्कार, संस्कृति, मानसिकता, बौद्धिकता को समझे बगैर ट्रेनिंग देते हैं। हम उन्हें मैकेनाइज्ड, साइंटिफिक ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन उनकी पहुंच वहां तक नहीं होती है।

भारत के किसानों ने अन्न का उत्पादन बढ़ाया है। वर्ष 1990-91 में अनाज का उत्पादन 176.49 मिलियन टन था, जो वर्ष 2011-12 में बढ़कर 260 मिलियन टन हुआ। वैज्ञानिक चाहे अपनी पीठ को जितना भी थपथपा लें, लेकिन यह योगदान भारत के सीमांत किसानों का है। हमारे किसानों ने कम से कम वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग किया, अपनी अक्ल से खाद का इस्तेमाल किया और वह अपने परिवार के साथ खेत में सड़ा है, गला है, तपा है, मरा है और उसने अपने परिश्रम से भारत के अनाज भंडार को भरकर आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है। लेकिन कभी भी पद्मश्री या पद्मभूषण की उपाधि किसी किसान को नहीं दी गयी। वह इसलिए क्योंकि वह निर्धन है, निर्बल है। उसने परम्परागत तरीकों से भारत की कृषि में जो उन्नति की है, उसका विकास किया है, दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। एक तरफ परम्परागत तकनीक है तो दूसरी तरफ मॉडर्न और साइंटिफिक तकनीक है, दोनों में कहीं मेल नहीं है। भारत के किसान के लिए अपग्रेडेशन, मॉडिफिकेशन एंड मॉडरनाइज़ेशन ऑफ ट्रेडिशनल टैक्नॉलॉजी जरूरी है। परम्परागत तकनीक को अपग्रेड कीजिए, मॉडर्नाइज कीजिए और तब जाकर उसे नया बनाइये। हमारे धर्म-शास्त्रों ने कहा है कि विशिष्टीकरण का सामान्यकरण और सामान्य का विशिष्टीकरण, जिसपर विवेकानंद जी ज्यादा जोर देते थे। जो सामान्य जन के पास विज्ञान है, उस विज्ञान को विशिष्टता प्रदान करना और जो विज्ञान की विशिष्टता है, उसे सामान्य करके जन-साधारण तक पहुंचाना, यही असली विज्ञान है और यह विज्ञान अगर कृषि क्षेत्र में नहीं हो पा रहा है तो उस अनुसंधान का कोई महत्व नहीं है।

वर्ष 1951 में भारत में 71.09 प्रतिशत किसान थे, लेकिन वर्ष 2011 की कृषि जनगणना के मुताबिक भारत में किसान की संख्या 45.01 रह गयी है। हमारे 26.08 प्रतिशत किसान अब गायब हो चुके हैं। कहां चले गए, खोजना चाहिए। जब खोजने लगते हैं तो खेतिहर मजदूर वर्ष 1951 में 28.01 प्रतिशत था, जो बढ़ कर के

वर्ष 2011 में 54.09 प्रतिशत है, वह 26.08 प्रतिशत बढ़ा है। 26.08 प्रतिशत किसान घटा और 26.08 प्रतिशत खेतिहर मजदूर बढ़ा। इसका मतलब जितना किसान घटा है, उतना किसान खेतिहर मजदूर हुआ है। जिसका दादा सौ एकड़ जमीन जोतने वाला था, पचास एकड़ जमीन जोतने वाला था, उसका पोता सीमांत किसान बन गया और जो बड़े-बड़े उद्योगों में थे, जो सामान्य थे, आज वे अरबपति, खरबपति और विश्वपति बन रहे हैं। कितना अंतर है कि उद्योग व्यापार चलता है, घोड़े की चाल से और खेती चलती है कछुए की चाल से? क्या दोनों में कभी मुकाबला हो सकता है? क्या दोनों की गति में कभी बराबरी हो सकती है? नहीं हो सकती है। पैसा कितना दिया जाता है? 11वीं पंचवर्षीय योजना में भारत की सरकार ने कृषि अनुसंधान और शिक्षा के लिए योजना का 0.56 प्रतिशत दिया है। 12वीं योजना में 0.70 प्रतिशत दिया है। एक प्रतिशत राशि भी योजना में से नहीं दी गयी है। जब अनुसंधान के लिए पैसा ही नहीं जाएगा तो वैज्ञानिक प्रयोगशाला में या अनुसंधान केन्द्र में बैठ कर क्या करेंगे? तम्बाकू खाएंगे, ताश खेलेंगे, वैज्ञानिक औरतें स्वेटर बुनेंगी, क्या करेंगे वे, जब आप उनको अनुसंधान के लिए पैसा नहीं देंगे? इसलिए वैज्ञानिकों को पूरे साधन मिलने चाहिए। कृषि कॉलेजों को पूरे साधन मिलने चाहिए। कृषि और सहकारिता विभाग को 11वीं योजना में 1.92 प्रतिशत दिया गया। 12वीं योजना में 1.98 प्रतिशत दिया गया। उसी तरह से पशुपालन और मत्स्य पालन है, 11वीं योजना में 0.37 प्रतिशत और 12वीं योजना में 0.70 प्रतिशत दिया गया।

मैं सदन में यह बात रखते हुए भारत की सरकार से मांग करता हूं कि कृषि विकास पर जोर देना आपका लक्ष्य है। हमारी जनसंख्या गांवों में बसने वाली है। वर्ष 1951 में 82.07 प्रतिशत थी और वर्ष 2011 में यह 68.08 प्रतिशत हो गयी है। 14 प्रतिशत गांव का आदमी कहां चला गया। गांव का आदमी जो खेती करता था, किसानी करता था, वह शहर में आ गया है। रिक्शा चलाता है, ठेला चलाता है, मजदूरी करता है, फुटपाथ पर सोता है, पेड़ के नीचे सोता है, इस पेड़ के नीचे के परिवार वाले की उस पेड़ के नीचे के परिवार वाले से शादी होती है। वह पेड़ के नीचे जन्मता है, बढ़ता है, सोता है, शादी करता है, पेड़ के नीचे हनीमून मनाता है, पेड़ के नीचे बच्चा पैदा करता है, वह बच्चा फिर पेड़ के नीचे बढ़ता है और फिर वहीं अपनी जिंदगी गुजारता है। यह

उस किसान के शहर में आने का दुष्परिणाम है। क्या हम उसे बचाने का काम कर सकते हैं? किसी आयोग का ध्यान इस ओर नहीं गया है।

महोदय, मैं दो बातें कह कर समाप्त कर दूंगा, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। इसीलिए मेरी विनम्र प्रार्थना है कि हिन्दुस्तान में 751 कृषि विज्ञान केन्द्र हैं। कृषि विज्ञान केन्द्र में न जमीन है, न साधन है, न उपकरण है, कुछ नहीं है। इनको पूरी तरह से मजबूत करने का काम किया जाए। सीमांत किसानों की संख्या 64.77 प्रतिशत है और लघु किसानों की संख्या 18.52 प्रतिशत है। कुल मिलाकर 83.29 प्रतिशत किसान, लघु और सीमांत हैं। ये छोटे किसान हैं। इनकी उन्नति कब होगी? इसलिए मैं भारत सरकार से प्रार्थना करना चाहूंगा कि बजट को बढ़ाइए, राशि को बढ़ाइए।

अंत में एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान में कृषि भूमि वर्ष 1990-91 में 185.2 मिलियन हेक्टेयर और वर्ष 2011-12 में 182 मिलियन हेक्टेयर हो गयी। खेती की जमीन घटती जा रही है और जनसंख्या बढ़ती जा रही है। यह कहां का नियम है? तेल कम होता जाए और नाच बढ़ता जाए, ऐसी मिथिलांचल में कहावत है। खेती की जमीन कम है और जनसंख्या का भार ज्यादा है। इसलिए किसान की हालत यह है। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि खेती की उपजाऊ जमीन को उद्योग से बचाया जाए। कारखानों से बचाया जाए और उस जमीन को खेती लायक रहने दीजिए। अगर आपको उद्योग लगाना है, आप झारखंड, ओडिशा और आन्ध्र प्रदेश में चले जाइए जहां बंजर तथा पथरीली भूमि है, वहां कारखाना लगाइए, आदिवासी इलाके में लगाइए, वहां कारखाने बनेंगे, विकास होगा, सड़कें बनेंगी, फ्लैट बनेंगे, दुकानें बनेंगी और उन गरीबों का कल्याण होगा।

अंत में, मेरी विनम्र प्रार्थना है कि चूंकि भारत की विभिन्न योजनाओं में गांवों के गरीब किसान कहीं पर नहीं हैं, उनका कहीं स्थान नहीं है, उनका कहीं प्रतिनिधित्व नहीं है, इसलिए उनकी बातें कहीं पर नहीं रखी जाती हैं। बड़े लोग ए.सी. में बैठकर योजनाएं बनाते हैं। गांवों की झोंपड़ियों में अगर योजनाएं बनेंगी तब गांधी जी का दर्शन पूरा होगा, तब भारत का कल्याण होगा। इसलिए मेरी विनती है कि एक नया आयोग बनाया जाए। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के आधार पर फिर गांव, गरीब किसानों के हित में नयी सिफारिशें आएं,

उनको भारत की सरकार लागू करे। गांवों, गरीबों के उत्थान की तरफ जब भारत सरकार का ध्यान जाएगा, तभी भारत का सच्चे अर्थ में विकास होगा। मैं नरेन्द्र मोदी जी की उस दृष्टि को धन्यवाद देना चाहता हूं तथा मेरा अनुरोध है कि उस दृष्टि का कार्यान्वयन जल्दी हो। धन्यवाद।

[अनुवाद]

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, आज जब प्रस्ताव पर आगे की चर्चा की गई तो इस प्रस्ताव पर चर्चा के लिए समय एक घंटे के लिए बढ़ाया गया था । जैसा कि विस्तारित समय अब समाप्त हो गया है, और इस संकल्प पर बोलने के लिए अभी भी कई और सदस्य हैं, हम दो घंटे के लिए समय बढ़ा सकते हैं। मुझे आशा है कि सभा सहमत होगी।

अनेक माननीय सदस्य:जी हाँ।

[हिन्दी]

श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला) : माननीय सभापति जी, मैं इस रिजोल्यूशन के बारे में कहना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान की आज़ादी के 67 वर्षों में जो किसानों का शोषण हुआ, उनको जो लाभकारी मूल्य आज तक नहीं दिया गया, इसके बावजूद भी भारत के किसानों ने देश की प्रगति में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज भी भारत की अर्थव्यवस्था का ढांचा कृषि पर आधारित है। मैं मानता हूं कि कोई जमाना था जब भारत की कृषि का जीडीपी में 65 प्रतिशत योगदान था जो आज घटकर 14 प्रतिशत हो गया है। लेकिन इसके बावजूद भी भारत के किसानों ने 2,68,000 करोड़ रुपये का कृषि उत्पादन दूसरे देशों में भेजा है। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि क्लाइमेट एक्सचेंज के अन्तर्गत जो वार्ताएं दुनिया के अंदर चल रही हैं चाहे जो अभी दोहा में चलीं, लीमा और पेरू में कल परसों तक चल रही थीं लेकिन भारत ने अपने किसानों की रक्षा के लिए जो कदम इन वार्ताओं के अंदर उठाए हैं, बड़े बड़े पश्चिम के देशों का, बड़े बड़े यूरोप के देशों का दबाव भारत ने नहीं सहा।

जब तक हम अपने देश के किसानों को अपने पैरों पर खड़ा नहीं कर लेते तब तक हम किसी भी दबाव के सामने झुकने वाले नहीं हैं फिर चाहे वह देश कितना ही अमीर क्यों न हो। हमारे जो भी प्रतिनिधि दुनिया के सम्मेलनों में गये, उन्होंने पूछा कि जब आप भारत के किसानों के लिए खाद पर सब्सिडी खत्म करना चाहते है उनकी फसलों पर सब्सिडी खत्म करना चाहते हैं, आप एमएसपी के ऊपर जो सब्सिडी खत्म करना चाहते हैं, अमरीका, चाइना तथा यूरोप के देशों से पूछा गया कि क्या आपने अपने किसानों के लिए सब्सिडी बंद कर दी, तो फिर भारत को ही बार बार क्यों निशाना बनाया जाता है? 18-11-2004 को स्वामीनाथन आयोग बना था। जिसने चार-पांच रिपोर्ट्स दीं और उनके आधार पर किसानों के हक में उन्होंने कुछ निर्णय लिये। हम उन सब निर्णयों को धीरे-धीरे लागू करने के लिए अपने देश के अंदर वातावरण बनायेंगे, ताकि हमारा किसान अपने पांव पर खड़ा हो। आज भारत के अंदर जी.एम. क्राप्स को भी अंधाधुंध तरीके से लागू करने की कोशिश की जा रही है। इस मामले में भी भारत ने दुनिया के देशों से टकराव मोल लिया कि जब तक जी.एम.क्राप्स, जो हमारे भारत की भूमि है, जो हमारी सॉइल है, पहले हम उसे वहां टैस्ट करेंगे कि वह हमारे भूमि के मुताबिक फिट बैठती है

या नहीं, तब उसके बारे में विचार किया जायेगा। हम इसके विरोधी नहीं हैं, लेकिन पश्चिम के कुछ देश, यूरोप के कुछ देश अगर अपने देशों की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए जी.एम.क्राप्स को हमारे ऊपर थोपना चाहेंगे तो भारत किसी भी कीमत पर उसे स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। यह बड़ी खुशी की बात है कि हमारे देश के अंदर स्वदेशी का जागरण भी चल रहा है। जो जहरीले खाद बाहर से आए, इन्होंने हमारी मिट्टी की स्थिति बिगाड़ दी, इन्होंने हमारे पर्यावरण के हालात को बिगाड़ दिया। हमारे देश का किसान अब चाहता है कि हमारा पेस्टिसाइड जैविक आधार पर बने, वह नीम से बने और इस प्रकार की बहुत बढ़िया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो नीम से बनने वाली खाद है, वह भारत के लिए बहुत ही लाभकारी साबित हो रही है। भारत ने 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र पर 1,34,746 करोड़ रुपये खर्च करने का जो टारगेट रखा है, हम चाहते हैं कि अभी जो हमारी सरकार आई है, जैसे-जैसे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होती जायेगी, हम चाहेंगे इसके अंदर और बढ़ोतरी की जाए और राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन पर 12,350 करोड़ रुपये, बागवानी पर 15,974 करोड़ रुपये, तिलहन पर 3,507 करोड़ रुपये, सिंचाई की छोटी-छोटी योजनाओं पर 13,034 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय कृषि के विस्तार के लिए हिंदुस्तान के छः लाख गांवों के अंदर कृषि क्षेत्र का ढांचा बढ़ाने के लिए, एक जाल बिछाने के लिए अपने हिंदुस्तान के किसानों को मजबूत करने के लिए, उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए, इस क्षेत्र में नई-नई प्रोद्यौगिकी का उपयोग करने के की बात है।

माननीय सभापति : कटारिया जी, अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री रत्न लाल कटारिया : राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 63,246 करोड़ रुपये रखे गये हैं। यह पैसा किसानों पर खर्च होगा, उससे उन्हें अपने खेतों में अपनी भूमि का स्तर बढ़ाने में, सिंचाई के साधन बढ़ाने में मदद मिलेगी। हमारे पूर्व प्रधान मंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो नदियों को जोड़ने की योजना बनाई, चूंकि आज भी हमारे देश की जो कृषि भूमि है, वह आधिक मात्रा में सिंचित नहीं है। उसी मिशन को लेकर हमारे प्रधान मंत्री, आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने बीड़ा उठाया है कि हिंदुस्तान की जो बड़ी-बड़ी नदियां हैं, उनको जोड़कर हम आने वाले समय में अपने भारत के किसान के हर खेत को सिंचित करने के लिए इस प्रकार की एक योजना बनायेंगे, जिससे हमारा किसान अपने पैरों पर खड़ा हो सके।

महोदय, मैं हरियाणा से आता हूं।

माननीय सभापति : कटारिया जी, आपने पांच मिनट मांगे थे।

श्री रत्न लाल कटारिया : मुझे बस एक मिनट और दे दीजिए।

माननीय सभापति : आपने पांच मिनट मांगे थे, पांच की जगह आठ मिनट हो गये हैं, अब आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त करिये।

श्री रत्न लाल कटारिया : मान्यवर, मैं हरियाणा के अम्बाला लोक सभा क्षेत्र से चुन कर आता हूँ। मैंने पिछले दस वर्षों में यूपीए शासन के अंदर हरियाणा के अंदर देखा। मैंने कांग्रेस के पिछले दस वर्षों के शासन के अंदर देखा कि किस प्रकार का भद्दा मज़ाक वहां के किसानों को उनकी फसलों के नुकसान के लिए आठ-आठ आने के चैक दे कर, एक-एक रूपये का चैक दे कर, उनवे साथ किया गया। इससे बड़ी मिसाल कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। मैंने वहां के मुख्य मंत्री जी से एक बार पूछा था कि आप जो यह आठ-आठ आने के चैक भेज रहे हैं, दो-दो रूपये के चैक भेज रहे हैं, कम से कम इतना ही बता दीजिए कि किसान तक पहुंचाने के लिए प्रति चैक खर्च कितना आ रहा है? एक चैक के ऊपर ही पांच-छह रूपये तक का खर्चा हो जाता है। इस प्रकार से पिछले वर्षों में किसानों की सेवा की गई। इस प्रकार से किसानों को अपने पांवों पर खड़ा करने की योजना बनाई गई।

आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

श्री हुकुम सिंह (कैराना) : सभापति महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आधिकांश जो विचार आए हैं, वे स्वामीनाथन आयोग को ले कर आए हैं। मुझे आज सुन कर बड़ा आश्चर्य हुआ कि अभी भी लोग विश्वास करते हैं कि पुरानी खेती की जो विधि थी, उसको अपना कर हम स्वावलंबी हो पाएंगे। क्या सोचते हैं कि अगर हम आज हल चला कर खेती करें तो हम स्वावलंबी हो जाएंगे? आज अगर उसी तरह रहट की खेती करें तो क्या हम स्वावलंबी हो जाएंगे? आवश्यकता इस बात की थी कि खेती को भी विज्ञान के साथ जोड़ा जाए।

मुझे वह दिन स्मरण है, जब भारतवर्ष में अनाज का बहुत बड़ा संकट आया था। पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध चल रहा था। उस युद्ध में एक सैनिक होने के नाते मैं भी शामिल था और तत्कालीन प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने सेना के लिए भी कहा था कि एक वक्त का खाना सोमवार को छोड़ दीजिए। हमारे यहां भोजन की इतनी दिक्कत थी? नई टैक्नॉलोजी आई, नया बीज आया और हमारे किसान ने मेहनत की, सरकार ने सहयोग दिया तो इतना अन्न पैदा किया गया कि हम स्वावलंबी भी हो गए और अनाज को बाहर भेजने की स्थिति में भी आ गएए। अगर हम वहीं उस हल की खेती पर चलते रहते और एक एकड़ में दो-तीन क्विंटल पैदा करते रहते तो यह देश कभी भी स्वावलंबी होने वाला नहीं था। मुझे तकलीफ इसी बात की है। हमें समझना चाहिए कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है क्या? उसको पढ़ना चाहिए? उन्होंने एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया है। उन्होंने इस बात का प्रमाण दिया है कि अगर किसान को उसकी उपज का सही दाम देना है, तो उस उपज का सही दाम देने का तरीका क्या होगा। हम अभी तक क्या करते थे? हम देखते थे कि खाद की कीमत इतनी बढ़ गई, सिंचाई की कीमत इतनी बढ़ गई और यहां पर आयोग बना हुआ है, सिफारिश कर दी, सरकार ने उसकी घोषणा कर दी। लेकिन स्वामीनाथन जी चूंकि एक वैज्ञानिक थे, कृषि से जुड़े हुए थे, कृषि में उनकी आस्था थी, उन्होंने कहा कि यह तरीका सही नहीं है। उन्होंने कहा कि जमीन के रूप में उसकी जो पूंजी लगी हुई है, उसका भी आंकलन कीजिए। उसका जो श्रम है, अपनी मेहनत है, उसका भी आंकलन कीजिए। तब किसान को खेती की उपज का दाम आप दीजिए। इसमें गलती क्या है? मान्यवर गलती कहां हुई। इसमें दो फैक्टर्स हैं, जिन पर विचार करना चाहिए। एक तो सरकारों का कुशासन। जो सरकारें रहीं, चाहे प्रदेश में रही

हों, अगर उन्होंने इस बात के ऊपर विचार किया होता, चाहे वे गांधी जी रहे हों, सरदार पटेल रहे हों, चौधरी चरण जी रहे हों, जो आज किसानों के मसीहा कहे जाते हैं। हरेक ने कहा कि जमीन से बोझ कम कीजिए। अगर आज चार आदमियों का परिवार है तो कल दस आदमियों का हो जाएगा, तो दस आदमियों का गुजारा उस खेती से नहीं हो पाएगा। सारे के सारे लोग खेती में लगाएंगे तो वहां से पैदावार हो जाएगी, इसलिए जमीन का बोझ कम कीजिए। छोटे उद्योग लगाइए, इन बच्चों को, जो परिवार बढ़ता जा रहा है, जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उसको लघु उद्योग की तरफ ले जाइए। तब जा कर किसान स्वावलंबी हो पाएगा। उस तरफ तो ध्यान दिया नहीं गया।

हमारे पूर्व वक्ता यादव जी बोल रहे थे, बड़ा भावुक उनका भाषण था। वे कह रहे थे कि जमीन के ऊपर, पेड़ के नीचे और पेड़ के ऊपर किसान रहता है। सोचना तो इस बात को चाहिए कि यह स्थिति आई क्यों? वे ऐसे ही रहेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। सरकारों को कोशिश यह करनी चाहिए थी कि छोटे उद्योगों के माध्यम से रोज़गार के अफसर अवसर बढ़ाते, ताकि किसानों के बच्चों को केवल उस दो एकड़ जमीन के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता। बाकी लोगों को छोटे उद्योगों में जाना चाहिए था, उत्पादन करना चाहिए था और जमीन का बोझ कम करना चाहिए था। सोचने की बात तो वह थी। उधर सोचा नहीं गया। स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है, सारी बातों का विस्तार से उसमें विशलेषण किया गया है। उसको मान कर कार्यरूप देना चाहिए और उसको आगे ले कर चलना चाहिए। आज आवश्यकता किस बात की है? यह तो कहना बहुत आसान है कि बाहर से ज़हर आ गया, खाद आ गया। खाद अगर न आता, अगर रासायनिक खाद इस्तेमाल न करते तो क्या पैदावार बढ़ जाती? गलती तो अपने आप की कि हमने किसान को आगाह नहीं किया कि उसका सन्तुलित उपयोग कैसे किया जाए, बैलेंस - वे में उसे कैसे इस्तेमाल किया जाए? पंजाब की क्या हालत हुई? पंजाब ने इतनी ज्यादा उपज पैदा की और बिना भेदभाव के इतना ज्यादा खाद उसमें इस्तेमाल किया कि जमीन को तो खराब होना ही था। निराशा की बात इसलिए नहीं है, क्योंकि, कभी पंजाब और हरियाणा इस देश के सबसे बड़े उत्पादक थे, लेकिन आज राजस्थान आगे बढ़ रहा है, आज मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। गेहूं के उत्पादन में आज मध्य प्रदेश ने कीर्तिमान स्थापित किया है। अच्छी तरह के गेहूं की क्वालिटी में भी और उपज में भी।

उन्होंने शुरूआत इस बात से की कि उन्होंने सिंचाई के साधन दिए, राजस्थान ने सिंचाई के साधन दिए, जहाँ कभी बिल्कुल रेत पड़ा रहता था, आज वह हरा-भरा हो गया, उन्होंने इजरायल की टेक्नोलॉजी को अपनाया। आवश्यकता तो इस बात की थी कि जो नयी-नयी तकनीकें खेती की आ रही हैं, सिंचाई की आ रही हैं, किसान को हम पूर्णतया अनुदान देकर उन तकनीकों पर ले जाएँ।

हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं और हमारा मुकाबला पंजाब और हरियाणा से ही खेती के मामले में होता है। हम भी पिछड़ जाएंगे, अगर हम नयी टेक्निक पर नहीं आएंगे, क्योंकि, पानी की कमी तो होती ही जा रही है। आज ड्रिप इरीगेशन आ जानी चाहिए थी, एक-एक बूंद पानी की कीमत होनी चाहिए, फसल को उतना पानी मिलेगा, जितनी उसे आवश्यकता है। कंप्यूटराइज्ड सिंचाई का साधन होगा। ओपन कैनाल सिस्टम से सिंचाई जो आज भी भारतवर्ष में हो रही है, दुनिया इसके ऊपर हँसती है कि भारत आज भी वहीं का वहीं है। नहरें चल रही हैं, पानी भाप बनकर उड़ रहा है, जमीन के नीचे जा रहा है, आगे बढ़ नहीं पा रहा है। कोशिश यह होनी चाहिए कि नये आधुनिक विचारों के साथ, नई वैज्ञानिक विधि से और जो हमारे सम्मानित नेताओं ने, चाहे बापू महात्मा गाँधी हों, चाहे सरदार पटेल हों या चौधरी चरण सिंह हों, जो विधि उन्होंने बतायी थी कि जमीन के ऊपर से बोझ कम करके छोटे-छोटे उद्योग लगाइए, ताकि खेती के ऊपर, जमीन के ऊपर बोझ कम हो। आज मैं भारतवर्ष के किसानों को मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने उपज में नया कीर्तिमान बनाकर सारी दुनिया को दिखा दिया है कि भारत का किसान वैज्ञानिक सोच का भी है, मेहनती भी है और ईमानदारी के साथ फसल पैदा कर सकता है।

इन्हीं शब्दों के साथ जो हमारे माननीय सदस्य महताब साहब बोल रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया, बड़े विश्लेषण से उन्होंने कहा, मैं उनकी सब बातों का समर्थन करता हूँ।

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : महोदय, मैं राजू शेट्टी जी द्वारा लाये हुए रेजोल्यूशन का समर्थन करते हुए बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

मेरे पहले के जितने वक्ता थे, भर्तृहरि महताब साहब, प्रहलाद सिंह पटेल साहब, हुक्मदेव बाबू, हुकुम सिंह जी, सत्यपाल जी और कटारिया जी, उन्होंने अपनी-अपनी बातें कहीं। इस देश के हालात ये हैं कि हम बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, खासकर इस पार्लियामेंट में मैं हमेशा देखता हूँ। मेरा पार्लियामेंट का यह छठा साल है, शिक्षा की बात आएगी तो सबको शिक्षा एकदम से दे देनी चाहिए, पैसा है या नहीं है, इसके लिए चर्चा शुरू हो जाती है। स्वास्थ्य सेवा सबको दे देनी चाहिए, कैसे स्वास्थ्य सेवा देनी चाहिए, इसकी कोई बात नहीं होती है। गाँव के लोग बात करते हैं, गरीब की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं और जब गाँव, गरीब और किसान की बात आती है तो सारी पार्लियामेंट एक साथ एकत्रित हो जाती है कि गाँव, गरीब और किसान की बात करनी है। जो इस देश की बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में लोग, अभी जैसे स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है, उत्पादन लागत जितनी है, उसका 50 परसेन्ट से ज्यादा दे देना चाहिए। सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि दे देना चाहिए, लेकिन उसी स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है, जिसे हुकुम सिंह साहब कह रहे थे। एक-दो रिपोर्टर्स नहीं हैं, पाँच रिपोर्ट्स हैं और पाँच रिपोर्ट्स में वे जिक्र करते हैं कि जो लैंडलेस लोग हैं, जिनके पास कोई जमीन नहीं है, वे 11.5 परसेन्ट हैं। जो सब-मार्जिनल होल्डिंग्स है, जिनके पास मैक्सिमम एक एकड़ जमीन है, ज्यादा से ज्यादा एक एकड़ जमीन है, उस तरह के 40 परसेन्ट लोग हैं। जो मार्जिनल होल्डिंग्स है, मतलब जिनके पास दो एकड़, ढ़ाई एकड़ जमीन है, उस तरह के 20 परसेन्ट लोग हैं। 40 परसेन्ट लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं।

[अनुवाद]

<u>अपराह्न 4.59 बजे</u> (श्री हुकुम सिंह *पीठासीन हुए)*

अभी मैडम सीतारमण जी यहाँ बैठी हुई हैं, लड़-झगड़कर आई हैं, फूड सिक्योरिटी के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी। माननीय प्रधानमंत्री जी और मैडम सीतारमण जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने गरीबों

की लड़ाई लड़ी। उस देश में आपको कैसा लगता है, जब सीमान्त किसान 85 परसेन्ट हैं, गरीब आदमी 85 परसेन्ट हैं। वह जो पैदा करता है, साल भर तक उसको खा पाने की स्थिति नहीं होती है। यदि आप चाहते हैं कि इतना दाम बढ़ा दें, किसी फूड का दाम बढ़ा दें, पैडी का दाम बढ़ा दें, राइस का दाम बढ़ा दें, सारी चीजों का दाम बढ़ा दें तो आप गरीबों को मार देना चाहते हैं।

यदि इस बारे में कोई बात करने आएगा तो कहते हैं कि यह कारपोरेट की बात करता है, यह किसान की बात नहीं करता है। मैं अपने बारे में बताना चाहता हूं कि मैं गांव का लड़का हूं और दो रुपए बचाने के लिए पैदल तीन किलोमीटर चलकर स्कूल जाया करता था। वहां से आज मैं संसद में पहुंचा हूं। मैं गांव, गरीब और किसान की बात समझता हूं। यदि किसान की स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे, तो इस देश में एग्रीकल्चर स्टेट का सब्जेक्ट है। संविधान बनाने वालों ने क्या सोचा कि एग्रीकल्चर को राज्य सब्जेक्ट बना दिया, लेकिन इससे संबंधित पालिसी सैंट्रल गवर्नमेंट बनाती है और खेती प्राइवेट लोगों के पास है। आप देखें कि कितना ज्यादा मिस मैच है। हम संसद में चर्चा भले ही कर लेते हैं क्योंकि पालिसी यहां से बनती है लेकिन यह विषय कनकरेंट लिस्ट में भी नहीं है। जब भी यहां प्रश्न किया जाता है तो कहा जाता है कि राज्य से बात कीजिए। एग्रीकल्चर विभाग और इंटर मिनिस्टीरियल विभाग में कोई कार्डिनेशन नहीं है। स्वामीनाथन जी कहते हैं कि देश में चार रेवोल्यूशंस की आवश्यकता है। पहला ग्रीन रेवोल्यूशन की आवश्यकता है, जिसकी बात हुकुम सिंह साहब कह रहे थे कि एक समय था वर्ष 1980-82 तक हम लोगों को खिलाने के लिए पैसा नहीं था। यहां कामर्स मिनिस्टर बैठी हुई हैं, जब भी भारत मार्केट में जाता है, उसे राइस लेना है, पैडी लेना है, अरहर लेना है या कोई अन्य सामान लेना होता है तो अपने आप इंटरनेशनल मार्केट में उसकी प्राइज़ बढ़ जाती है क्योंकि लोगों को लगता है कि अब उस चीज के दाम बढ़ने वाले हैं। उस स्थिति में जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने " जय जवान, जय किसान " का नारा दिया और जिसकी बात आपने कही कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने " जय किसान, जय जवान और जय विज्ञान " की बात कही, तो आज हमारा देश इतना आत्मनिर्भर हो गया है कि उसे आज मार्केट में केवल पल्स के अलावा या आयल सीड के अलावा बहुत ज्यादा चीजों को लेने की

आवश्यकता नहीं होती है। ये उसी सीमांत किसान के कारण हुआ है और इसीलिए किसान बधाई के पात्र हैं। आज किसान के लिए हम क्या कर सकते हैं, यह सोचने की बात है।

ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हमें वाइट रेवोल्यूशन चाहिए, जिसके बारे में बात हो रही थी कि मवेशी कम हो रहे हैं। इसके साथ हमें ब्लू रेवोल्यूशन की आवश्यकता है कि मछली देश में कैसे पैदा की जाए। चौथा येलो रेवोल्यूशन है जिसमें पाल्ट्री प्रोडक्ट्स हैं जैसे मुर्गी या मटन आदि आते हैं। इसके अलावा पिंक रेवोल्यूशन जैसे हमारे यहां सेब बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है। इन सभी रेवोल्यूशंस की आज हमारे देश में आवश्यकता है। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं कि देश में बहुत कमीशन बनते हैं। 19वीं शताब्दी के पहले एग्रीकल्चर देश का विषय है, इसके बारे में कोई नहीं सोचता था। 1880 ईसवीं में अकाल कमीशन बना, फेमिन कमीशन बना। उस कमीशन को श्री आर. स्ट्रेच ने लीड किया। चूंकि भारत मानसून के ऊपर निर्भर देश है, उन्होंने बताया कि अगर दो साल यहां वर्षा होगी तो एक साल अकाल पड़ेगा। यहां मानसून कभी कंसिस्टेंट नहीं हुआ। यह संयोग है कि पिछले 15-20 साल से लगातार मानसून लगभग आ ही रहा है। इस बार भी लग रहा था कि मानसून नहीं आएगा। वर्ष 1880 में पहली बार इस देश में लोगों ने सोचा कि इस देश में अकाल को खत्म करने के लिए क्या चीजें होनी चाहिए। उसी रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए 1879 में बोरालकर कमेटी बनी। इस कमेटी के आधार पर वर्ष 1893 से लेकर 1903 तक इर्रीगेशन कमेटी बनी कि देश भर के इर्रीगेशन के बारे में देखेगी। अब इसे भी स्टेट सब्जेक्ट बना दिया है क्योंकि कोई भी नदी या नाला एक राज्य से हो कर नहीं बहता है। यदि आप यहां वाटर रिसोर्सिस की बात करेंगे, इर्रीगेशन की बात करेंगे, तो आपको वही रटारटाया जवाब यहां मिलता है। फेमिन कमीशन की अनुशंसा और इर्रीगेशन कमीशन वी अनुशंसा थी।

सभापति महोदय, फेमीन कमीशन और इर्रीगेशन कमीशन के जो रिकमेंडेशंस थे, उसने एक सिचुएशन पैदा किया। फिर वर्ष 1937 में जॉन रसेल की एक कॉम्प्रिहेन्सिव रिपोर्ट आयी। कृषि के लिए इंस्टीच्यूट कैसे बनेंगे, विश्वविद्यालय कैसे बनेंगे, और कृषि के स्ट्राँग और वीक एरियाज क्या हैं, वह जॉन रसेल ने इस देश को बताया। फिर पंचवर्षीय योजना लागू हो गयी। उसके बाद वर्ष 1970 से वर्ष 1976 एक नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स भी आ गया और उसके बाद यह स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आयी।

सभापति महोदय, वर्ष 1926 में एक और कमेटी रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर बनी थी। आज से एक सौ साल पहले की वर्ष 1926 की रिपोर्ट और एम. एस. स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को यदि आप देख लीजिए तो इन एक सौ सालों में इस देश के हालात नहीं बदले। इस देश के नहीं बदले तो सीमांत किसानों के भी हालात नहीं बदले। मैंने दोनों आयोगों की रिपोर्ट्स को टैली किया। दोनों कमीशंस कह रहे हैं, जैसा प्रह्लाद सिंह पटेल जी ने कहा, कि गोचर की जमीन खत्म हो रही है, चारागाह ही नहीं हैं। उसके बारे में इस देश में कोई चर्चा नहीं है।

वर्ष 1926 की जो रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की रिपोर्ट है, वह यह कह रही है कि उस वक्त ट्यूबवेल शुरू-शुरू आया था। यह कहा कि अब इस देश में ट्यूबवेल की संस्कृति विकसित हो रही है, लोग कुएं के बदले ट्यूबवेल्स की तरफ जा रहे हैं। अगर यही सिचुएशन रहा तो एक समय ऐसा आएगा कि पानी का जो लेवल है, वह इतना नीचे चला जाएगा कि लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिलेगा। आप यह समझिए कि इन एक सौ सालों में किसी कमीशन ने, किसी रिपोर्ट ने, किसी सरकार ने उस पानी के स्तर को रोकने का प्रयास नहीं किया और आज पानी की समस्या सबसे ज्यादा है। राजू शेट्टी साहब के महाराष्ट्र में आज पीने के पानी की समस्या है। फिर आप खेती को कैसे पानी देंगे? उस कमीशन ने कहा कि आप एग्रीकल्चर के जितने इंस्टीच्यूट्स खोल सकते हैं, उतने खोलिए। क्या आज़ादी के 67 सालों के बाद भी कोई एग्रीकल्चर इंस्टीच्यूट खुला? क्या उसके लिए कोई कमीशन बना? चौथी बात उसने कही कि मार्केट नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी ने इस्ट-वेस्ट कॉरिडोर की बात की, नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर की बात की, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की बात की। इससे पहले क्या किसी ने सोचा?

महोदय, आज मैं जिस गांव में रहता हूं, उस गांव में सबसे ज्यादा सब्जी पैदा होती है। वहां लोग पैदल तो मार्केट चले जाएंगे, लेकिन उस सब्जी को तीन-चार किलो मीटर दूर मार्केट ले जाने की व्यवस्था नहीं है।

महोदय, इसके बाद फाइनैंसर की स्थिति आती है। मध्य प्रदेश सरकार ने अच्छा काम किया है कि वह लोगों को एक प्रतिशत, दो प्रतिशत इंटेरेस्ट पर पैसे दे रही है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि चार प्रतिशत पर दीजिए। इस पर लगातार चर्चा होती है, लेकिन हम लोग सरकार के ऊपर यह दबाव नहीं बना पाते

हैं कि वहां का जो बिचौलिया है, वहां के जो महाजन हैं, उस महाजन प्रथा को हम खत्म करें। यह वर्ष 1926 की रिपोर्ट है। मैं देख रहा था कि स्वामीनाथन आयोग और रॉयल कमीशन की वर्ष 1926 की रिपोर्ट में क्या-क्या समानताएं हैं। वर्ष 1926 की रिपोर्ट ने कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड प्रॉपर नहीं है। यह तो फैक्ट है। अगर आप स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को देखेंगे तो मात्र 10% लोगों के पास मैक्सिमम लैंड होल्डिंग है और उसी के आधार पर हम एम.एस.पी. की बात करते हैं। यदि हम उन्हें प्रॉफिट दिलाने की बात करेंगे तो उसी किसान की बात करेंगे क्योंकि सीमांत किसान तो कमाता है और साल भर तक अपने बच्चों और अपने परिवार को खिलाता है।

इसके अलावा स्वॉयल है, जिसके बारे में माननीय प्रधान मंत्री जी का भी आग्रह है। पहली बार किसी सरकार ने मिट्टी की जांच के लिए प्रयोगशालाओं की बात की है। गांव-गांव में मिट्टी के अलग-अलग प्रकार हैं, इस तरफ पहली बार किसी सरकार ने सोचा। उसी तरह से उन्होंने कहा कि जो क्रॉप है, उसमें सीड कौन-सा लगेगा और उन्होंने ऑयल सीड की बात की। आपको पता है कि हम सबसे ज्यादा तेल ला रहे हैं और पल्स के बारे में हमारा आग्रह है। यह बात उस कमीशन ने उस वक्त वर्ष 1926 में ही प्रेडिक्ट कर दिया था।

सभापति महोदय, उसी तरह से फर्टिलाइजर की बात है। जिस वक्त यह रिपोर्ट बनी, उस वक्त हम एक किलोग्राम प्रति हेक्टेयर फर्टिलाइजर लगाते थे। वर्ष 1980-81 में 100 किलो ग्राम प्रति हेक्टेयर फर्टिलाइजर लगता था और आज 252 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर फर्टिलाइजर लग रहा है। इस फर्टिलाइजर के कारण पंजाब में क्या हो रहा है, यह आपने भगवंत मान साहब से सुना।

महोदय, एग्रीकल्चर के बारे में एजुकेशन नहीं है। अभी भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर में लोगों में स्किल की आवश्यकता को नहीं समझता है। जो ग्रामीण रोजगार होने चाहिए, उसमें लेबर का किस तरह विकास होना चाहिए, उसकी इंडस्ट्री कैसी होनी चाहिए, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कैसी होनी चाहिए, आज इस तरह का कोई सवाल नहीं है।

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से कहना है कि जब हम इस तरह की कोई चर्चा करते हैं, जब हम गांव, गरीब, किसान की बात करते हैं तो हमें इस पर भी चर्चा करनी चाहिए कि सरकार के पास क्या

संसाधन हैं, गरीबी रेखा से नीचे कितने लोग हैं, सीमांत किसान कितने हैं, अमीर किसान कितने हैं? इस देश में यदि हमें फूड सिक्यूरिटी लागू करना है, यदि हमें सबको भोजन कराना है तो उसकी क्या व्यवस्था होगी, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। बार-बार जो कमीशन बने हैं, उन कमीशन ने क्या कहा है और इस कमीशन ने क्या कहा है? इसका कांप्रिहैंसिव विश्लेषण होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी एक अच्छी दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने गांव-गरीब की बात की है। जो स्वच्छता भारत आभियान है, जो झाड़ू लगाना लोगों को बुरा लगता था, आज अंबानी से लेकर टाटा तक सोचते हैं कि यदि झाड़ू लगायेंगे तो इस देश के लिए कुछ कल्याण का काम करेंगे। उसी तरह से किसान के कल्याण के लिए काम करें।

मेरा सरकार से यही आग्रह है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिन्द, जय भारत।

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते (मंडला) : सभापति महोदय, श्री राजू शेट्टी द्वारा पेश किए गए संकल्प के संदर्भ में कहना चाहूंगा कि यह विशेषकर स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें हैं, उन्हें लागू करने के विषय में है। बहुत सारे विद्वानों ने अपने विचार यहां व्यक्त किए। खासतौर से इस समय देश में जल, जंगल और जमीन के बारे में बहुत चर्चा हो रही है। यह इससे जुड़ा हुआ सवाल है। जब हम किसान के बारे में बात करते हैं, किसान को सक्षम बनाने की बात करते हैं, खेती को उद्योग या धंधा बनाने की बात करते हैं तो हमारे लिए यही जल, जंगल और जमीन है। यह बहुत आवश्यक है।

इस देश के अन्दर जब भूमि सुधार आन्दोलन शुरू हुआ, सारे देश भर से विभिन्न संस्थाओं ने, खासतौर से जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जनजातीय क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों से और पूरे देश से लोग एकत्रित हुए। पूरे देश में कई तरह के एजिटेशंस हुए। इतनी बड़ी संख्या में इस प्रकार के आंदोलन हुए, उन आंदोलनों को लेकर कुछ संस्थायें आगे बढ़ीं, तो सरकारों के रोंगटे खड़े हो गए। हम इस बारे में विचार क्यों नहीं करते हैं कि इसका समाधान क्या होना चाहिए? भूमि सुधार आंदोलन में मैंने कुछ क्षेत्रों को देखा है। हमारे कुछ साथियों ने कहा है कि जो पड़त भूमि है, कभी उसके बारे में हमने चिन्ता नहीं की है। कई बार राज्य सरकारों ने कहा कि इसे गरीबों को दे दिया जाए, इन वर्गों को दे दिया जाए, दलितों को दे दिया जाए या भूमिहीन परिवारों को दे दिया जाए। केवल यह कहने से इसका रास्ता नहीं निकलेगा। किसान को अगर हमें सक्षम बनाना है तो वास्तव में कानून में बदलाव करना पड़ेगा और इसके बारे में बेसिक तौर से सोचना पड़ेगा। यह बहुत आवश्यक है। वास्तव में ये जो आंदोलन होते हैं, ये इन्हीं क्षेत्रों में होते हैं और इसलिए मैं चाहता हूं कि जो यह परिस्थिति हमारे देश में पैदा हो रही है, इसको कहीं न कहीं आज रोकने की आवश्यकता है। आज इसकी जरूरत है। अगर हम इसके बारे में विचार नहीं करेंगे, तो देश में अशान्ति फैलेगी। जब अशान्ति फैलेगी तो अपने आप देश का वातावरण और माहौल खराब होगा। लोग देश को तब सही दृष्टि से नहीं देखेंगे। हम चाहते हैं कि एक ऐसी व्यवस्था किसानों के हित में बने कि कोई असंतुलन न हो। चाहे महाराष्ट्र के लोग हों, आन्ध्र प्रदेश के लोग हों, तेलंगाना के लोग हों या छत्तीसगढ़ के लोग हों, मैं इन क्षेत्रों में देखता हूं, ये ऐसे ही क्षेत्र हैं। आज बहुत सुसाइड हो रही हैं। किसान परेशान है, कितने ही लोग

इस विषय को लेकर आत्महत्या कर रहे हैं। हम किसानों के हित में केवल चर्चा करें और कोई रास्ता न निकालें तो ऐसी चर्चा करने से कोई समाधान नहीं निकलेगा। हमें वास्तव में इस विषय को लेकर सोचना पड़ेगा कि आखिर इस प्रकार की स्थिति क्यों बन रही है? उसके बारे में हमें सोचने की आवश्यकता है। भूमि सुधार के जो आंकड़े हमारे पास आते हैं, आप उन्हें दिखवाइए। इन्हें विभाग देखे, सरकार देखे कि खेती के लिए क्या रास्ता निकल सकता है। आप सामूहिक खेती करा सकते हैं, सहकारिता के क्षेत्र में कोऑपरेटिव सैक्टर को बढ़ावा दे सकते हैं। समूह में सरकार और उन गरीबों का हिस्सा रहे, लेकिन प्रापर्टी सरकार की रहे, परन्तु हम सामूहिक रूप से इस क्षेत्र में खेती करने के बारे में विचार करें। फॉरेस्ट के अन्दर भी इस प्रकार की स्थिति बनती है। कुछ लोगों ने देश के उद्वहन सिंचाई परियोजना के बारे में कहा है। यह उद्वहन सिंचाई परियोजना भी पहाड़ी श्रेत्रों के अंदर है। सरकारों ने उसे बंद करके रखा है। हम एक तरफ कृषि के श्रेत्र में सिचाईं का रकबा बढ़ाने के लिए किसानों को सक्षम बनाने की बात करते हैं। हमारे पास बहुत सारे प्रावधान हैं, हमें उनके बारे में सोचना चाहिए, ताकि किसान सक्षम हो सकें। मैंने वैद्यनाथन कमेटी की रिपोर्ट में देखा है। ...(व्यवधान) यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमें इस प्रकार के प्रश्नों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि, यह किसानों से संबंधित मामले हैं। किसानों से संबंधित ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं, जिनके बारे में विचार किया जाना चाहिए। हम किसानों को 13.5 प्रतिशत की दर से, विद्यार्थियों को 14 प्रतिशत की दर से, मकान बनाने के लिए 10 प्रतिशत की दर से और कार खरीदने के लिए लगभग 10 प्रतिशत की दर से कर्ज देते हैं। इस पर भी हमें विचार करना चाहिए कि आखिर इस प्रकार की स्थिति क्यों है

जबलपुर में कृषि विश्वविद्यालय है, वह ट्राइबल क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। हमारे यहां तेलहन और दलहन वी खेती विशेष मात्रा में होती है, परन्तु कुछ वैज्ञानिकों ने इसे अलग स्थानांतरित करने की बात की है। मैंने मंत्री जी से कहा है कि हम जिस बंजर भूमि की बात करते हैं, जहां पर ये पैदा होते हैं, अगर उनके बारे में लोग सोचेंगे तो हम किसानों की मदद कर पाएंगे? इस पर राजनीतिक दृष्टि से विचार नहीं होना चाहिए। वास्तव में, यह किसानों के बारे में चिन्ता का विषय है। मैं यह चाहता हूं कि इन स्थितियों में जो आयोग बनते हैं, इन सिफारिशों के बारे में भी उनको भी बताया जाये और सरकार इस पर पहल करे, मेरी इतनी प्रार्थना है। धन्यवाद।

श्री पी.पी.चौधरी (पाली) : सभापति महोदय, श्री राजू शेट्टी द्वारा यह संकल्प कि राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन करने के लिए सरकार से आग्रह किया जाना चाहिए, यह अपने-आप में एक महत्वपूर्ण विषय है। कृषि और किसानों के बारे में लम्बे समय से संसद में और संसद के बाहर चर्चा होती रही है। आज देश की 70 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है जिनमें लगभग 70 करोड़ लोग कृषि पर निर्भर हैं। यह देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि, उससे हमारे देश की आर्थिक स्थिति और रोजगार जुड़े हुए हैं, उससे सरकार की कई नीतियां जुड़ी हुई हैं। इस विषय को संसद ने गंभीरता से लिया है। [अनुवाद] सभी सदस्यों ने इस विषय पर अपने-अपने मत व्यक्त किए हैं, उसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूं।

अगर हम कृषि को 1961 से देखें तो इसकी क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। वर्ष 1961 में कृषि से 75 प्रतिशत रोजगार होता था जो वर्ष 2014 में घटकर 60 प्रतिशत रह गया है। यही नहीं, पिछले 60 सालों में देश की जो आर्थिक नीति रही है, 1961 में जीडीपी का हिस्सा 60 प्रतिशत था जो आज घटकर 13 प्रतिशत रह गया है। आज देश में 31 घराने ऐसे हैं जिनका 55 प्रतिशत के करीब हिस्सा जीडीपी में है। आज देश की कृषि 60 प्रतिशत मानसून पर निर्भर करती है और 40 प्रतिशत ट्याूबवैल, अंडरग्राउंड वाटर पर निर्भर करती है। हम सब जानते हैं कि जो किसान मानसून पर निर्भर करते हैं, वे सूखे से ग्रसित होते हैं और कई बार बाढ़ की वजह से भी परेशान होते हैं। आज किसानों की लागत मूल्यों की बात करना बहुत आवश्यव है। ऐसी स्थिति क्यों आई? खाद के मूल्यों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आज किसान जिस समय बुवाई करता है, उस समय खाद की कालाबाजारी होती है, खाद समय पर नहीं मिलती, बीज नकली मिलते हैं और बिजली पूरी नहीं मिलती। मैं प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि आज की तारीख में डीजल के दाम काफी नीचे आए हुए हैं। इससे किसानों को बहुत राहत मिलेगी। जहां तक एग्रीकल्चरल इनपुट्स, इम्प्लीमेंट्स की बात है, इसके दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आउटपुट, किसानों को कृषि का मूल्य बहुत कम मिलता है। आज कृषि फायदे का सौदा नहीं रहा। दिनों - दिन मजबूरी की शरणस्थली बनते जा रहे हैं। जहां तक ऋण की बात है, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि अगर आप चाहते हैं कि गांव विकसित हों,

किसान विकसित हों,गांव के गरीब विकसित हों तो अगर किसानों का ऋण चार प्रतिशत से ज्यादा होगा तो उन्हें खेती करने में कोई फायदा नहीं होगा। आखिर में उसे खेती छोड़कर जाना पड़ेगा। जहां तक फसल बीमा का सवाल है, सिर्फ 14 प्रतिशत किसान ही इसका फायदा उठा पा रहे हैं। इसका कारण है कि पिछले 17 सालों में लगभग तीन लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं।

मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे पूर्व प्रधान मंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के समय में नदियों से नदियां जोड़ने की एक योजना बनी थी जिसमें माननीय सुरेश प्रभु जी को इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर के टास्क फोर्स का अध्यक्ष बनाया गया था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 5 लाख 60 हजार करोड़ रुपये से नदियों का इंटरलिंकिंग किया जा सकता है जिससे बाढ़ और सूखे से बचा जा सकता है। यही नहीं, अगर यह काम हो जाता है तो इससे 24 हजार मेगावाट बिजली बनेगी, 25 मिलियन हेक्टेयर लैंड में इरिगेशन होगी, 10 मिलियन हेक्टेयर लैंड में ग्राउंड वाटर होगा।...(व्यवधान) मैं पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा।...(व्यवधान) बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। इन्हें पूरा देश सुनना चाहता है। आप मुझे थोड़ा और बोलने की अनुमति दीजिए।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आपका एक-एक शब्द महत्वपूर्ण था। अब आप समाप्त कीजिए।

... (व्यवधान)

श्री पी.पी.चौधरी : मैं पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।...(व्यवधान) यही नहीं, मैं पिछली सरकार की नीति के बारे में बताऊंगा। 2 लाख 50 हजार करोड़ रुपये उद्योगों को प्रोत्साहन राशि दी गई, 2 लाख 50 हजार करोड़ रुपये इनकम में छूट दी गई, 5 लाख करोड़ रुपये से उद्योग की तरफ देखा गया, कृषि की तरफ नहीं देखा गया। अगर कृषि की तरफ देखा गया होता तो आज कम से कम 55-60 हजार किसानों को रोजगार मिल जाता और रोजगार की तकलीफ नहीं होती। उन्हें रोजगार की तकलीफ नहीं होती। एक मोटे सर्वे के अंतर्गत हम ये तकलीफें फेस करेंगे कि प्रतिदिन 50 हजार लोग गांवों से शहर की तरफ पलायन करेंगे। आज दिल्ली में ट्रांसपोटेशन, ट्रैफिक, बिजली, पानी की हालत बहुत खराब है। अगर इस हिसाब से लोग गांव से पलायन करेंगे

तो गांव उजाड़ होते जायेंगे, किसान खेती छोड़ने के लिए तैयार हो जायेंगे। एक मोटे सर्वे के अनुसार 42 परसेंट किसान ऐसे हैं, जिन्हें ऑल्टरनेटिव रोजगार मिल जाये तो वे खेती छोड़ने के लिए तैयार हैं। वर्ष 2007 और 2012 के दौरान 3 करोड़ 20 लाख किसान खेती छोड़ चुके हैं और शहरों में छोटे-छोटे काम करने के लिए मजबूर हैं। शहरों में झुग्गी-झोंपड़ी कल्चर आया है, यह इसी कारण आया है। यही नहीं, अगर हम सोचते हैं कि सिपर् मैनुफैक्चरिंग में ही सब कुछ हो जायेगा, पूरे गांव पलायन करके शहर की तरफ आ जायेंगे तो पिछले दो साल में 57 लाख लोगों की मैनुफैक्चरिंग सैक्टर से नौकरी छूटी है। हमारे प्रधान मंत्री जी ने अभी सांसद आदर्श ग्राम की योजना बनायी है। मुझे लगता है कि इससे इस समस्या का निराकरण होगा। गांवों से शहरों की ओर जो पलायन हो रहा है, वह वापस शहरों से गांवों की ओर होगा। अगर गांव में कृषि के अलावा छोटे-छोटे उद्योग पनपेंगे और हर व्यक्ति को रोजगार मिलेगा, तो यह पलायन रुकेगा, क्योंकि एक सर्वे के अनुसार यह भी बताया गया है कि वर्ष 2015 तक 40 करोड़ लोग पलायन कर चुके होंगे। अगर हम गांव की टोटल जनसंख्या देखें, तो वह 75 हजार के करीब है। अब आप सोच सकते हैं कि हम शहरों को कैसे संभालेंगे और उन्हें कैसे हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकेंगे? वर्ष 2030 तक यह बताया गया है कि देश की 50 परसेंट जनसंख्या शहरों में रहने लगेगी। हमें यह भी बैलेंस करना पड़ेगा कि गांवों से माइग्रेशन न हो। अगर गांवों से माइग्रेशन न हो तो हमें कृषि को प्रोत्साहन देना होगा।

डॉ. स्वामीनाथन कमिशन ने अपनी रिपोर्ट में जो रिकमेंडेशन्स दी हैं, उन्हें लागू किया जाये, ताकि किसानों को राहत और रोजगार मिल सके और वे गांवों में ही बसे रह सकें। गांवों का विकास हो बहुत-बहुत धन्यवाद

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। जैसा सभी सम्मानित्त सदस्यों ने कहा कि देश की लगभग 70 प्रतिशत जनता आज भी कृषि पर आधारित है। हमारा नैशनल कमिशन ऑन फार्मर्स, जो वर्ष 2004 में प्रो. स्वामीनाथन जी की अध्यक्षता में गठित हुआ, उसने 4 अक्तूबर, 2006 को अपनी रिपोर्ट दी। उन्होंने समय-समय पर पांच रिपोर्ट्स दीं। उस रिपोर्ट में किसानों के समक्ष जो चुनौतियों हैं, उनका जिक्र किया है। मैं अपनी भावनाओं को सम्बद्ध करते हुए कहना चाहूंगा कि नैशनल कमिशन ऑन फार्मर्स पर उन्हें टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिया गया था। [अनुवाद] विचारार्थ विषयों में शामिल हैं - खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए मध्यम अवधि की कार्यनीति, प्रमुख कृषि प्रणालियों की उत्पादकता, लाभप्रदता, स्थिरता और स्थिरता को बढ़ाना, सभी किसानों को दिए जाने वाले ग्रामीण ऋण के प्रवाह में सतत वृद्धि के लिए नीतिगत सुधार, बलुआई और अर्ध- बलुआई क्षेत्रों में किसानों के साथ-साथ पहाड़ी और तटीय क्षेत्रों में किसानों हेतु विशेष शुष्क भूमि कार्यक्रम, कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता और लागत प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना ताकि उन्हें वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके, जब अंतर्राष्ट्रीय कीमतें तेजी से गिरती हैं, तब किसानों को आयात से बचाया जा सके, और सतत कृषि के लिए पारिस्थितिक नींव के संरक्षण और सुधार में अपनी भूमिका का निर्वहन प्रभावी ढंग से करने के लिए निर्वाचित स्थानीय निकायों के सदस्यों को सशक्त बनाने के तरीकों का सुझाव देना। [हिन्दी] आज स्थिति यह है कि जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिया गया, आज भी हम दुनिया के सबसे बड़े दूसरे देश हैं, जिसके पास खेती योग्य जमीन है। आज भी 179.9 मिलियन हैक्टेयर जमीन भारत में है, जो दुनिया की सैकिंड लार्जेस्ट है। हमारा एक कम्पाउंड एनुअल ग्रोथ रेट भी बढ़ रहा है, वह भी 3.3 पर्सेंट बढ़ रहा है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना ने भी जो कृषि विकास दर रखा है, वह भी चार प्रतिशत रखी है। जैसा कि आज हमारे साथियों ने कहा कि डा. स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है और आज उसके बावजूद एग्रीकल्चर का देश की जी.डी.पी. में एक बड़ी हिस्सेदारी थी, आज वह घटकर 14 से 18 प्रतिशत तक आ गयी है। [हिन्दी] इसमें कुछ भिन्नता हो सकती है। लेकिन लगभग बात इसी पर आ गयी है कि आज कृषि का योगदान जी.डी.पी. में कम है। आज भी कंट्री का जो वर्क फोर्स है, उसमें

50 प्रतिशत से थोड़ा ही कम रोजगार पैदा कर रहे हैं। भारत पल्सेज में सबसे बड़ा उत्पादक देश है, आज हम पल्सेज में पहले नम्बर पर हैं। राइस, व्हिट में हम दुनिआ में दूसरे स्थान पर हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरीके से, आज आप देख रहे हैं कि हमारे यहां खेती की जो पैदावार है, जो हमसे पीछे थे, आज स्थिति यह है कि पैडी के मामले में देखें तो प्रति हेक्टेयर 2929 किलो ग्राम हम पैदा करते हैं, चाईना 6321 किलो ग्राम पैदा करता है, जापान 6414 किलो ग्राम पैदा करता है, यू.एस.ए. 6622 किलो ग्राम पैदा करता है, इंडोनेशिया भी 4261 किलो ग्राम पैदा करता है, वियतनाम 3845 किलो ग्राम प्रति हेक्टेयर पैदा करता है। इसी तरह से व्हिट में देखें तो हम जहाँ 2583 किलो ग्राम पैदा कर रहे हैं, वहीं चाईना तथा यू.एस.ए. प्रति हेक्टेयर हमसे ज्यादा पैदा कर रहा है। इसी प्रकार से ग्राउंड नट हो या सुगर केन हो, सुगर केन के मामले में हम दुनिया में सबसे बड़े उत्पादक देश हैं। आज जहाँ भारत प्रति हेक्टेयर 68012 किलो ग्राम प्रति हेक्टेयर पैदा करता है, वहीं चाईना 85294 किलो ग्राम और यू.एस.ए. प्रति हेक्टेयर 80787 किलो ग्राम और वियतनाम 65689 किलो ग्राम पैदा करता है। आज इस सरकार को यह चिन्ता करनी होगी कि डा. स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है, हम किस तरीके, एक तरफ जो कृषि योग्य भूमि है, वह किन्हीं योजनाओं के कारण निरंतर घट रही है, चाहे टाऊनशिप के कारण। आज गांव में देखते हैं कि जहां पहले एक-दो दुकानें थीं, वहाँ पर धीरे-धीरे वहां पर पूरे गांव बसते जा रहे हैं, बाजार बसते जा रहे हैं। गांव से जिस तरह से लोग बाहर निकल रहे हैं, उससे निरंतर यह सारा दबाव कृषि भूमि पर है। डा. स्वामीनाथन ने अपनी रिपोर्ट में जो रिक्मेंडेशन दिया था सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा था कि [अनुवाद] गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए प्रमुख कृषि और वन भूमि को कॉर्पोरेट क्षेत्र में स्थानांतरित होने से रोकना। [हिन्दी] सबसे पहले तो हमें इस बात की चिन्ता करनी होगी कि कृषि योग्य भूमि को गैर-कृषि भूमि न होने दें या गैर-कृषि कार्यों में उसका उपयोग न होने दें। यदि हम किसी टैक्नोलॉजी या कृषि को हम वैज्ञानिक ढंग से करेंगे, जैसा कि हमारे सभी सम्मानित साथियों ने सुझाव दिया है, लेकिन स्वाभाविक है कि हमारे लैंड के होल्डिंग्स दिन-ब-दिन कम होते जा रहे हैं। लोगों का लगातार इंट्रेस्ट कम होता जा रहा है। इन परिस्थितियों में हमें इस बात की चिन्ता करनी होगी कि कैसे इस खेती योग्य भूमि को हम बचा सकें। कृषि योग्य भूमि को हम बचा सकते है, जैसा कि सभी सदस्यों ने कहा, मैं उसे दुहराना नहीं चाहता हूँ, आज भी हमारी खेती नेचर पर ही डिपेन्ड है।

आज भी हम इरिगेशन के मामले में 30 पर्सेंट से ऊपर नहीं पहुंच पाये हैं। आज भी हम रेनफॉल के लिए प्रकृति पर ही निर्भर करते हैं। जहाँ प्रकृति पर हम निर्भर कर रहे हों, ऐसी परिस्थितियों में हम क्या-क्या कर सकते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण हैं, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन कम से कम हम इस ओर ध्यान दिलाना चाहेंगे। आज किसान को यह भी नही पता होता है कि उनकी जमीन के मिट्टी की हेल्थ क्या है, यदि मानव जाति को कोई समस्या होती है तो वह खुद अस्पताल चला जाता है, लेकिन जमीन के हेल्थ की जानकारी के लिए कोई कृषि विज्ञान केन्द्र हो, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ हों, वहाँ पर जो टैक्नोलॉजी लैब में है, यदि वह लैब टू लैंड में ट्रांसफर नहीं होती है तो उन्नतिशील प्रजातियों के बिना हम अपने उत्पादन को नहीं बढ़ा सकते हैं। स्वाभाविक है, आज यह चिन्ता करनी होगी कि जो राष्ट्रीय कृषि विकास नीति में फोकस किया गया है, हम उसमें पैसा भी दे रहे हैं और राष्ट्रीय विकास नीति में हम सभी राज्यों से आज कम से कम यह अपेक्षा करते थे कि एक स्टेट लेवल कमीशन बनाया जाए। वह अभी तक सेट-अप नहीं हो पाया है। राज्य लोगों के लिए कृषि से संबंधित आयोग नहीं गठित कर पा रहे हैं और हम फेडरल स्ट्रक्चर में पैसा देते चले जा रहे हैं। पिछली बार आपने देखा था कि बजट में राइस उत्पादन करने वाले राज्यों जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल और दक्षिण के राज्यों के लिए पैसा दिया गया, उसका उपयोग कैसे होगा। स्वामीनाथन की रिपोर्ट में बार-बार यह बात आई कि यह चार प्रतिशत से नीचे हो। चाहे नेशनल क्रॉप लोन की बात हो, आज किसान को कितनी परेशानी किसान क्रेडिट कार्ड में होती है। मैं प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद दूगा कि अभी तक बैंक में खाता खुल ही नहीं सकता था जब तक कोई आपको आइडेंटीफाई न करे। हमारे जैसे व्यक्ति को भी जब बैंक में खाता खोलना होता था तो किसी से आइडेंटीफाई कराना होता था। पहली बार दुनिया में क्रांति हुई है। ...(व्यवधान)

इसलिए मैं समझता हूं कि जहां मैंने स्वाइल हेल्थ की बात की, वैसे ही किसानों की हेल्थ के लिए भी इंश्योरेंस स्कीम हो, उनको अच्छे बीज मिलें, पेस्टीसाइड्स मिलें। फर्टिलाइजर के जो कारखाने बंद हैं, गोरखपुर का कारखाना बंद है, इफ्को के चार कारखाने बंद हैं। मुझे जानकारी मिली है कि 50 हजार करोड रुपये का इनवेस्टमेंट करके हमारी केंद्र सरकार सोच रही है कि उन कारखानों को किस तरह से चलाएं और दो नए कारखाने सेट-अप करें। स्वाभाविक है कि आज किसानों को यूरिया ब्लैक में लेना पड़ रहा है। तमाम राज्यों में

यूरिया के संकट की स्तिथि उत्पन्न हो गयी है। एनपीके मिल गया, लेकिन किसान को आवश्यकता के सापेक्ष उसकी आपूर्ति नहीं हो रही है। आपने देखा कि धान की फसल तैयार है। पूरे उत्तर प्रदेश में किसान के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस 1360 रुपये केंद्र ने तय किए हैं, उसके बजाय उत्तर प्रदेश का किसान 850 रुपये, 900 रुपये प्रति क्विंटल में बेच रहा है। उत्तर प्रदेश के हमारे जितने भी साथी बैठे हैं, हम सभी माननीय सदस्यों के क्षेत्र में आज किसान को 1000 रुपये प्रति क्विंटल दाम नहीं मिल रहा है। स्वाभाविक है कि जहां एक तरफ 50 प्रतिशत लाभ की बात स्वामीनाथन जी ने की है, हम कह रहे हैं कि उसके एट पार भी हो जाए। उसको कम से कम सीड में, खाद में, पेस्टीसाइड में, इरिगेशन में जो खर्च करना पड़ता है, वही मिल जाए, इसकी वजह से लोगों का खेती से मोहभंग हो रहा है। अगर खेती की जीडीपी घटती जाएगी। ...(व्यवधान)

पिछले दिनों जो योजना आयोग था, वह यहां एयर कंडीशन्ड कमरों में बैठकर कभी भी यह नहीं सोचता था कि किसानों की व्यावहारिक दिक्कतें क्या हैं। मैं प्रधान मंत्री जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने योजना आयोग को आते ही समाप्त किया और अब उन्होंने कहा है कि राज्यों को भी स्वतंत्र करेंगे, हम राज्यों को भी चाहेंगे कि प्लानिंग में उनकी भी भागीदारी हो। इस तरीके से कृषि के विकास के लिए पॉलिसी को फार्मूलेट करने के लिए राज्यों के योगदान की बात कही है। मुझे उम्मीद है कि आज जिस प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है, स्वामीनाथन जी ने जो रिकमेंडेशन्स दी हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में निश्चित तौर से चाहे एक टास्क फोर्स बने या कोई आयोग बने। अब यह जरूरी है कि वर्ष 2004 और 2006 की चीजें केवल यहां सब्मिट होकर केवल सचिवालय या मंत्रालयों में न पड़ी रहें, किसानों की वास्तविकता के धरातल पर उतरे, जिससे उत्पादन बढ़े और किसान खुशहाल हों।

[अनुवाद]

श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान (संबलपुर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे अपने विचार रखने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

अनेक वरिष्ठ माननीय सदस्यों ने इस विषय पर अपनी राय रखी है। मेरे अनुसार, इस देश की 70 प्रतिशत आबादी की आय का मुख्य साधन कृषि है। इसलिए, इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव देना जरूरी है। परंतु सुझाव देने से पहले, मैं कुछ बिंदुओं के बारे में विस्तार से बताना चाहूंगा।

स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट के अनुसार, उनमें से 11.25 प्रतिशत मजदूर भूमिहीन हैं; उप-मार्जिन होल्डिंग वाले किसान वे किसान हैं, जिनके पास 0.01 एकड़ से 0.99 एकड़ की भू-जोत हैं, ऐसे किसानों की संख्या 40.11 प्रतिशत हैं और उनके पास केवल 3.80 प्रतिशत भूमि है; सीमांत जोत वाले किसान; वे किसान हैं जिनके पास एक एकड़ से 2.49 एकड़ तक की भू-जोत हैं, ऐसे किसानों की संख्या 20.52 प्रतिशत हैं और उनके पास 13.13 प्रतिशत भूमि है; छोटी जोत वाले किसान, वे किसान हैं जिनके पास 2.50 एकड़ से 4.99 एकड़ तक की भू-जोत हैं, ऐसे किसानों की संख्या 13.42 प्रतिशत हैं और उनके पास केवल 18.59 प्रतिशत भूमि है; मध्यम जोत वाले किसान, वे किसान हैं जिनके पास पांच एकड़ से 14.99 एकड़ तक की भू-जोत हैं, ऐसे किसानों की संख्या 12.09 प्रतिशत हैं और उनके पास 37.81 प्रतिशत भूमि है; और बड़े किसानों में वे लोग आते हैं जिनके पास बड़ी भू-जोत है अर्थात जिनके पास 15 एकड़ या उससे ज्यादा भूमि है, ऐसे किसानों की संख्या 2.62 प्रतिशत हैं और उनके पास जोत भूमि का 26.67 प्रतिशत भाग हैं। यह तस्वीर का एक पहलू है।

रिपोर्ट का दूसरा पहलू यह है कि धान के संबंध में, भारत. प्रति हेक्टेयर 2,929 कि.ग्रा धान का उत्पादन करता है; जबकि चीन 6,321 कि.ग्रा. का उत्पादन करता है। जापान 6,414 किलोग्राम का उत्पादन करता है। यू.एस.ए. 6,022 कि.ग्रा. का उत्पादन करता है। तो, स्थिति कुछ ऐसी है।

स्वतंत्रता के बाद से, हमारी सभी योजनाओं के बावजूद, हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं जहां भूमिहीन किसान और ऐसे लोगों, जिनके पास एक एकड़ से भी कम भूमि है और जो वास्तव में कृषि क्षेत्र की मदद कर रहे हैं, को वर्ष भर एक वक्त की रोटी भी नहीं मिल पा रही है।

एक अन्य रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 1995 से वर्ष 2013 तक, 2,96,438 किसानों ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उन्हें पर्याप्त कीमत, पर्याप्त रोजगार आदि नहीं मिल रहा है। सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि 76 प्रतिशत किसान खेती छोड़ना चाहते हैं। रिपोर्ट में ऐसा ही कहा गया है। यह रिपोर्ट भारत सरकार द्वारा दी गई है, न कि प्रेस द्वारा। इस अध्ययन का नमूना आकार बहुत बड़ा नहीं है। प्रत्येक जिले में केवल 36 परिवारों को चुना गया था। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन तथा जणगणना सर्वेक्षण ने भी कृषि संकट और खेती छोड़ने वाले लोगों की बढ़ती संख्या की ओर इशारा किया है । इसने लाखों उत्तरदाताओं को शामिल किया। इस प्रकार से, वस्तुस्थिति कुछ ऐसी ही है।

यह राज्य का विषय है। हम इस विषय पर चर्चा यह जानने के लिए कर रहे हैं कि भारत सरकार इस पर किस प्रकार की प्रतिक्रिया देने जा रही है। एक एकड़ से कम भूमि वाले उन 41 प्रतिशत भूमिहीन मजदूरों और किसानों का भविष्य क्या होगा ? लगभग 76 प्रतिशत किसान इस पेशे को छोड़ने जा रहे हैं। इसलिए, इस संदर्भ में, मेरा सुझाव यही है। पहले से ही, कई माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव दिए हैं। उन्होंने बताया कि समस्या क्या है। मैं उन चीजों में नहीं जा रहा हूं। बस, मेरा सुझाव यही है। क्या सरकार कम-से-कम भूमिहीन मजदूरों को पेंशन देने पर विचार कर सकती है? यह 100 रुपए प्रति दिन की हो सकती है। जिन भू-स्वामियों के पास एक एकड़ से कम भूमि है, उनकी संख्या 41 प्रतिशत हैं और वे कृषि को अपनी आजीविका का आधार बनाए हुए हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, यदि सरकार 100 रुपए प्रति दिन की राशि भी पेंशन के रूप में दे तो पूरे देश में जिस तरह से पलायन हो रहा है, मुझे लगता है उसका हल हो जाएगा। भारत सरकार इस सुझाव पर विचार करे। यह पेंशन वृद्धावस्था पेंशन की तरह या किसी और तरीके से दी जा सकती है।

अब, मैं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आता हूँ। हम न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात कर रहे हैं और इससे ऐसे भूमि मालिकों को, जिनके पास एक एकड़ भूमि है और भूमिहीन मजदूरों को लाभ कैसे होगा। मुद्दा यह है कि

सरकार हर साल एम.एस.पी. में रु.50 या रु.60 की वृद्धि कर रही है। यह उत्पादन के अनुसार निर्धारित किया जाता है। कुछ दिन पहले, कुछ माननीय सदस्यों ने एक तारांकित प्रश्न पूछा और सरकार ने उत्तर दिया कि यह राज्य का विषय है; राज्य सरकार इसकी सिफारिश केंद्र सरकार से करेगी। कृषि की 17 मदों पर, भारत सरकार पहले से ही विचार करती आ र है कि उनकी कीमत क्या होगी। हां, यह सही है कि हमें वस्तुओं की कीमत बढ़ानी होगी। हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन मेरा सुझाव यही है। सरकार को भूमिहीन किसानों के साथ-साथ उन भू-स्वामियों के बचाव के लिए आगे आना चाहिए जिनके पास एक एकड़ से कम भूमि है।

इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह (भदोही) : सभापति जी, आज किसान आयोग, जिसे डॉ. स्वामीनाथन जी ने किसानों के संकट और कृषि के संकट के समाधान के लिए बनाया था, इस विषय पर सदन में चर्चा हो रही है। यह विषय हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। केवल किसान या कृषि का संकट नहीं है, इसके समाधान के लिए संसद में जो चर्चा हो रही है, उसके लिए भी संकट है। इस देश की 65 फीसदी आबादी कृषि से संबंधित है और जिसका प्रतिनिधित्व संसद करती है, उस विषय पर चर्चा हो रही है और सदन में कितनी उपस्थिति है, यह भी देखने को मिल रहा है। मैं किसान हूं इसलिए मैं इस बात से निराश हूं। इस देश की सरकार नरेन्द्र भाई मोदी के नेतृत्व में बनी है, इस बात से मैं उत्साहित हूं कि इसकी परवाह नहीं करते हुए किसानों के हित में आगे की योजना तय की है। मुझे भरोसा है कि किसानों का हित जरूर होगा।

महोदय, मैं इस बात को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यहां भारत सरकार के कई मंत्री बैठे हैं और कृषि राज्य मंत्री भी बैठे हैं। मैं इनसे निवेदन करूंगा कि कृषि की समस्या, कृषि विभाग की समस्या का समाधान अगर हो सकता है तो कीजिए। कृषि मंत्रालय का नाम बदल कर कृषि या किसान कल्याण मंत्रालय किया जाए। पहले भी स्वास्थ्य मंत्रालय का नाम बदल कर परिवार कल्यारण मंत्रालय वर्ष 1977 में किया गया था। इससे कम से कम यह बोध तो होगा कि कृषि कल्याण के लिए है और कृषकों के कल्याण के लिए है। महोदय, समस्या एक ही नहीं है, यह आप जानते हैं। आप किसान रहे हैं और किसान की समस्याओं के समाधान के लिए उत्तर प्रदेश की असेम्बली में हमेशा चिंतित रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि कृषि की समस्या केवल कृषि मंत्रालय या किसी एक मंत्रालय से संबंधित नहीं है। जब कृषि के उत्पादन के व्यापार का सवाल आता है तो वाणिज्य मंत्रालय से उसका संबंध हो जाता है। जब कृषि मंत्रालय के अनुदान और उसके बजट का सवाल आता है तो वित्त मंत्रालय से संबंधित हो जाता है। जब कृषि के लिए सिंचाई का सवाल आता है तो जल संसाधन से संबंधित हो जाता है। जब कृषि से संबंधित सिंचाई के लिए बिजली से संबंधित सवाल आता है तो बिजली मंत्रालय से संबंधित हो जाता है। जब सब सवाल खत्म हो जाते हैं और यहां से किसी सवाल का उत्तर हम चाहते हैं तो यह कहा जाता है कि यह तो राज्य का विषय है।

संकट यह है कि कृषि मंत्रालय एक मंत्रालय क्यों नहीं हो सकता? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि देश में कृषि का जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, किसी भी मंत्रालय का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। भारत सरकार के मंत्रियों से मेरी प्रार्थना है कि कृषि का अलग से बजट प्रस्तुत क्यों नहीं हो सकता? रेल का अलग से बजट प्रस्तुत हो सकता है तो कृषि का अलग से बजट क्यों नहीं प्रस्तुत हो सकता? मेरा निवेदन है कि कृषि के अलग से बजट प्रस्तुत करने की योजना के विषय में विचार करना चाहिए। संकट एक नहीं है। इस देश के साढ़े तीन लाख किसानों ने आत्महत्या की। उसकी समीक्षा कभी नहीं हुई है और नरेन्द्र भाई के नेतृत्व में हमारी सरकार 6 महीने से बनी हुई है। 1991 में आर्थिक नीतियों के बनने के बाद किसानों की आत्महत्या का सिलसिला शुरु हुआ। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि इस देश में इससे पहले किसानों ने आत्महत्या नहीं की। 1991 के बाद की नीतियों ने किसानों के हाल को इतना बेहाल कर दिया कि साढ़े तीन लाख किसानों ने आत्महत्या की। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, पिछली सरकार के कृषि मंत्री शरद पवार जी ने उधर से कहा था कि इस देश में साढ़े तीन लाख किसानों ने आत्महत्या की। यह बहुत ही दुखद है।

कृषि हमारी जीवनधारा है और इस जीवनधारा में कुछ लोग कह रहे थे कि कृषि के उत्पादन की लाभकारी कीमत स्वामीनाथन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में दी है कि उसकी लागत पर पचास फीसदी का लाभ मिलना चाहिए। यही बात कृषि के मूल उत्पादन के मूल्य निर्धारण करने वाली जो सरकारी समिति है, उसने भी यही कहा है कि इससे समाज में विकृति पैदा हो जाएगी। मुझे किसान होने के नाते चिंता इस बात की है कि कृषि, खेत-खलिहान के उत्पादन का मूल्य इस देश में जब बढ़ता है तो हाहाकार मच जाता है। लेकिन कारखाने में उत्पादित चीजों का मूल्य जब बढ़ता है जब किसान उसका उपभोक्ता है तो कभी भी कानोंकान तक खबर नहीं होती है। इसी 1962 वाली संसद में डा. राम मनोहर लोहिया और उस संसद में डा. राम मनोहर लोहिया और रामसेवक यादव तथा उस संसद में दत्तोपंथेगड़ी ने बहस करते हुए कहा था कि इस देश के किसानों को जब तक उनके उत्पादन की लाभकारी कीमत नहीं मिलेगी तब तक स्वराज्य का असली सपना साकार नहीं हो सकता और गांधी जी ने भी आजादी से पहले कहा था कि इस देश का स्वराज्य का सपना तभी साकार हो सकता है जब यहां के किसानों की खुशहाली उसके परिवार में दिखेगी और खुशहाली की दिशा वह तय करेगा।

इस देश को आजाद करने के जितने किसान आंदोलन इस देश में हुए हैं, चाइना में भी इतने किसान आंदोलन नहीं हुए हैं। इसी देश में नील का किसानों ने आंदोलन किया। इसी देश में बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में अवध किसान आंदोलन हुआ। इसी देश में गुजरात में बल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में भरदोली में किसानों का आंदोलन हुआ। उसी किसान आंदोलन ने इस देश को आज़ाद करने का रास्ता दिखाया। लाभकारी कीमत के लिए जब कानून बनाने की बात आती है तो कहते हैं कि किसानों के उत्पादन की लाभकारी कीमत जब बनेगी तो देश में हाहाकार मच जाएगा। मैं प्रामाणिकता के साथ कह रहा हूं, बहुत लोगों ने आंकड़े प्रस्तुत किये हैं और हमारे साथियों ने कागज देखकर आंकड़े प्रस्तुत किये हैं। मैं बिना आंकड़े प्रस्तुत करते हुए बता रहा हूं कि जब बैंक के राष्ट्रीयकरण का मसौदा तैयार हुआ था, उस समय बैंक के राष्ट्रीयकरण के समय यह तय हुआ था कि जहां जो डिपॉजिट होगा, उसका 45 फीसदी पैसा उस क्षेत्र के विकास के लिए खर्च किया जाएगा। बैंक के राष्ट्रीयकरण का वह मसौदा कहां गया? लेकिन मैं आज अपने प्रधान मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि बैंक के राष्ट्रीयकरण के बाद प्रधान मंत्री जन-धन योजना को लागू करके इस देश में खुशहाली का रास्ता दिखाने का उन्होंने काम किया है।

सभापति जी, आज बैंकों में कौन पैसा जमा करता है, कृषि मंत्री जी आप बैंकों की रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए, बैंकों में पैसा वही जमा करते हैं, जो छोटे किसान होते हैं, जो कारीगर होते हैं और खेत में काम करने वाले खेतिहर मजदूर होते हैं, जिनके बच्चे खेतों में पसीना बहाते हैं और सीमा की सुरक्षा के लिए खून भी बहाते हैं, वही लोग पैसा जमा करने वाले होते हैं। आज भी कस्बों और गांवों में सबसे ज्यादा डिपाजिट बैंकों में होता है और किसानों को कर्जा देते हैं तो आप भी रिकार्ड उठाकर देख लीजिए कि सबसे ज्यादा रिकवरी अगर पैसे की होती है तो किसानों की होती है, खेतिहर मजदूरों की होती है, छोटे-छोटे लोगों की होती है। पैसे का घोटाला कौन करता है, पैसे का घोटाला वे करते हैं, जो लोग कारपोरेट के समर्थन में बात करते हैं। हजारों करोड़ रुपये का घोटाला हो जाता है, कानों-कान कोई नहीं जानता है। साठ हजार करोड़ रुपये किसानों का कर्जा माफ कर दिया गया तो लोगों से कहा कि हमने बड़ा काम कर दिया, आज वे लोग यहां बैठे हैं। साठ हजार करोड़ रुपये का कर्जा माफ किया गया, उससे किसका लाभ हुआ, जो बैंकों का पैसा डूब रहा था, बैंकों का लाभ हुआ। उससे

किसानों का लाभ नहीं हुआ, जो किसान पैसा जमा नहीं कर पाये, कर्जा उन्हीं का माफ हुआ, जिन किसानों ने अपना कुछ कर्जा दे दिया था, उनका कर्जा माफ नहीं हुआ। यह किस हैसियत से हम लोगों के सामने और हमारे जैसे किसानों के सामने बोलते हैं।

सभापति जी, कुछ लोग कहते हैं कि अगर कैमिकल नहीं होता तो उत्पादन नहीं होता। इस देश की प्राचीन परम्परा को जो नहीं जानते हैं, वही इस बात को कहते हैं। हम कहते हैं कि अपने देश की प्राचीन परम्परा का अनुसंधान हमें किसने सिखाया है।

माननीय सभापति : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री वीरेन्द्र सिंह : सभापति जी, मैं अपनी बात कहूंगा और मेरा आपसे निवेदन कि मैं दो मिनट और बोलूंगा, मेरी किसानों की जरूरी बात है, यदि आप कहेंगे तो मैं अभी बैठ जाता हूं। लेकिन मेरा निवेदन है कि मुझे अपनी बात कहने दीजिए। यहां के किसानों को किसने सिखाया की आषाढ़ के महीने में खरीफ की खेती होती है, यहां के किसानों को किसने सिखाया कि कार्तिक के महीने में रबी की खेती होती है। वैदिक व्यवस्था में, वेदों में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं और उसके माध्यम से हमारे देश के किसान किसी कृषि वैज्ञानिक से बहुत बड़े होते हैं। वे जानते हैं कि खरीफ की खेती आषाढ़ में होती है, रबी की खेती कार्तिक माह में होती है।

मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। खेती के साथ जुड़ा हुआ पशुधन का मामला है। आजादी के बाद पशुओं की संख्या बहुत भारी मात्रा में घटी है। दुनिया में सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन करने वाला अपना क्षेत्र है। लेकिन उसके साथ एक बहुत बड़ी दुखद समस्या भी जुड़ी हुई है। स्वामीनाथन ने इस रिपोर्ट में कहीं भी जिक्र नहीं किया, केवल पशुधन के संरक्षण की बात की है, लेकिन पशुधन का संरक्षण कैसे होगा। उसने चर्चा की है कि कैमिकल खादों पर सब्सिडी दी जाती है। जब अनाज की कमी थी तो कुछ समय तक कैमिकल खादों से खेतों में हरित क्रांति के नाम पर उत्पादन बढ़ाने की व्यवस्था की जा सकती थी। लेकिन सदा के लिए कैमिकल खादों का प्रयोग करके इस देश को और दुनिया को रोग के बाजार में धकेलना, समाज को रोगी बनाना कहां तक तर्कसंगत है। आज क्यों आगेरनिक खेती का चलन बढ़ाने की वकालत दुनिया में हो रही है, वह इसलिए हो रही है क्योंकि कैमिकल खादों के द्वारा पैदा किया गया अनाज रोग पैदा कर रहा है, इसीलिए आगेरनिक खेती के

विस्तार की चर्चा हो रही है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कैमिकल खादों पर इतनी बड़ी सब्सिडी दी जाती है, मेरा कृषि मंत्री जी से निवेदन है कि यदि हो सकता है तो आप यह कीजिए, आज गोबर की खाद पर सब्सिडी क्यों नहीं दी जा सकती है। यदि गोबर की खाद पर सब्सिडी दी जायेगी, पूछ लीजिए, प्रधान मंत्री जी ने गुजरात में मुख्य मंत्री के नाते गोबर बैंक की स्थापना की थी।

माननीय सभापति : माननीय वीरेन्द्र सिंह जी, अब आप खत्म कीजिए।

श्री वीरेन्द्र सिंह : हां अभी समाप्त करते हैं, लेकिन अपनी बात कहकर समाप्त करेंगे। प्रधान मंत्री जी ने गोबर बैंक की स्थापना करके गुजरात में एक नई क्रांति ला दी है। मैं इस बात को कह सकता हूं, मैं एक सदस्य की भूमिका का निर्वाह करते हुए मांग करता हूं कि हम कैमिकल खादों पर इतनी बड़ी सब्सिडी दे सकते हैं तो गोबर की खाद पर सब्सिडी क्यों नहीं दे सकते हैं। यदि गोबर की खाद पर सब्सिडी देंगे तो पशुधन की जो हत्या हो रही है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वह रुक जायेगी, वह कानून से रुकने वाली नहीं है।

<u>सायं 6.00 बजे</u>

तब सभी लोगों के मन में यह बात आएगी कि अगर हमारे पास दूध न देने वाला पशु भी होगा, तो कम से कम हमें कुछ पैसे की तो आमदनी होगी। इसलिए मैं इस बात को कह सकता हूँ। स्वामीनाथन की सारी रिपोर्ट वे बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन एक बात मैं कह सकता हूँ, जो कि हमारे घोषणा पत्र में भी है कि लागत पर 50 फीसदी लाभकारी मूल्य मिलना ही चाहिए। इस देश का किसान केवल किसान ही नहीं है, उत्पादक ही नहीं है, वह उपभोक्ता भी है। जब तक किसान की खरीदने की ताकत नहीं बढ़ेगी, आप बाजार के समर्थकों को ऐलान कर के बता दीजिए, तब तक बाजार बढ़ने वाली नहीं है। इस देश की 75 फीसदी आबादी, जो कि किसान है, जब उसकी खरीदने की ताकत बढ़ेगी, तभी बाजार में ताकत आएगी। अगर उनकी जेब में पैसे नहीं होंगे तो बाजार भी चौपट हो जाएंगे। कोई भी माई का लाल उसको रोक नहीं सकता है।

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि स्वामीनाथन ने किसान आयोग की रिपोर्ट में जो कहा है कि लागत पर किसान के उत्पादन का 50 फीसदी लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, उसे इस संसद को स्वीकार करना चाहिए। इस बात को मैं पुनः दोहराते हुए अपनी बता समाप्त करता हूँ।

[अनुवाद]

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, सभा स्थगित होने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगली बार जब इस प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी तो श्री शरद त्रिपाठी बोलेंगे।

सभा 8 दिसंबर, 2014 के पूर्वाह्न 11 बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

<u>सायं 6.01 बजे</u>

तत्पश्चात लोक सभा सोमवार, 8 दिसम्बर, 2014 / 17 अग्रहायण, 1936 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेजी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं*:*

https://sansad.in/ls

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2014 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सत्रहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित